छत्तीसगढ़ व्यावसायिक
परीक्षा मण्डल (व्यापम), रायपुर द्वारा आयोजित
CHHATTISGARH PROFESSIONAL
EXAMINATION BOARD , RAIPUR

AGRAWAL EXAMCART
Paper Pakka Fasega!

विगत वर्षों के पेपर्स का विश्लेषण चार्ट का समावेश

छत्तीसगढ़ पटवारी

भर्ती परीक्षा - 2022

100% पाठ्यक्रमानुसार

स्टडी गाइड

परीक्षा की अच्छी तैयारी वो भी काम समय में !

यह गाइड बुक की थ्योरी को काफी गहन अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। हमारा विशवास है की यह पुस्तक आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त हो।

कंप्यूटर | हिंदी | English | गणित | तर्कशक्ति योग्यता | सामान्य ज्ञान | छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान

मुख्य विशेषताएँ

- पाठ्यक्रमानुसार थ्योरी एवं विगत वर्षों के प्रश्नों से सम्बंधित सभी बिंदुओं का समावेश
- 1800+ महत्वपूर्ण अध्यायवार प्रश्न
- वर्ष 2019 के सॉल्व्ड पेपर का समावेश

Code	Price	Pages
CB774	₹ 499	708

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक
परीक्षा मण्डल व्यापम, रायपुर द्वारा आयोजित

CHHATTISGARH PROFESSIONAL
EXAMINATION BOARD, Raipur

छत्तीसगढ़ पटवारी
भर्ती परीक्षा – 2022

कंप्यूटर | हिंदी | English | गणित |
सामान्य ज्ञान | तर्कशक्ति योग्यता |
छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान

Prepared by:

Examcart Experts

AGRAWAL GROUP OF PUBLICATIONS

EduCart | Agrawal Publications | AGRAWAL EXAMCART

Book Name | छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा – 2022 (स्टडी गाइड)

Editor Name | Rahul Agarwal

Edition | Latest

Published by | Agrawal Group Of Publications (AGP)
© All Rights reserved.
ADDRESS (Head office) | 28/115 Jyoti Block, Sanjay Place, Agra, U.P. 282002

CONTACT | quickreply@agpgroup.in
We reply super fast
BUY BOOK | www.examcart.in
Cash on delivery available
WHATSAPP (Head office) | 8937099777
PRINTED BY | Schoolcart

DESKTOP PUBLISHING | Agrawal Group Of Publications (AGP)

ISBN | 978-93-5561-001-0
© COPYRIGHT | Agrawal Group Of Publications (AGP)

Disclaimer: This teaching material has been published pursuant to an undertaking given by the publisher that the content does not in any way whatsoever violate any existing copyright or intellectual property right. Extreme care is put into validating the veracity of the content in this book. However, if there is any error found, please do report to us on the below email and we will re-check; and if needed rectify the error immediately for the next print.

ATTENTION

No part of this publication may be re-produced, sold or distributed in any form or medium (electronic, printed, pdf, photocopying, web or otherwise) on Amazon, Flipkart, Snapdeal without the explicit contractual agreement with the publisher. Anyone caught doing so will be punishable by Indian law.

इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा प्रकाशक के साथ स्पष्ट संविदात्मक समझौते के बिना अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पर किसी भी रूप या माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित, पीडीएफ, फोटोकॉपी, वेब या अन्यथा) में फिर से उत्पादित, बेचा या वितरित नहीं किया जा सकता है। जो कोई भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाएगा, वह भारतीय कानून द्वारा दंडनीय होगा।

AGP contributes Rupee One on every book purchased by you to the **Friends of Tribals Society** Organization for better education of tribal children.

यह पेज अवश्य पढ़ें।

(जानिए हम आपकी परीक्षा की तैयारी में कैसे मदद करते है)

कुछ ही वर्षों में **Agrawal Examcart** की पुस्तकें शिक्षकों और छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो गयी हैं। हमारे **Subject Experts** पुस्तकों की विषय सामग्री पर विशेष ध्यान देते हैं। परीक्षा के पाठ्यक्रमानुसार पाठ्यपुस्तकों और गाइडबुक्स के माध्यम से हम आपको **Syllabus-wise** सटीक और सरल भाषा में पुस्तकें प्रदान करते रहे हैं जिससे आपको कम समय में परीक्षा की तैयारी में मदद मिले। किसी भी परीक्षा सम्बन्धी **Practice set** को तैयार करते समय, हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी का स्वयं मूल्यांकन **90%** से अधिक सटीकता से कर सकें। यही कारण है कि प्रत्येक **Practice set** पिछले परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयार किया जाता है और इसमें बहुत अच्छे प्रश्नों का संग्रह होता है।

"हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको पुस्तक उपलब्ध करना ही नहीं बल्कि आपके पुस्तक खरीदने से लेकर पुस्तक पूरा पढ़ने तक के सफर में हम आपके सारथि होंगे। इसीलिए हमने कुछ ऐसी सेवाएँ (नीचे दी गई) शुरू की हैं जिनकी मदद से हम आपकी सहायता कर पाएंगे।"

अपने Phone पर इस पुस्तक के संशोधित Updates प्राप्त करें!

हर बार जब हम इस पुस्तक में संशोधन या कोई भी नया Update करेंगे तो उसकी जानकारी हम आपके Whatsapp Number पर भेजेंगे जिससे आपको इस बुक का नया संस्करण न लेना पड़े और आपको free में Updated Content मिल जाये। इसके लिए आपको नीचे दिए हुए फॉर्म को भरना होगा जिससे हम आपको Updated content भेज पाएं। ध्यान दें कि फॉर्म भरते समय Book Code सही डालें नहीं तो आपको किसी और बुक के Updates मिलेंगे। बुक का कोड पुस्तक के पीछे कवर पर नीचे मे बायीं तरफ दिया है जो 'CB' से शुरू होता है।

Form link ☞ http://bit.ly/exmcrtrev or Scan Code ☞

Whatsapp Helpline No. (पुस्तक में गलती या परीक्षा सम्बन्धित जानकारी)

परीक्षाओं से सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी जैसे—पाठ्यक्रम, पेपर पैटर्न, सबसे अच्छी पुस्तकें, परीक्षा सम्बन्धित महत्वपूर्ण Dates, किसी प्रश्न का हल एवं हमारी पुस्तकों में किसी भी तरह की गलती पाए जाने पर हमारे Whatsapp Helpline नंबर पर संपर्क करें। हमारी Experts की Team आपको उससे सम्बन्धित सही जानकारी उपलब्ध कराएगी।

Whatsapp number ☞ 8937099777 or Scan Code ☞

Join Telegram Group

Agrawal Examcart ने Examcart Live के नाम मे एक नया Telegram Group शुरू किया है जिससे आपको कई तरह मे परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी

- नवीनतम परीक्षा का पूर्ण Notification और पाठ्यक्रम के Updates प्राप्त करें।
- नई परीक्षाओं से सम्बन्धित Best नवीनतम पुस्तकों के Updates प्राप्त करें।
- नई परीक्षाओं से सम्बन्धित Free Study material प्राप्त करें।
- अपनी परीक्षा की तैयारी का परीक्षण करने के लिए weekly practice problem sheet प्राप्त करें।

Join us on Telegram: ☞ examcartlive or Scan Code ☞

Read & Practice Online

हमारी Android App और Website पर पढ़ने की जानकारी अगले पृष्ठ पर दी गयी है।

Agrawal Examcart Catalog ☞ https://bit.ly/exmcat21 Website ☞ https://bit.ly/amzexmcrt

AGRAWAL EXAMCART

ANDROID APP ON
Google Play

App की विशेषताएँ!!!

- एकमात्र App जिसमें आपको परीक्षाओं से सम्बन्धित सभी Contents नए पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न अनुसार Up-to-date मिलेंगे।
- App पर Course को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता जानने के लिए Free Content दिया गया है।
- हमारे App पर 100 से अधिक परीक्षाओं पर Courses आकर्षक मूल्य पर उपलब्ध हैं।
- App पर Online Quiz देते समय आपको वास्तविक Online परीक्षा जैसा अनुभव प्राप्त होगा।

Examcart Android App को चलाने की जानकारी

Step 1: Google Playstore से Examcart की App को Download करें। Examcart App को Playstore पर देखने का link http://bit.ly/examcartapp2021

Step 2: Examcart App में login करें और Category Section में जाके अपने Exam से सम्बन्धित Course को देखें।

हमारे App के Features एवं उसकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए 15 seconds का Tutorial देखें।
http://bit.ly/exmcrtdemo

Laptop, Desktop या iphone Users के लिए

Step 1: Mobile या Laptop Browser पर www.examcart.sikhaoo.com टाइप करें।

Step 2: हमारे Course को use करने के लिए Sign in करें।

Subscribe to our

YouTube Channel ☞ Examcart Live

Agrawal Examcart के Experts अब आपको न केवल सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें उपलब्ध कराएँगे, बल्कि आपको ऑनलाइन भी पढ़ाएँगे। इसी दिशा में काम करते हुए हमने अपना "Examcart Live" के नाम से Youtube Channel शुरू किया है। हमारे आने वाले Live Courses की जानकारी, महत्वपूर्ण पुस्तकें, आगामी परीक्षा के पाठ्यक्रम और Notifications सम्बन्धित Videos को देखने के लिए हमारे Youtube Channel को Subscribe करें।

Join our Telegram Channel ☞ Examcart Live

Agrawal Examcart ने "Examcart Live" के नाम से अपना Telegram Channel शुरू किया है। इस Channel के माध्यम से हम जो भी नयी Online Classes शुरू करने वाले हैं, उनका Timetable, Classes कब से शुरू होंगी, उनका Price और अन्य जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हमारे Experts देते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को Join करना न भूलें।

Telegram Channel link ☞ https://t.me/Examcartlive

BEST DISCOUNTS पर Books को खरीदें हमारी Website से!

☞ www.examcart.in

Agrawal Examcart की सभी पुस्तकें हमारी Website पर काफी आकर्षक Discount पर उपलब्ध हैं। हमारी Website पर हर पुस्तक की विषय सूची और Sample Chapter उपलब्ध हैं। इससे आपको पुस्तक को खरीदने से पहले उसका मूल्यांकन करने में आसानी होगी। हम एक Promotional offer चला रहे हैं जिसके माध्यम से आप हमारी Website से प्रत्येक खरीदारी पर 5% अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकते हैं।

COUPON CODE ☞ EXAM2021

(5% extra discount पाने के लिए ऊपर दिए गए coupon code को checkout से पहले प्रयोग करें।)

छत्तीसगढ़ पटवारी, विश्लेषण चार्ट

भाग–अ (कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान)

क्रम सं.	अध्याय	17-03-2019	15-01-2017	28-02-2016
1.	मेमोरी	2	4	2
2.	इन्टरनेट एवं ई–मेल का परिचय	3	3	2
3.	इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस	4	4	4
4.	कार्य एवं संरचना			1
5.	सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	2	2	—
6.	ऑपरेटिंग सिस्टम	2	—	3
7.	एम.एस. ऑफिस	2	2	2
8.	वायरस	1	1	—
9.	कम्प्यूटर नेटवर्क	1	1	—
10.	मल्टीमीडिया	1	2	1
11.	कम्प्यूटर का इतिहास	—	—	2
12.	विविध	2	1	3
	कुल	**20**	**20**	**20**

भाग–ब (सामान्य हिन्दी)

क्रम सं.	अध्याय	17-03-2019	15-01-2017	28-02-2016
1.	शब्द विचार : तत्सम, तद्भव , देशज ,विदेशज , संकर आदि	1	1	2
2.	अनेकार्थी शब्द	1	—	—
3.	पर्यायवाची	1	—	—
4.	वर्ण–विचार	1	1	1
5.	सर्वनाम	1	—	1
6.	क्रिया	—	1	—
7.	लिंग	—	—	1
8.	वाक्यगत अशुद्धियाँ	1	—	1
9.	संधि	1	1	2
10.	रस	—	1	—
11.	अलंकार	1	—	—
12.	छंद	1	1	—
13.	उपसर्ग	1	—	—
14.	मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ	—	2	1
15.	वाक्यांश के लिए एक शब्द	—	1	1
16.	अलंकार	—	1	—
	कुल	**10**	**10**	**10**

(सामान्य अंग्रेजी)

Sl. No.	Chapter	17-03-2019	15-01-2017	28-02-2016
1.	Antonyms	—	1	1
2.	Synonyms	1	2	1
3.	One Word Substitution	1	—	1
4.	Noun: Number, Gender	1	1	—
5.	Pronoun	1	—	—
6.	Adverb	—	1	—
7.	Conjunction	1	1	1
8.	Preposition	1	1	1
9.	Active & Passive Voice	1	1	1
10.	Narration	1	1	1
11.	Spelling	1	1	1
12.	Common Errors	—	—	2
	Total	**9**	**10**	**10**

(सामान्य गणित)

क्रम सं.	अध्याय	17-03-2019	15-01-2017	28-02-2016
1.	संख्या पद्धति	4	7	1
2.	भिन्न एवं दशमलव संख्याएँ	1		1
3.	वर्ग–वर्गमूल और घन–घनमूल	1	1	—
4.	घातांक एवं करणी			3
5.	म.स.प. एवं ल.स.प.	3	1	1
6.	सरलीकरण	2	1	—
7.	प्रतिशतता	1	1	2
8.	लाभ, हानि एवं छूट	2	2	2
9.	औसत	1	2	1
10.	अनुपात–समानुपात	2	1	2
11.	मिश्रण	1	—	—
12.	साधारण ब्याज	1	1	1
13.	चक्रवृद्धि ब्याज	1	1	1
14.	समय और कार्य	1	1	2
15.	चाल, समय एवं दूरी	2	2	6
16.	ज्यामिति	3	3	—
17.	क्षेत्रमिति	3	3	6
18.	बीजगणित	1	3	1
	कुल	**30**	**30**	**30**

भाग–स (सामान्य मानसिक योग्यता)

क्रम सं.	अध्याय	17-03-2019	15-01-2017	28-02-2016
1.	लुप्त पद ज्ञात करना	2	1	3
2.	गणितीय संक्रियाएँ	1	2	—
3.	आकृति पूर्ण करना	1	1	—
4.	आकृति शृंखला	4	—	1
5.	पासा	1	—	1
6.	शृंखला परीक्षण	3	3	5
7.	असमान ज्ञात करना	1	2	—
8.	कोडिंग –डिकोडिंग	2	—	1
9.	दिशा परीक्षण	—	2	—
10.	वेन आरेख		3	2
11.	सन्निहित आकृतियाँ	—	1	—
12.	आकृतियों को गिनना	—	—	1
13.	रक्त सम्बन्ध	—	—	1
	कुल	**15**	**15**	**15**

(सामान्य ज्ञान)

क्रम सं.	अध्याय	17-03-2019	15-01-2017	28-02-2016
1.	भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान	7	9	7
2.	भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन			
3.	प्राचीन इतिहास	2	3	1
	मध्यकालीन इतिहास	3	—	1
	आधुनिक इतिहास	4	3	3
	कला एवं संस्कृति	1	2	
4.	**भूगोल :**			
	भारत का भूगोल	3	3	7
	विश्व का भूगोल	4	6	2
5.	भारतीय अर्थव्यवस्था	4	3	2
6.	**सामान्य विज्ञान :**			
	भौतिक विज्ञान	2	3	4
	रसायन विज्ञान	2	3	2
	जीव विज्ञान	2	1	1
7.	विविध			2
	कुल	**34**	**36**	**32**
	समसामयिकी	**15**	**10**	**17**

	छत्तीसगढ़ (विशेष) :			
1.	जनजातियाँ	2	2	1
2.	राजनीतिक व्यवस्था	1	1	1
3.	ऐतिहासिक घटनाएं	3	4	4
4.	भूगोल	2	6	4
5.	कला एवं संस्कृति	1	2	3
6.	अर्थव्यवस्था	4	1	—
7.	विविध	3	3	2
8.	समसामयिकी	—	—	1
	कुल	**16**	**19**	**16**

विषय-सूची

अध्याय | पृष्ठ संख्या

Unit-1 : कम्प्यूटर सामान्य ज्ञान 1-30

Unit-2 : सामान्य हिन्दी 31-106

1. वर्ण विचारः स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी 31-36
2. लिंग, वचन एवं कारक 37-41
3. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं क्रिया-विशेषण 42-50
4. समास रचना एवं प्रकार 51-54
5. संधि : स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि 55-61
6. अलंकार, रस एवं छंद (दोहा, सोरठा) 62-72
7. व्याकरणिक अशुद्धियाँ 73-76
8. शब्द रचना : उपसर्ग एवं प्रत्यय 77-81
9. शब्द प्रकार : तत्सम्, तद्भव, देशज एवं विदेशी 82-85
10. अनेकार्थी शब्द 86-88
11. पर्यायवाची शब्द 89-92
12. विलोम शब्द 93-99
13. अनेक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द 100-102
14. मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 103-106

Unit-3 : English 107-165

1. Articles 107-111
2. Noun : Number and Gender 112-116
3. Pronoun 117-119
4. Verbs and Modal 120-122

5. **Adjective and Interchange of Degrees** 123-127

6. **Adverb** 128-129

7. **Preposition** 130-133

8. **Conjunction** 134-136

9. **Active & Passive Voice** 137-142

10. **Narration** 143-147

11. **Vocabulary** 148-163

- 11.1 Antonyms
- 11.2 Synonyms
- 11.3 One Word Substitution
- 11.4 Some Important Idioms & Phrases and Proverbs
- 11.5 Spelling Test

12. **Common Errors** 164-165

Unit-4 : गणित 166-302

1. संख्या पद्धति 166-176

2. म.स.प. एवं ल.स.प. 177-182

3. वर्गमूल एवं घनमूल 183-188

4. घातांक एवं करणी 189-195

5. भिन्न एवं दशमलव संख्याएँ 196-203

6. सरलीकरण 204-207

7. औसत 208-211

8. अनुपात एवं समानुपात 212-215

9. आयु सम्बन्धी प्रश्न 216-220

10. प्रतिशतता 221-224

11. लाभ–हानि 225-229

12. साधारण ब्याज 230-233

13. चक्रवृद्धि ब्याज 234-236

14.	साझेदारी	237-239
15.	मिश्रण	240-247
16.	समय एवं कार्य	248-252
17.	समय एवं दूरी	253-256
18.	क्षेत्रमिति	257-265
19.	बीजगणित	266-270
20.	समीकरण	271-279
21.	साझेदारी	280-302

Unit-5 : सामान्य मानसिक योग्यता 303-372

1.	लुप्त पद ज्ञात करना	303-305
2.	गणितीय संक्रियाएँ	306-309
3.	पासा	310-315
4.	शृंखला परीक्षण	316-319
5.	असमान ज्ञात करना (वर्गीकरण)	320-322
6.	कोडिंग–डिकोडिंग	323-328
7.	दिशा परीक्षण	329-334
8.	वेन आरेख	335-338
9.	रक्त सम्बन्ध	339-343
10.	सादृश्यता परीक्षण	344-348
11.	आंकिक योग्यता	349-351
12.	कथन एवं तर्क	352-355
13.	आकृति पूर्ण करना	356-358
14.	आकृति शृंखला	359-362
15.	सन्निहित आकृतियाँ	363-365
16.	आकृतियों को गिनना (विभेदन क्षमता)	366-368
17.	आकृतियों सादृश्यता	369-372

Unit-6 : सामान्य ज्ञान 1-273

1. **भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं भारतीय संविधान** 1-24

- भारत का संवैधानिक विकास
- संविधान सभा एवं भारतीय संविधान
- भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत
- संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना
- संघ एवं राज्य क्षेत्र
- नागरिकता
- मौलिक अधिकार
- राज्य के नीति-निदेशक तत्व
- मौलिक कर्त्तव्य
- संघ की कार्यपालिका
- संसद
- न्यायपालिका
- राज्य की कार्यपालिका
- राज्य का विधान मंडल
- पंचायती राज एवं नगर पालिकाएँ
- संघ और राज्यों के मध्य सम्बन्ध
- योजना आयोग
- राष्ट्रीय विकास परिषद्
- नीति आयोग
- निर्वाचन आयोग
- जन–सहभागिता
- राजभाषा
- लोक सेवा आयोग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग
- राष्ट्रीय आपात
- जिला प्रशासन
- प्रमुख संविधान संशोधन
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

2. **इतिहास** 25-79

I. प्राचीन भारत का इतिहास

- पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल
- सिन्धु घाटी सभ्यता (2350 ई. पू.–1750 ई. पू.)
- वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति
- वैदिक साहित्य
- धार्मिक आन्दोलन
- संगम युग
- छठी शताब्दी ई. पू. का भारत तथा महाजनपद काल
- मगध का उत्थान
- सिकन्दर का आक्रमण
- मौर्य साम्राज्य (322-184 ई.पू.)
- मौर्योत्तर काल
- भारत के यवन राज्य
- गुप्त वंश (240-480 ई.)
- पुष्यभूति या वर्धन राजवंश
- राजपूत काल (800-1200 ई.)
- मध्य भारत, उत्तर भारत और दक्कन : तीन साम्राज्यों का युग (8वीं से 10वीं सदी तक)
- चोल साम्राज्य (नवीं से बारहवीं सदी तक)
- प्राचीन भारत के ग्रन्थ और उनके लेखक
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

II. मध्यकालीन भारत का इतिहास

- भारत पर अरब एवं तुर्क आक्रमण
- दिल्ली सल्तनत [1206-1526 ई.]
- विजय नगर राज्य
- बहमनी राज्य

- मुगल वंश
- मराठों का उत्कर्ष
- पेशवाओं का शासन
- सिख धर्म या सिख सम्प्रदाय
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

III. आधुनिक भारत का इतिहास

- मुगल साम्राज्य का पतन
- यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन
- सामाजिक-धार्मिक पुनर्जागरण
- 1857 का विद्रोह
- राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण (1885–1905)
- राष्ट्रवादी आन्दोलन का द्वितीय चरण (1905-1919)
- राष्ट्रवादी आन्दोलन का तृतीय चरण (1919-1947)
- ब्रिटिश काल में भारत में शिक्षा का विकास
- भारत के गवर्नर-जनरल/वायसराय
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

IV. भारतीय कला एवं संस्कृति

- भारतीय चित्रकला
- भारतीय वास्तुकला और स्थापत्य
- भारतीय नृत्य
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

3. भूगोल **80-124**

I. भारत का भूगोल

- भारतीय चित्रकला
- भारत का सामान्य परिचय
- भारत का भौतिक विभाजन
- अपवाह-तन्त्र
- भारत की जलवायु
- प्राकृतिक वनस्पति
- भारत की मृदा
- भारत की खनिज सम्पदा
- ऊर्जा संसाधन
- भारत में उद्योग
- परिवहन
- भारत की प्रमुख जनजातियाँ
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

II. विश्व का भूगोल

- ब्रह्माण्ड
- आकाशगंगा
- तारा
- नक्षत्र/तारामंडल
- सौर मण्डल
- ग्रह
- सूर्य और ग्रहों के बारे में तथ्य
- क्षुद्रग्रह
- धूमकेतु
- उल्का और उल्कापिंड
- कृत्रिम उपग्रह
- स्थलमण्डल
- जलमण्डल
- वायुमण्डल
- महाद्वीप
- प्राकृतिक पर्यावरण
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

4. **पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी** **125-141**

- पर्यावरण
- संसाधन
- पर्यावरण संरक्षण
- अभयारण्य/जैवमण्डल–रिजर्व
- रामसर सम्मेलन
- पर्यावरण प्रदूषण
- विविध तथ्य
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

5. **कृषि तथा पशुपालन** **142-146**

- कृषि
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

6. **भारतीय अर्थव्यवस्था** **147-168**

- अर्थव्यवस्था का परिचय
- राष्ट्रीय आय
- भारत में आर्थिक सुधार
- भारत में आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएँ
- मानव विकास सूचकांक
- उद्योग एवं औद्योगिक नीति
- भारतीय वित्त बाजार
- लोक वित्त
- वस्तु एवं सेवा कर
- विमुद्रीकरण
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

7. **सामान्य विज्ञान** **169-227**

I. भौतिक विज्ञान

- भारतीय चित्रकला
- भौतिक विज्ञान का सामान्य परिचय
- यांत्रिकी
- कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा
- गुरुत्वाकर्षण
- दाब
- पदार्थों के सामान्य गुण
- सरल आवर्त गति
- ध्वनि एवं तरंग गति
- ऊष्मा तथा ताप
- प्रकाश
- वस्तुओं का रंग
- विद्युत
- चुम्बकत्व
- परमाणु भौतिकी
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

II. रसायन विज्ञान

- पदार्थ एवं उसकी प्रकृति
- भौतिक रसायन
- अकार्बनिक रसायन
- कार्बनिक रसायन
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

III. जीव विज्ञान

- जीव विज्ञान की परिभाषा
- जीवधारियों का वर्गीकरण
- कोशिका एवं कोशिका संरचना
- आवृत्तबीजियों की आकारिकी

- हॉर्मोन
- जन्तु जगत का आधुनिक वर्गीकरण
- मानव स्वास्थ्य एवं पोषण
- मानव शरीर के तन्त्र
- प्रमुख मानव रोग
- परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

8. विविध 228-273

Unit-7 : छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 1-49

1. छत्तीसगढ़ : सामान्य जानकारी	1-5
2. छत्तीसगढ़ : भौगोलिक परिदृश्य	5-8
3. छत्तीसगढ़ : ऊर्जा संसाधन	9-11
4. छत्तीसगढ़ : कृषि एवं पशुपालन	11-14
5. छत्तीसगढ़ : मिट्टियाँ	14
6. छत्तीसगढ़ : नदी परियोजनाएँ	1614-16
7. छत्तीसगढ़ : अपवाह प्रणाली	16-19
8. छत्तीसगढ़ : जलवायु	19-20
9. छत्तीसगढ़ : ऐतिहासिक परिदृश्य	20-26
10. छत्तीसगढ़ : लोक कला	26-31
11. छत्तीसगढ़ : पर्यटन स्थल	31-32
12. छत्तीसगढ़ : उद्योग	33-35
13. छत्तीसगढ़ : परिवहन	36-37
14. छत्तीसगढ़ : वन्य जीव संरक्षण	38
15. छत्तीसगढ़ : व्यक्तित्व परिचय	39-47
• परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न	47-49

सॉल्व्ड पेपर 1-14

➢ छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा, परीक्षा तिथि : 17-3-2019 1-14

अध्याय 1

वर्ण विचार: स्वर, व्यंजन एवं वर्तनी

1. वर्ण

भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है।

हिन्दी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं।

1.1 स्वर

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ (ऋ), ए, ऐ, ओ, औ, कुल 11 स्वर हैं।

मात्राएँ—अ की कोई मात्रा नहीं होती। ा ि ी ु ू ृ े ै ो ौ

अनुस्वार—अं (ं)

जैसे—अंश, अंदेशा, संपदा, हंस।

अनुनासिक— ँ (चन्द्रबिन्दु)

जैसे—हँसना, धुआँ, चाँद।

विसर्ग—अः (ः)

जैसे—अधःगति, दुःख, मनःस्थिति।

1.2 व्यंजन

क वर्ग	:	क ख ग घ ङ
च वर्ग	:	च छ ज झ ञ
ट वर्ग	:	ट ठ ड (ड़) ढ (ढ़) ण (द्विगुण व्यंजन ड़-ढ़)
त वर्ग	:	त थ द ध न
प वर्ग	:	प फ ब भ म
अंतःस्थ	:	य र ल व
उष्म	:	श ष स ह
संयुक्त व्यंजन	:	क्ष त्र ज्ञ श्र (क् + ष) (त् + र) (ज् + ञ) (श् + र)
आगत	:	(ज़ + फ़)

वर्णमाला एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार द्रष्टव्य है।

2. स्वर वर्गीकरण

ह्रस्व स्वर	दीर्घ स्वर	प्लुत स्वर
(अ, इ, उ, ऋ)	(आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ)	(राऽऽऽ—)

स्वर की संख्या = 11

I. ह्रस्व स्वर—उच्चारण में कम समय।

II. दीर्घ स्वर—उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय। इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। इन्हें 'द्विमात्रिक स्वर' भी कहते हैं।

III. प्लुत स्वर—उच्चारण में एक मात्रा का तीन गुना समय लगता है। नाटक के संवादों में इसका उपयोग होता है। जैसे—हे राम !

स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर

वर्ण नाम	उच्चारण स्थान	ह्रस्व स्वर	दीर्घ स्वर	निरानुनासिक मौखिक स्वर	अनुनासिक स्वर
कंठ्य	कंठ	अ	आ	अ, आ	अं, आँ
तालव्य	तालु (मुँह के भीतर की छत का पिछला भाग)	इ	ई	इ	इँ
मूर्धन्य	मूर्धा (मुँह के भीतर की छत का अगला भाग) कंठ+तालु (कंठतालव्य) ओष्ठ+कंठ (कंठोष्ठ्य)	ऋ - –	 ए, ऐ ओ,औ		
ओष्ठ्य	ओष्ठ/ओंठ	उ	ऊ		

3. व्यंजन

स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में 'अ' स्वर मिला होता है।

विशेष—

'अ' के बिना व्यंजन का उच्चारण सम्भव नहीं है, हिन्दी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जिन्हें चार भागों में बाँटा गया है।

व्यंजन

स्पर्श व्यंजन	अंतःस्थ व्यंजन	उष्म व्यंजन	संयुक्त व्यंजन
(25)	(4)	(4)	(4)

I. स्पर्श व्यंजन—ये वर्ण कण्ठ, तालु, मुर्द्धा, दन्त और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। ये पाँच वर्गों में बँटे होते हैं। जिनका स्वरूप उच्चारण एवं ध्वनि के आधार पर इस प्रकार हैं—

क्र.	उच्चारण	ध्वनि	वर्ग	वर्ण
1.	कण्ठ	कंठ्य	क–वर्ग	क्, ख्, ग्, घ्, ङ्
2.	तालु	तालव्य	च–वर्ग	च्, छ्, ज्, झ्, ञ्
3.	मूर्द्धा	मूर्धन्य	ट–वर्ग	ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण्
4.	दंत	वर्त्स्य	त–वर्ग	त्, थ्, द्, ध्, न्
5.	होंठ	ओष्ठ्य	प–वर्ग	प्, फ्, ब्, भ्, म्

विशेष—

स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के अन्तिम वर्ण को (ङ, ञ, ण, न, म) को अनुनासिक कहते हैं। ङ्, ञ, ण् से कोई शब्द प्रारम्भ नहीं होता।

अनुस्वार (ं) और विसर्ग (ः) न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन। ये स्वर के अन्त में अवश्य लगते हैं। अतः इन दोनों ध्वनियों को 'आयोगवाह' कहते हैं। आयोगवाह का अर्थ है, योग न होने पर भी जो साथ रहे।

II. **अंतःस्थ व्यंजन**—इनका उच्चारण जीभ, तालु, दाँत और ओठों के परस्पर सटने से होता है किन्तु पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। इनकी संख्या चार होती है (य र ल व)। इन्हें अर्द्धस्वर भी कहते हैं।

III. **उष्म व्यंजन**—जिनके उच्चारण में वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती हो। श्, ष्, स्, ह्।

IV. **संयुक्त व्यंजन**—वे वर्ण जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं।

क्ष = क् + ष
त्र = त् + र
ज्ञ = ज् + ञ
श्र = श् + र

4. व्यंजन के भेद

व्यंजन के दो भेद होते हैं—

I. **अल्पप्राण**—इनको उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पाँचवाँ तथा अंतःस्थ वर्ण अल्पप्राण होता है;
जैसे—क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, भ, य, र, ल, व।

II. **महाप्राण**—इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि रहती है। वर्ण का द्वितीय, चतुर्थ तथा उष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं।
जैसे—ख, घ, छ, झ, ट, ढ, थ, ध, फ, भ, श, ष, स, ह।

5. 'र' के विभिन्न रूप

'र' एक व्यंजन वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से यह लुंठित व्यंजन ध्वनि है।

हिन्दी भाषा में 'र' के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है। कहीं पर 'र' का प्रयोग स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर सहित।

जिसमें 'अ' की ध्वनि हो वह स्वर सहित (क, च, ट, त, प) जिसमें 'अ' की ध्वनि न हो वह स्वर रहित (क्, च्, ट्, त्, प्)

'र' के विभिन्न रूप—र, रा, रु, रू, र्, क्र, ट्र, हृ

'र' का सामान्य रूप

'र' रमन, दरवाजा, दीवार

'र' के सामान्य रूप का प्रयोग में 'र' शब्द के आरम्भ में, मध्य में और अन्त में आ सकता है।

'र' में सभी मात्राएँ लग सकती है सिवाय 'ऋ' और हलन्त (्) के, जैसे—

र, रा, रि, री, **रु**, **रू**, रे, रै, रो, रौ

र + उ = रु (रुद्र, रुचि, पुरुष, गुरु, रुपया)

र + ऊ = रू (रूप, रूठना, अमरूद, डमरू, रूखा)

रेफ

यह रेफवाला 'र' कहलाता है। यह स्वर रहित 'र' है।

शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अन्तिम मात्रा के ऊपर लग जाता है, जैसे—

परव = पर्व

जुरमाना = जुर्माना

वरणन = वर्णन

कुछ ऐसे शब्द जिसमें 'र' के बाद का वर्ण भी स्वर रहित हो तो रेफ का प्रयोग उसके अगले वर्ण के सिर पर लगता है, जैसे—

व् + अ + र् + ण् + य् + अ = वर्ण्य

अ + र् + घ् + य् + अ = अर्घ्य

विशेष द्रष्टव्य

- कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसमें दो रेफों का प्रयोग लगातार होता है, जैसे—धर्मार्थ, पूर्वार्द्ध, वर्षर्तु।
- रेफ का प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षर में नहीं लग सकता।
- स्वर वर्ण 'ई' के सिर पर लगा चिह्न और रेफ का चिह्न एक समान होता है, प्रयोग के समय ध्यान दें।
- 'र' के ऊपर भी रेफ का प्रयोग हो सकता है, जैसे—खर्र–खर्र अंतर्राष्ट्रीय इत्यादि।

नीचे पदेन

'्र' यह 'र' का नीचे पदेन वाला रूप है। 'र' का यह रूप भी स्वर रहित है। यह 'र' का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त 'र' का यह रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे—क्र, प्र, म्र इत्यादि।

जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती हैं उसे ही हम खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं, जैसे—क, ख, ग, च, म, प, य इत्यादि।

पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का रूप ् इस तरह का होता है, जैसे—
राष्ट्र, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर इत्यादि।

जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर बहुत थोड़ी मात्रा में आती हैं उसे ही हम पाई रहित व्यंजन कहते हैं, जैसे—ट, ठ, द, ड, इत्यादि।

'द' और 'ह' में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो 'द् + र = द्र' और 'ह् + र = ह्र' हो जाता है, जैसे—दरिद्र, रुद्र, ह्रद, ह्रास इत्यादि।

'त' और 'श' में जब नीचे पदेन का प्रयोग होता है तो 'द् + र = द्र' और 'ह् + र = ह्र' हो जाता है, जैसे—त्रिशूल, नेत्र, श्रमिक, अश्रु इत्यादि।

विशेष द्रष्टव्य

- ् का प्रयोग केवल 'ट' और 'ड' व्यंजन वर्णों के साथ ही होता है। 'ड्र' से अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का ही निर्माण होता है।
- कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें दो नीचे पदेन का प्रयोग एक ही शब्द में हो सकता है, जैसे—प्रक्रम, प्रकार्य इत्यादि।
- कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें नीचे पदेन का प्रयोग एक ही शब्द में हो सकता है, जैसे—आर्द्र, पुनर्प्रस्तुतीकरण इत्यादि।

'र' और 'ऋ' में निहित अंतर

- 'र' और 'ऋ' में निहित अंतर को समझना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा क्योंकि कभी–कभी कुछ छात्र 'र' और 'ऋ' से जुड़ी गलतियाँ कर बैठते हैं।

- 'र' व्यंजन वर्ण है और 'ऋ' स्वर वर्ण
- 'र' का रूप क्र, र्क, ट्र और 'ऋ' की मात्रा ' ृ ' है, जैसे–ग्रह और गृह
- 'ऋ' का प्रयोग जिस किसी भी शब्द के साथ होता है, वह तत्सम (संस्कृत के शब्द) शब्द ही होता है।
- 'ऋ' का उच्चारण अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग तरीके से होता है, कृष्णा शब्द का उच्चारण बिहार, दिल्ली में Krishna और ओडिशा, महाराष्ट्र में Krushna होता है, अर्थात् भाषा चलन के अनुसार कहीं 'रि' और 'रु' हो जाता है।

व्यंजनों का वर्गीकरण : उच्चारण स्थान के आधार पर (एक परिप्रेक्ष्य)

वर्ण नाम	उच्चारण स्थान	अघोष अल्पप्राण	अघोष महाप्राण	सघोष अल्पप्राण	सघोष महाप्राण	सघोष अल्पप्राण नासिक्य
कंठ्य	कंठ	क	ख	ग	घ	ङ
तालव्य	तालु (मुँह के भीतर की छत का पिछला भाग)	च	छ	ज ज़	झ	ञ
मूर्धन्य	मूर्धा (मुँह के भीतर की छत का अगला भाग)	ट	ठ	ड	ढ ढ़	ण
दंत्य	ऊपरी दाँतों के निकट से	त	थ	द	ध	न
ओष्ठ्य	दोनों ओठों से	प	फ फ़	ब	भ	म
तालव्य	तालु (मुँह के भीतर की छत का अगला भाग)	–	श	य		
वर्त्स्य	दंत + मसूड़ा (दंत मूल से)	–	स	र, ल		
दंत्योष्ठ्य	ऊपर के दाँत + निचला ओंठ	–	–	व		
मूर्धन्य	मूर्धा (भीतर की छत का अगला भाग)	–	ष	–		
स्वरयंत्रीय	स्वर यंत्र (कंठ के भीतर स्थित)	–	–	–	ह	
उत्क्षिप्त	जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आये।	–	–	ड़	ढ़	

विशेष–

आगत/गृहीत ध्वनियाँ (क़, ख़, ग़, ज़, फ़) ऑ।

वर्णमाला (स्वर एवं व्यंजन) संक्षिप्त पुनरावलोकन

- **स्वर**—जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं।
- **ह्रस्व स्वर**—जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं।
- **दीर्घ स्वर**—जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं।
- ह्रस्व स्वर हैं—**अ, इ, उ, ऋ**
- मूल स्वर हैं—**अ, इ, उ, ऋ**
- दीर्घ स्वर हैं—**आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ**
- आगत स्वर है—**ऑ**
- अग्र स्वर हैं—**इ, ई, ए, ऐ**
- मध्य स्वर हैं—**अ**
- पश्च स्वर हैं—**आ, उ, ऊ, ओ, औ, ऑ**
- संवृत स्वर हैं—**ई, ऊ, इ, उ**
- अर्द्ध संवृत हैं—**ए, ओ**
- विवृत हैं—**आ**
- अर्द्ध विवृत हैं—**ए, अ, ओ, औ**
- व्यंजनों की संख्या—**(41)**
- स्पर्श व्यंजनों की संख्या—**(25)**
- अंत:स्थ व्यंजनों की संख्या—**(4)**
- ऊष्म व्यंजनों की संख्या—**(4)**
- आगत व्यंजनों की संख्या—**(2)**
- संयुक्त व्यंजनों की संख्या—**(4)**
- **क-वर्ग** ध्वनियाँ हैं—**क्, ख्, ग्, घ्, ङ्**
- **च-वर्ग** ध्वनियाँ हैं—**च्, छ्, ज्, झ्, ञ्**
- **ट-वर्ग** ध्वनियाँ हैं—**ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण् (ड़्, ढ़्)**
- **त-वर्ग** ध्वनियाँ हैं—**त्, थ्, द्, ध्, न्**
- **प-वर्ग** ध्वनियाँ हैं—**प्, फ्, ब्, भ्, म्**
- **अन्त:स्थ** व्यंजन हैं—**य, र, ल, व**
- **अर्धस्वर** हैं—**य, व**
- **लुंठित** व्यंजन हैं—**र**

- **पार्श्विक** व्यंजन हैं—**ल**
- **ऊष्म-संघर्षी** व्यंजन हैं—**स, श, ष, ह**
- **उत्क्षिप्त** व्यंजन हैं—**ड़, ढ़**
- अघोष वर्ण हैं—**प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श, ष, स**
- घोष वर्ण हैं—**प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व, ह**
- अल्पप्राण व्यंजन हैं—**प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अन्त:स्थ वर्ण**
- महाप्राण व्यंजन हैं—**प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण**
- नासिक्य व्यंजन हैं—**ङ्, ञ्, ण्, न्, म्**
- कंठ व्यंजन हैं—**क्, ख्, ग्, घ्, ङ्**
- तालव्य व्यंजन हैं—**च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, श्, य्**
- मूर्धन्य व्यंजन हैं—**ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण, (ढ़), ष**
- दंत्य व्यंजन हैं—**त्, थ्, द, ध्, न्**
- ओष्ठ्य व्यंजन हैं—**प्, फ (फ़), ब्, भ्, म्**
- दंत्योष्ठ्य व्यंजन हैं—**व्**
- स्वरयंत्रीय व्यंजन हैं—**ह्**

6. वर्तनी

''किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है, उसे वर्तनी कहते हैं।'' उर्दू में वर्तनी के लिए 'हिज्जे' तथा अंग्रेजी में 'स्पेलिंग' शब्द का प्रयोग होता है।

विशेष—

भाषा की शुद्धता वर्तनी की शुद्धता पर निर्भर करती है। वर्तनी की शुद्धता बहुत हद तक उच्चारण की शुद्धता पर निर्भर करती है। यदि हम उच्चारण गलत करते हैं तो वर्तनी भी अशुद्ध ही लिखी जाती है।

7. वर्तनी की अशुद्धियों के कारण

7.1 उच्चारण की अशुद्धता—गलत उच्चारण से वर्तनी भी गलत हो जाती है। उदाहरण—

अशुद्ध	शुद्ध
अध्यन	अध्ययन
उषा	ऊषा
आधीन	अधीन

7.2 व्याकरणिक जानकारी का अभाव—संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि की जानकारी न होने पर भी बहुत सारे शब्द गलत लिखे जाते हैं। उदाहरण—

अशुद्ध	शुद्ध
उज्वल	उज्ज्वल
अनुग्रहीत	अनुगृहीत
आलांकारिक	अलंकारिक

7.3 लिपि की अस्पष्टता—लिपि की अस्पष्टता के कारण भी वर्तनी की गलतियाँ होती हैं। द, क्ष, व, श, स का भेद न जानने के कारण प्राय: वर्तनी की त्रुटियाँ होती हैं। उदाहरण—

अशुद्ध	शुद्ध
छत्रिय	क्षत्रिय
बर	वर
क्षात्र	छात्र
सरद्	शरद्

7.4 क्षेत्रीय प्रयोग—हिन्दी का मानक रूप एवं मानक उच्चारण ही सही होता है किन्तु कुछ लोग अपने क्षेत्र में प्रचलित प्रयोग के कारण गलतियाँ करते हैं। उदाहरण—

अशुद्ध	शुद्ध
एगारह	ग्यारह
असनान	स्नान
उणतीस	उन्तीस

7.5 अतिशोधन—कुछ लोग हिन्दी को अति शुद्ध करने के चक्कर में उसके शब्दों की वर्तनी अशुद्ध कर देते हैं। उदाहरण—

विभिन्न शुद्ध शब्दों का अशुद्ध रूप

अशुद्ध	शुद्ध
प्रशाद	प्रसाद
इक्षा	इच्छा
मिश्रा	मिश्र
अनाधिकार	अनधिकार
अहार	आहार
तिथी	तिथि
सुक्ति	सूक्ति
कोरव	कौरव
करय	क्रय
गरूण	गरुड़
गोपनिय	गोपनीय
छुधा	क्षुधा
ज्योत्सना	ज्योत्स्ना
जाग्रिति	जागृति
जगत जननी	जगज्जनी
तरुछाया	तरुच्छाया
दारिद्रता	दरिद्रता
विरहणी	विरहिणी
शक्ती	शक्ति
प्रतिछाया	प्रतिच्छाया
वाहनी	वाहिनी
बिराट	विराट्

अशुद्ध	शुद्ध
विश्लेसण	विश्लेषण
बहिस्कार	बहिष्कार
मान्यनीय	माननीय
यद्यपि	यद्यपि
योगीवर	योगिवर
राजनैतिक	राजनीतिक
रीतु	ऋतु
रिण	ऋण
अनभिग्य	अनभिज्ञ
अपरान्ह	अपराह्न
विकाश	विकास
वेष	वेश
शशी	शशि
सौन्दर्यनुभूति	सौन्दर्यानुभूति
संग्रहित	संगृहीत
हतिबुद्ध	हतबुद्धि
हिरण्यकश्यपु	हिरण्यकश्यप
कियारी	क्यारी
अवश्यकीय	आवश्यक
आस्विकार	अस्वीकार
अन्तर्कथा	अन्तःकथा

अशुद्ध	शुद्ध
सन्चार	संचार
समिक्षा	समीक्षा
सम्भवतह	सम्भवतः
सौजन्यता	सौजन्य
ओपचारिक	औपचारिक
प्रमाणिक	प्रामाणिक
प्राज्वलित	प्रज्वलित
वीराजमान	विराजमान
वीधि	विधि
विषेस	विशेष
प्रौड़	प्रौढ़
परितिज्ञा	प्रतिज्ञा
विश्वभर	विश्वम्भर
सन्मुख	सम्मुख
हस्क्षेप	हस्तक्षेप
ऋषीकेस	ऋषिकेश
एतिहासिक	ऐतिहासिक
पुष्पवलि	पुष्पावली
प्रदर्शीनी	प्रदर्शनी
पोशक	पोषक

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. हिन्दी शब्दकोश में "क्ष" का क्रम किस वर्ण के बाद आता है ?
(A) क (B) छ
(C) त्र (D) ज्ञ

2. प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग-अलग दिखाना क्या कहलाता है ?
(A) वर्ण संयोजन (B) वर्ण-विच्छेद
(C) संधि (D) संधि-विच्छेद

3. वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है ?
(A) 25 (B) 30
(C) 20 (D) 35

4. स्वर ए-ऐ का उच्चारण स्थान कौन-सा है ?
(A) कंठोष्ठ (B) दंतोष्ठ
(C) कण्ठ तालव्य (D) ओष्ठ

5. हिन्दी शब्दकोश में 'क' के बाद कौन-सा व्यंजन दिखाई देता है ?
(A) झ (B) च
(C) ख (D) क्ष

6. इनमें से कौन–सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है ?
(A) ग्रीवा ध्वनि (B) मूर्धा ध्वनि
(C) कंठ ध्वनि (D) दन्तोष्ठ्य

7. किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है ?
(A) ग (B) झ
(C) न (D) म

8. जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं ?
(A) आगत (B) ऊष्म
(C) अंतस्थ (D) अयोगवाह

9. स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बाँटा गया है ?
(A) एक (B) दो
(C) तीन (D) चार

10. जिह्वा की नोंक जब ऊपर के दाँतो की पंक्ति के सामने वाले दाँत के ऊपरी हिस्से के सम्पर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है ?
(A) दंत्य (B) मूर्धन्य
(C) तालुव्य (D) वर्त्स्य

11. निम्न में दंत्य वर्ण कौन-सा है ?
(A) स (B) प
(C) ट (D) ह

12. निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन-सा है ?
(A) प (B) ब
(C) म (D) थ

13. निम्न में कौन-सा वर्ण घोष है ?
(A) क (B) ख
(C) च (D) ग

14. निम्न में अन्तस्थ व्यंजन कौन-सा है ?
(A) क (B) च
(C) ट (D) य

15. प, फ, ब, भ, म ....व्यंजन होते हैं।
(A) दंत्य (B) ओष्ठ्य
(C) तालव्य (D) कंठ्य

16. 'प्र' में पूर्ण वर्ण है—
(A) प (B) र
(C) दोनों (D) कोई नहीं

17. निम्न में कौन-सा शब्द अशुद्ध है ?
(A) पुष्प (B) पुज्य
(C) परिस्थिति (D) प्रशंसा

18. कौन-सा शब्द शुद्ध है ?
(A) छियालीस (B) छयालीस
(C) छियालिस (D) छयालिस

19. निम्न में शुद्ध शब्द बताइए—
(A) उज्ज्वलन (B) उज्वलन
(C) उज्झलन (D) उजलन

20. निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है—
(A) आनुषंगिक (B) आध्यात्मिक
(C) इतिहासिक (D) दायित्व

21. वर्तनी की दृष्टि से कौन-सा शब्द सही है ?
(A) स्वतंत्रय (B) स्वातंत्र्य
(C) स्वतंत्र्य (D) स्वातंतृय

22. आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्शृंखला आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें—
(A) उत्शृंखलता (B) उच्चशृंखलता
(C) उच्छृंखलता (D) उच्श्रृंखलता

उत्तरमाला

1. (A) **2.** (B) **3.** (A) **4.** (C) **5.** (D)
6. (A) **7.** (B) **8.** (D) **9.** (B) **10.** (D)
11. (A) **12.** (C) **13.** (D) **14.** (D) **15.** (B)
16. (B) **17.** (A) **18.** (A) **19.** (C) **20.** (B)
21. (B) **22.** (B)

❑❑

Chapter 1
Articles

1. Introduction

Modern English Grammar में Articles को determiners के अन्तर्गत रखा गया है। Demonstrative Adjectives के समान कार्य करने वाले '**A**', '**An**' तथा '**The**' को Articles कहा जाता है।

2. Difference between Article and Adjective

Article और Adjective के बीच मुख्य अन्तर यह है कि Adjective को Noun के साथ या स्वतन्त्र रूप (independently) से प्रयोग किया जा सकता है लेकिन Article को Noun के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

Examples :
- He is **a** good man, or say, 'He is good'.
- He is **a** man, but we can not say 'He is a'.

An Article is an 'Adjective' or a'Determiner' which indicates whether the 'Noun' is definite or indefinite; They impart effectiveness and accuracy to the Nouns.

Examples :
- She is girl.
- He is an intelligent boy.
- He saw the doctor . (कोई विशेष डॉक्टर)

3. Kinds of Article

Articles दो प्रकार के होते हैं।

Articles

↓

Indefinite Articles	Definite Articles
A, An	The

I. Indefinite Article—'A' और **'An'** Indefinite Articles कहलाते हैं क्योंकि वे कहे गये व्यक्ति अथवा वस्तु को अनिश्चित दर्शाते हैं।

इनका प्रयोग Indefinite Singular Countable Noun के पूर्व किया जाता है।

Examples :
- **A** popular leader died in **an** accident.
- She has **a** toy.

Note :-

विद्यार्थीगण को ध्यान रखना चाहिए कि English Grammar में Article 'a' और 'an' का प्रयोग मुख्य रूप से ध्वनि (sound) द्वारा निर्धारित किया जाता है

- व्यंजन (consonant) से शुरू होने वाले शब्दों (words) के पहले 'a' Article का प्रयोग किया जाता है, जैसे—
  (i) **a** girl (ii) **a** pen
  (iii) **a** child (iv) **a** woman
- जो शब्द Vowel (स्वर) से शुरू होते हैं लेकिन उनकी ध्वनि Consonant की होती है। तो 'a' Article का प्रयोग किया जाता है।
  - **a** union
  - **a** one eyed man
  - **a** utensil
  - **a** universal problem.
- 'an' का प्रयोग उन शब्दों के साथ होता है जो vowel (a, e, i, o, u) की ध्वनि से प्रारम्भ होते हैं, जैसे—
  an apple, **an** umbrella, **an** ass, **an** engineer
- **'an'** का प्रयोग 'h' silent वाले शब्दों के साथ होता है, जैसे—
  an hour, **an** heir, **an** honest, **an** hourly visit, **an** heirloom
- 'an' का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है जिनका प्रथम अक्षर consonant है पर ध्वनि vowel की है, जैसे—
  an MLA, **an** LLB student, **an** FIR, **an** MP, **an** X-Ray

II. 'The' : The Definite Article

'The' का प्रयोग पूर्व निर्धारित व्यक्ति या वस्तु के लिये किया जाता है; जैसे—He is a boy. The boy is gentle. पहले वाक्य में boy के साथ 'a' आया है पर दूसरे वाक्य में boy के साथ 'the' का प्रयोग हुआ है। यहाँ 'the' का Anaphoric use है, क्योंकि 'the' का प्रयोग पूर्वचर्चित Noun (boy) के साथ हुआ है, अर्थात् 'the' पीछे की ओर मुड़कर उस Noun के साथ आया है, जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है।

नीचे इस context में विशेष नियम दिये गये हैं—

(i) 'The' का प्रयोग उन nouns से पहले किया जाता है जो एकमात्र हैं।

सारे **natural objects** (प्राकृतिक वस्तुयें) और **phenomena** (अद्भुत वस्तु) इसी के अन्तर्गत आते हैं—

The sun, the planets, the solar eclipse, the lunar eclipse.

(ii) Superlative से पहले 'The' का प्रयोग किया जाता है—

She is **the most** beautiful girl of our class

↓ ↓

Article Superlative

Examples :
- The Lata (×)
- Lata (✓)
- The Delhi (×)
- Delhi (✓)

(iii) **Nationality Words :** The American, the English, the Indians.

Countries/States with combination of more than one unit : The United kingdom (The U.K.)

The United States of America (The U.S.S.R.)

The Sudan, The Netherlands

(iv) **Mountains :** The Himalayas, the Vindhyas, the Alps

↓ **Plural** (the Himalayas) ↓ **Plural** (the Vindhyas)

जो पहाड़ Singular हो, उसके पहले the का प्रयोग नहीं होता।

Examples :
- Everest/Mount Abu. (✓)
- The Everest/The Mount Abu. (×)

(v) **नीचे दिये गये निम्न नामों से पहले—**

(A)	**River**	:	The Ganges/The Ganga, The Koshi, The Krishna, The Brahmputra, The Sone, etc.
(B)	**Sea**	:	The Red sea, The Mediterranian sea, The Arabian sea, etc.
(C)	**Ocean**	:	The Atlantic ocean, The Pacific ocean, etc.
(D)	**Bay**	:	The Bay of Bengal, The Bay of Biscay, etc.
	लेकिन, Hudson bay (हड्सन की खाड़ी) के पूर्व The का प्रयोग नहीं होता है।		
(E)	**Gulf**	:	The Gulf of Mexico.
(F)	**Canal**	:	The Panama Canal, The Suez Canal, etc.
(G)	**Cape**	:	The Cape of Good Hope.
(H)	**Desert**	:	The Desert of Sahara/ The Sahara Desert, The Thar Desert.

(vi)

(A)	**Train**	:	The Himgiri Express, The Magadh Express, The Punjab Mail, The Intercity, etc.
(B)	**Aeroplane**	:	The Kashmir Princess, The Boeing, etc.
(C)	**Ship**	:	The Vikrant, The Victoria, The Queen Mary, etc.

(vii)

•	**Name of Some :**	The Sudan, The Netherlands, **Countries** The Congo, The Yemen (यदि 'the' का प्रयोग नहीं करेंगे तो यह उस देश में बोली जाने वाली भाषा होगी) The Russian, The French, The English, The Press, etc.

(viii)

(A)	**Physical position**	:	on/at the top of, at the bottom of, the outer of, the front of, the bank of, etc.
(B)	**Geographical Direction**	:	The east, The west, The south, The north, etc.
(C)	**Physical Environment**	:	The rain, The fog, The wind, The weather, The seaside, The sunshine.

(A)	**Political Party**	:	The Bhartiya Janta Party, The Congress Party, The Rastriya Janta Dal, etc.
(B)	**Religious Community**	:	The Hindus, The Sikhs, The Muslims, The Christians, etc.
(C)	**Religious Books**	:	The Geeta, The Mahabharata, The Ramayana, The Quoran, The Holy Bible, The Illiad, etc.

परन्तु यदि पुस्तक के नाम से पहले लेखक का नाम लिखा हो तो 'the' का प्रयोग नहीं होगा।

Examples :

The Balmiki's Ramayana. (×)

Balmiki's Ramayana. (✓)

(x)

(a)	**Armed forces**	:	The Police, The Army, The Navy, The Air Force, etc.
(b)	**Government Branches**	:	The Executive, The Legislative, The Ministry of Finance, The tax department, The Judiciary, etc.

(xi)

(A)	**Hotel & Restaurant**	:	The Maurya, The Grand Hotel, The Suraj, The Samrat Inter-national, The Taj Hotel, etc.
(B)	**Theatre/Club**	:	The Apsara, The Lions Club etc.
(C)	**Museum & Library**	:	The British Museum, The British Library, etc.

(D) Newspapers	:	The Hindustan Times, The Indian Express, The New York Times, The Times of India, etc.

(xii) लेकिन parliament के पूर्व 'the' का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है।

Important Buildings	:	The White House, The Rashtrapati Bhawan, The Parliament Street. परन्तु यदि पहले किसी व्यक्ति का नाम लगा हो तो the का प्रयोग नहीं होगा।

Examples :
- Anand Bhawan (✓)
- The Anand Bhawan. (×)

(a)	**Empire**	:	The Roman Empire, The Mughal Empire etc.
(b)	**Historical Buildings**	:	The Qutub Minar, The Red Fort, The Taj Mahal, The Charminar etc.
(c)	**Dynasty**	:	The Slave Dynasty, The Mauryan Dynasty, The Gupta Dynasty etc.
(d)	**Historical Periods/ Age**	:	The Victorian Period, The Victorian Age, The Elizabethan Age etc.
(e)	**Historical Events**	:	The French Revolution The Russian Revolution, The Battle of Panipat, The Quit India Movement, etc.

(F)	**Historical Events**	:	The French Revolution

(xiii)

Ordinial Numbers के पहले 'the' का प्रयोग होता है।	:	The third, The sixth. यदि ऐसी संख्या को Roman figures में व्यक्त किया जाय तो उसके साथ the का प्रयोग नहीं होता। जैसे–George V Edward I

(xiv)

Adjective का प्रयोग Noun के रूप में होने पर	:	The rich (rich people) The poor (poor men) The dead (all dead people), The deaf, The blind, The handicapped, The old, etc.

(xv)

(A) Professions के पहले the का प्रयोग होता है।	:	The Bench The Poet, The Author, The Bar
(B) Musical Instrument के पहले प्रयोग किया जाता है।	:	The table, The flute.

(xvi)

(A)	**Parts of body : (शरीर के अंग)**	The body, the arms. Games/Sports make the body strong.
(B)	**किसी आविष्कार : Invention) से पहले**	The Telephone, The Cinema, The Radio.
(C)	**व्यक्ति के पद से : पहले (Designation)**	The S.P., The Chairman, The Principal, The Editor.
(D)	'The' का प्रयोग **Surnames** (उपनामों) के पहले किया जाता है जब वे पूरे परिवार या पति और पत्नी को इंगित करने के लिए बहुवचन में प्रयोग किये जाते हैं। I was invited by the Reddys, the Birlas, the Tatas.	

III. Omission of Articles–वे स्थितियाँ जहाँ Articles का प्रयोग नहीं किया जाता है, निम्नलिखित हैं–

(i) किसी भाषा **(Language),** रंग **(Colour)** तथा विषय **(Subject)** या Home के पहले **Article** का प्रयोग नहीं किया जाता है।

Examples :
- I can speak English and Hindi both.
- Apples are red.
- He is good at Mathematics.
- I reached home at 7 pm.

(ii) दिनों **(Days),** महीनों **(Months),** त्योहारों **(Festivals)** के नामों के पहले **Article** का प्रयोग नहीं किया जाता है

Examples :
- They came here on Monday.
- She will go to Agra in May.

(iii) जब **Common Noun** man, woman, life, death, science, art, nature etc. का प्रयोग व्यापक अर्थ **(Widest sense)** में किया जाता है, तो उसके पहले **Article** का प्रयोग नहीं किया जाता है।

Examples :
- **Man** is Mortal.
- **Woman** is another name of sacrifice.
- **Life** is not a bed of roses.

(iv) व्यक्तिवाचक संज्ञा **(Proper Noun),** द्रव्यवाचक संज्ञा **(Material Noun)** तथा भाववाचक संज्ञा **(Abstract Noun)** के पहले **Article** का प्रयोग नहीं किया जाता है।

Examples :
- We drink **water.**
- **Honesty** is the best policy. } Abstract Noun
- **Virtue** has its own reward. } Abstract Noun
- Shakespeare was a great poet.
- She lives in Agra.

परन्तु, जब इन Nouns को **Definite** करना होता है तो इनके पहले **'The'** का प्रयोग किया जाता है। **देखिए—**

The gold of Alok's ring is not pure.

Where is **the milk** Suman has bought ?

We should appreciate **the honesty** of Chandan.

(v) यदि Proper Noun का प्रयोग Common Noun की तरह किया जाए तो उसके पहले Article का प्रयोग किया जाता है।

Example :
- Samudragupt is the Napoleon of India.

(vi) किसी खेल **(Game & Sports)** तथा hobbies के नाम के पहले **Article** का प्रयोग नहीं किया जाता है।

Examples :
- We like **a** cricket. (×)
- I used to play **a** football. (×)
- She plays **the** tennis. (×)
- Gardening is his hobby. (✓)
- Swimming is her profession. (✓)

(vii) कुछ Nouns के पहले Article का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता है, जब वहाँ का उद्देश्य वही हो, जिसके लिये इसका निर्माण किया गया है। वैसे Nouns निम्नलिखित हैं—

School, College, University, Bed, Church, Mosque, Jail, Temple, Court, Hospital, Market.

Examples :
- Children go to **the** school at 10 A.M. (×)
  (for the purpose of study)
- She goes to **the** temple at 5 P.M. (×)
  (for the purpose of prayer)
- The injured persons were sent to **the** hospital. (×)
  (for treatments)

परन्तु यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य कोई दूसरा हो, तो इनके पहले 'The' का प्रयोग किया जाता है।

Examples :
- **The** college is near competition success. (✓)
- I found her near **the** church. (✓)

Note : Office, Cinema, Movie, Picture, Station, Bus stop, Circus etc. के पूर्व 'The' का प्रयोग किया जाता है।

(viii) भोजन (खाने) के नामों **(Names of meals)** के पहले सामान्यतया Article का प्रयोग नहीं किया जाता है।

Examples :
- I had **a** lunch at 2 P.M. (×)
- He couldn't have **the** breakfast today. (×)

परन्तु यदि इनके पहले कोई **Adjective** का प्रयोग किया गया हो, तो उसके पहले **'A/An'** का प्रयोग किया जाता है और यदि इसको **Particular reference** किया गया हो, तो उसके पहले **'The'** का प्रयोग किया जाता है।

Examples :
- We had **a delicious breakfast** yesterday morning. (✓)
- **The** dinner hosted by Yogita was superb. (✓)

(ix) यदि दिन और रात के हिस्सों **(Parts of the day and night)** के पहले **at, before, after, by** का प्रयोग किया गया हो, तो उनके पहले **Article** का प्रयोग नहीं किया जाता है।

Parts of the Day & Night :

Down, daybreak, sunrise, noon, evening, dusk, twiling, night, midnight.

Examples :
- They came to me at night. (✓)
- The students met me before evening. (✓)
- I met him at **the** dawn. (×)
  I met him at dawn. (✓)

(x) जब किसी Noun के पहले Possessive Adjective (my/our/your/his/her etc.) और Demonstratives Adjective (this/that/these/those etc.) का प्रयोग हो तो उस Noun के पहले Article का प्रयोग नहीं किया जाता है।

Examples :
- This is my book. (✓)
- This is a my book. (×)
- I like this car. (✓)
- I like the this car. (×)

Important Questions

1. Fill in the blanks with the correct article :
Neil Armstrong was _____ first man to walk on _____ moon.
(A) the, the (B) an, a
(C) a, the (D) an, the

2. Fill in the blanks with the correct article :
Yesterday I saw____European riding on______ elephant.
(A) a, a (B) the, the
(C) a, an (D) a, the।

3. Fill in the blanks with the correct articles.
.... Taj Mahal is ....monument symbolising love.
(A) The, a (B) A, an
(C) The, an (D) A, the

4. Fill in the blank with the most suitable article. We were watching.........news on BBC last evening.
(A) a (B) the
(C) an (D) None of these

5. Find out the incorrect sentence :
(A) The apples are grown in many different countries

(B) Books are essential to a student

(C) Chess is a game which requires great patience

(D) The Sharmas live at Elgin Road

6. Fill in the blanks–

Ritu is .... most active girl in .... family.

(A) the, a (B) the, the

(C) a, the (D) a, a

7. Fill in the blank in the following sentence :

The teacher has been teaching for _____ hour.

(A) two (B) three

(C) a (D) an

8. Select the sentence in which the article has been wrongly used.

(A) He is MA

(B) Twelve inches make a foot

(C) A pupil should obey his teacher

(D) He is a European

9. Fill the correct articles in the sentence :

........Sun rises in .... East.'

(A) A, the

(B) The, the

(C) The, a

(D) An, a

Direction (Q. No. 10 to13)

Choose the appropriate articles for the given sentence :

10. I am making Mom and Dad________ Christmas present that I will send through ______mail.

(A) a, the (B) a, a

(C) an, a (D) a, an

11. _____AICTE is all set to deliver_____ lethal blow to all those institutions that are not following their prescribed norms.

(A) The, a

(B) A, a

(C) A, the

(D) The, the

12. She is______expert in vocational and communication skills management for_____BPO sector.

(A) a, the (B) the, a

(C) an, the (D) the, an

13. On his fifteenth birthday, the boy made ____unreasonable demand from his parents for_____car.

(A) the, the (B) an, a

(C) the, an (D) a, an

Direction (Q. No. 14 to 17)

Choose the appropriate articles for the given sentence :

14. There was............signboard at.......entrance of the boutique informing passers by about its launch, next month.

(A) a, the (B) an, an

(C) an, the (D) an, a

15. He has........nerve to publish.........article that could cause friction among the different sections of society.

(A) a, a (B) the, the

(C) an, a (D) the, an

16. ....lack of communication skills is frustrating and can make..........aspiring student oversensitive.

(A) An, the (B) A, a

(C) An, a (D) The, an

17. Instead of...........apple, she ate.......bowl of porridge for breakfast this morning.

(A) a, the (B) an, the

(C) an, a (D) the, an

Direction (Q. No. 18 to 20)

Choose the appropriate articles for the given sentence :

18. The jury will hold......... emergency meeting half....... hour before announcing its decision.

(A) an, an (B) a, a

(C) an, a (D) a, an

19. .... diploma in computer science from........ university in India is recognised globally.

(A) A, an (B) An, an

(C) A, a (D) The, the

20. .... importance of having........... backup of all data in your computer cannot be minimized.

(A) A, an (B) A, a

(C) An, a (D) The, a

Answers

1. (A) **2.** (C) **3.** (A) **4.** (B) **5.** (D)
6. (B) **7.** (D) **8.** (A) **9.** (B) **10.** (A)
11. (A) **12.** (C) **13.** (B) **14.** (A) **15.** (D)
16. (D) **17.** (C) **18.** (A) **19.** (C) **20.** (D)

❐❐

अध्याय 1

संख्या पद्धति

संख्याएँ (Numbers)

I. **अंक (Digits)**–0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तथा 9 को गणित में अंकों की परिभाषा दी गई है। इन अंकों के द्वारा विभिन्न संख्याओं का निर्माण किया जाता है। जैसे–10, 123, 456, 789 इत्यादि।

II. **संख्यांक प्रणाली (Number System)**–संख्यांक प्रणाली में मुख्यत: दो प्रकार की प्रणाली निहित होती है–(i) दाशमिक अंकन प्रणाली, (ii) रोमन अंकन प्रणाली।

(i) **दाशमिक अंकन प्रणाली (Decimal Number System)**–0 से 9 अर्थात् दस अंकों के होने के कारण इसे दाशमिक अंकन प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली में संख्याओं को दो प्रकार से लिखा और पढ़ा जाता है–(i) भारतीय संख्या प्रणाली, (ii) अन्तर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली।

भारतीय संख्या प्रणाली के अन्तर्गत संख्याओं को उनके स्थानीय मानों के अनुरूप पढ़ा और लिखा जाता है। इन संख्याओं को नीचे दी गई तालिका के अनुसार पढ़ा जाता है।

दस करोड़	करोड़	दस लाख	लाख	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
10^8	10^7	10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	$10^0 = 1$

उदा. : संख्या 51, 45, 42, 786 को इकयावन करोड़, पैंतालीस लाख, बयालीस हजार सात सौ छियासी पढ़ा जाता है।

1 दहाई = 10 इकाइयाँ
1 सैकड़ा = 10 दहाइयाँ
= 100 इकाइयाँ
1 हजार = 10 सैकड़ा
= 100 दहाइयाँ
1 लाख = 100 हजार
= 1000 सैकड़ा
1 करोड़ = 100 लाख
= 10,000 हजार

अन्तर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली के अन्तर्गत सभी संख्याओं को निम्नलिखित तालिका के अनुसार पढ़ा और लिखा जाता है।

दस मिलियन	एक मिलियन	सौ हजार	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
10^7	10^6	10^5	10^4	10^3	10^2	10^1	$10^0 = 1$

उदा. : संख्या 14, 542, 786 को अन्तर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली में चौदह मिलियन पाँच सौ बयालीस हजार सात सौ छियासी पढ़ा जाता है।

	करोड़	दस लाख	लाख	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई
1 4 5 4 2 7 8 6	1	4	5	4	2	7	8	6
	दस मिलियन	मिलियन	सौ हजार	दस हजार	हजार	सैकड़ा	दहाई	इकाई

(ii) **रोमन अंकन प्रणाली (Roman Number System)**–इस प्रणाली में संख्या लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन द्वारा दर्शायी जाती है। वर्तमान में उपयोग किये जाने वाले रोमन अंक, सात प्रतीकों पर आधारित हैं।

रोमन प्रणाली	I	V	X	L	C	D	M
हिन्दू अरेबिक प्रणाली	1	5	10	50	100	500	1000

उदा. : 25 को XXV तथा 101 को CI लिखा जाता है।

(i) किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है।

(ii) किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति तीन से अधिक बार नहीं की जाती है। संकेत V, L व D की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती है।

(iii) यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है।

(iv) यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर लग जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को घटा दिया जाता है।

(v) संकेत V, L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है। संकेत I को केवल V और X में से घटाया जा सकता है। संकेत X को केवल L, M व C में से ही घटाया जा सकता है।

सबसे बड़ी संख्याएँ एवं छोटी संख्याएँ–

इकाई–अंक 0 से 9 तक इकाई अंक होते हैं। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी 1–अंक की संख्या क्रमश: 0 तथा 9 है।

दहाई–10 से 99 तक की संख्याएँ दहाई वाली संख्याएँ होती हैं। संख्या 10, 2–अंकों की सबसे छोटी तथा 99, 2–अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।

सैकड़ा–100 से 999 तक की संख्याएँ सैकड़े वाली संख्याएँ होती हैं। 3–अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्रमश: 100 तथा 999 है।

हजार–1,000 से 9999 तक की संख्याएँ हजार वाली संख्याएँ होती हैं जहाँ, 1000 सबसे छोटी 4-अंकों की संख्या तथा 9,999, 4-अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।

दस हजार–10,000 से 99,999 तक की संख्याओं में 10,000 सबसे छोटी 5-अंकों की संख्या तथा 99,999, 5-अंकों की सबसे बड़ी संख्या है।

लाख—1,00,000 से 9,99,999 तक की संख्याएँ लाख वाली संख्याएँ होती हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या क्रमशः 1,00,000 तथा 9,99,999 है।

दस लाख—10,00,000 से 99,99,999 तक की संख्याएँ दस लाख वाली संख्याएँ हैं। 7-अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्रमशः 99,99,999 तथा 10,00,000 है।

1 करोड़—8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,99,999 तथा सबसे छोटी संख्या 1,00,00,000 है।

अंकों के मान—

स्थानीय मान—दी गई संख्या में किसी अंक का मान उसके स्थानीय मान तथा स्वयं के गुणनफल से प्राप्त मान होता है। जैसे—संख्या 4,89,765 में 6 का स्थानीय मान $6 \times 10 = 60$ होगा, जहाँ 6 को उसके स्थानीय मान अर्थात् दहाई स्थान (10) से गुणा किया गया है। इसी प्रकार उपरोक्त संख्या में 8 का स्थानीय मान 80,000 तथा 4 का स्थानीय मान 4,00,000 होता है।

वास्तविक मान—किसी संख्या में अंक का वास्तविक मान स्वयं संख्या होती है। जैसे—संख्या 59,438 में 9 का वास्तविक मान 9 ही होता है।

नोट—यदि दो अंकों x तथा y से बनी एक संख्या $10x + y$ है, तो x दहाई का अंक तथा y इकाई का अंक होता है।

संख्याओं की तुलना

(i) **संख्याओं की तुलना जिनमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो**—अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है अथवा कम अंकों वाली संख्या अधिक अंकों वाली संख्या से छोटी होती है।

(ii) **संख्याओं की तुलना जिनमें अंकों की संख्या बराबर हो**—आठ अंकों वाली संख्याओं में बायें से दायें क्रमशः करोड़, दस लाख, लाख, दस हजार, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थानों पर लिखे अंकों की तुलना के आधार पर छोटी अथवा बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं।

उदा. 1. : 54,29,683 और 54,29,684 में दस लाख, लाख, दस हजार, हजार, सैकड़ा, दहाई के स्थानों पर लिखे अंक समान हैं तथा इकाई के स्थान पर लिखे अंकों में $3 < 4$ अथवा $4 > 3$ है। अतः

54,29,683 < 54,29,684 अथवा 54,29,684 > 54,29,683

उदा. 2. : 5403100, 2560860, 14580872, 1450378 को आरोही क्रम में लिखिये।

हल : दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में रखने पर इनका आरोही क्रम = 1450378, 2560860, 5403100, 14580872

उदा. 3. : 1329543, 2329543, 13295406, 329543 को अवरोही क्रम में लिखिये।

हल : दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में रखने पर इनका अवरोही क्रम = 13295406, 2329543, 1329543, 329543

संख्याओं का वर्गीकरण (Kinds of Numbers)

दशमलव संख्या पद्धति (Decimal System) में संख्याओं को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आदि अंकों के प्रयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर अलग-अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है।

I. **प्राकृत संख्याएँ (Natural Numbers)**— ये संख्याएँ 1 से प्रारम्भ होती हैं और अनन्त तक जाती हैं। इनके समूह को N से दर्शाते हैं।

$$N = \{1, 2, 3, 4, 5...\}$$

II. **पूर्ण संख्याएँ (Whole Numbers)**—जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्याएँ बन जाती हैं।

$$W = \{0, 1, 2, 3, 4...\}$$

III. **सम संख्याएँ (Even Numbers)**—वे संख्याएँ जो 2 से भाज्य होती हैं, सम संख्याएँ कहलाती हैं।

$$E = \{2, 4, 6, 8, ...\}$$

IV. **विषम संख्याएँ (Odd Numbers)**—वे संख्याएँ जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं, विषम संख्याएँ कहलाती हैं।

$$O = \{1, 3, 5, 7, ...\}$$

V. **पूर्णांक संख्याएँ (Integers)**—धनात्मक व ऋणात्मक चिह्न वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याएँ कहते हैं।

$$I = \{...-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3...\}$$

VI. **अभाज्य संख्याएँ (Prime Numbers)**—1 से बड़ी उन सभी प्राकृत संख्याओं का समूह जिसमें उस संख्या तथा 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित न हो सके। '2' एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और रूढ़ भी है।

$$P = \{2, 3, 5, 7, 11, ...\}$$

VII. **परिमेय संख्याएँ (Rational Numbers)**—वे संख्याएँ जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q कोई ऐसी संख्याएँ हैं जो कि अभाज्य हैं तथा $q \neq 0$ है। इनके समूह को परिमेय संख्या (Rational Number) कहा जाता है।

$$R = \left\{.......\frac{2}{5}, \frac{1}{5}, -4, 0, 4, \frac{7}{5}\right\}$$

VIII. **अपरिमेय संख्याएँ (Irrational Numbers)**—वे संख्याएँ जिनको p/q के रूप में लिखना सम्भव न हो, ऐसी संख्याओं के समूह को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ भी p व q परस्पर अभाज्य संख्याएँ होंगी तथा $q \neq 0$ होगा।

$$L = \{.......\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{7}.........\}$$

IX. **सह अभाज्य संख्या (Co-prime Numbers)**—यदि दो प्राकृतिक संख्याओं का म.स.प. 1 हो, अर्थात् 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखण्ड न हो, तो वे संख्याएँ सह-अभाजय संख्याएँ कहलाती हैं।

उदा. : (2, 3), (4, 5), (5, 9), (13, 14), (15, 16) आदि।

X. **पूर्ववर्ती संख्या (Predecessor Number)**—किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है।

उदा. : 2014 की पूर्ववर्ती संख्या $= 2014 - 1 = 2013$

XI. **परवर्ती संख्या (Successor Number)**—किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है।

उदा. : 2019 की परवर्ती संख्या $= 2019 + 1 = 2020$

संख्याओं का सन्निकट मान

दैनिक जीवन में विशेष परिस्थितियों में संख्याओं के आकलन पर केवल अनुमानित मान प्रयोग किये जाते हैं। जैसे—राशन के मासिक व्यय का अनुमान, शादी में निमंत्रण पत्रों की संख्या का अनुमान, किसी व्यक्ति की उम्र का अनुमानित मान इत्यादि। इस अनुमानित मान को ही संख्याओं का सन्निकट मान कहा जाता है।

संख्याओं में सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए संख्याओं के स्थानीय मान को आधार माना जाता है। कुछ स्थानीय मानों के सन्निकट मान विभिन्न प्रकार से ज्ञात किये जाते हैं।

(i) दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करना—संख्या का दहाई तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए इकाई के अंक का आकलन करते हैं। यदि इकाई का अंक 1, 2, 3 और 4 है, तो वह शून्य के अधिक निकट माना जाता है। यदि इकाई का अंक 5 या उससे अधिक है, तो दहाई के अंक में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है तथा इकाई अंक शून्य हो जाता है।

उदा. : संख्या 9537 का दहाई अंक तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

हल : दी गई संख्या का दहाई अंक तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए इकाई अंक का आकलन किया जाता है। यहाँ, चूँकि इकाई अंक 7 है, इसीलिए संख्या में इकाई अंक शून्य तथा दहाई अंक में 1 अंक की वृद्धि होती है। अतः संख्या 9537 का दहाई अंक तक सन्निकट मान 9540 होगा।

(ii) सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करना—संख्या का सैकड़ा तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए दहाई के अंक का आकलन करते हैं। यदि दहाई का अंक 1, 2, 3 और 4 है, तो वह शून्य के अधिक निकट माना जाता है। यदि दहाई का अंक 5 या उससे अधिक है, तो सैकड़ा के अंक में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है तथा दहाई अंक शून्य हो जाता है।

उदा. : संख्या 7351 का सैकड़ा अंक तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

हल : दी गई संख्या का सैकड़ा अंक तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए दहाई अंक का आकलन किया जाता है। यहाँ, चूँकि दहाई अंक 5 है, इसीलिए संख्या में दहाई और इकाई अंकों के स्थान पर शून्य तथा सैकड़ा अंक में 1 अंक की वृद्धि होती है। अतः संख्या 7351 का सैकड़ा अंक तक सन्निकट मान 7400 होगा।

(iii) हजार तक सन्निकट मान ज्ञात करना—संख्या का हजार तक सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए सैकड़ा अंक का आकलन करते हैं। यदि सैकड़ा का अंक 1, 2, 3 और 4 है, तो वह शून्य के अधिक निकट माना जाता है। यदि सैकड़ा का अंक 5 या उससे अधिक है, तो हजार के अंक में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है तथा सैकड़ा अंक शून्य हो जाता है।

उदा. : संख्या 53458 का हजार अंक तक सन्निकट मान ज्ञात कीजिए।

हल : चूँकि संख्या में सैकड़ा अंक 4 है, इसीलिए सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों के स्थान पर शून्य तथा हजार का अंक यथावत् ही रहता है। अतः संख्या 53458 का हजार अंक तक सन्निकट मान 53000 होगा।

पूर्ण संख्याएँ (Whole Numbers)

प्राकृत संख्याएँ शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती हैं। जब पूर्ण संख्याओं पर संक्रियायें (जोड़–घटाव, गुणा, भाग) प्रयोग की जाती हैं तो अनेक गुणों का पता चलता हैं।

पूर्ण संख्याओं के गुण

(i) प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं।

(ii) सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य (0) है।

पूर्ण संख्याओं के गुणधर्म

(i) संवृत गुण—यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएँ हैं, तो $a + b$ तथा $a*b$ पूर्ण संख्याएँ होंगी।

उदा. : $4 + 5 = 9$, एक पूर्ण संख्या

$4 \times 5 = 20$, एक पूर्ण संख्या

$4 - 5 = -1$, एक पूर्ण संख्या नहीं है।

$4 \div 5 = \frac{4}{5}$, एक पूर्ण संख्या नहीं है।

अतः पूर्ण संख्याएँ व्यवकलन (घटाने) तथा भाग के अन्तर्गत संवृत नहीं होती हैं।

(ii) क्रमविनिमय गुण—पूर्ण संख्याओं के लिए, योग तथा गुणन दोनों ही क्रमविनिमय हैं।

उदा. : $4 + 5 = 9 = 5 + 4$

$7 \times 6 = 42 = 6 \times 7$

परन्तु, $7 - 4 = 3 \neq 4 - 7$

$6 \div 2 = 3 \neq 2 \div 6$

अतः क्रमविनिमय घटाव तथा भाग के लिए उपयोगी नहीं है।

(iii) साहचर्य गुण—पूर्ण संख्याओं के लिए योग तथा गुणन दोनों ही साहचर्य हैं।

उदा. : $4 + (5 + 6) = 4 + 11 = 15$

$(4 + 5) + 6 = 9 + 6 = 15$

$\therefore \quad 4 + (5 + 6) = (4 + 5) + 6$

(iv) वितरण या बंटन गुण—

उदा. : $4 \times (5 + 8) = 4 \times 5 + 4 \times 8$

$4 \times 13 = 20 + 32$

$52 = 52$

उदाहरण से स्पष्ट है कि इसे योग पर गुणन का वितरण गुण कहते हैं।

(v) तत्समक अवयव—

(i) योज्य तत्समक—'0' को योज्य तत्समक कहा जाता है, क्योंकि यह एक मात्र ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है।

उदा. : $5 + 0 = 5$ तथा $7 + 0 = 7$ इत्यादि।

(ii) गुणनात्मक तत्समक—'1' को गुणनात्मक तत्समक कहा जाता है, क्योंकि यह एक मात्र ऐसा अवयव है जिसको किसी संख्या के साथ गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है।

उदा. : $6 \times 1 = 6$ तथा $9 \times 1 = 9$ इत्यादि।

पूर्णांक

संख्या रेखा पर अंकित शून्य के दोनों ओर की समस्त ऋणात्मक संख्याओं तथा धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं।

उदा. : –5, – 4, – 3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 सभी पूर्णांक संख्याएँ हैं।

संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को निम्नलिखित भाँति दर्शाया जाता है।

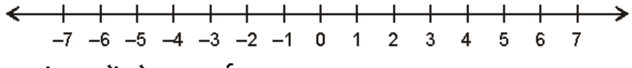

पूर्णांक संख्याओं के गुणधर्म

(i) योग के लिए संवृत गुणधर्म—किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या ही होती है और हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएँ योग के लिए संवृत होती हैं।

क्र.सं.	पूर्णांक 1	पूर्णांक 2	योगफल	योगफल पूर्णांक है/नहीं है
1.	+2	+5	+7	
2.	–3	+7		
3.	–4	+4		
4.	3	–5		

(ii) घटाव के अंतर्गत संवृत गुणधर्म–जब हम एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाते हैं तो उनका अंतर भी पूर्णांक ही प्राप्त होता है।

	कथन	प्रेक्षण
1.	$7 - 5 = 2$	परिणाम एक पूर्णांक है।
2.	$4 - 9 = -5$	....
3.	$(-4) - (-5) =$	परिणाम एक पूर्णांक है।
4.	$(-18) - (-18) =$	....
5.	$17 - 0 =$	....

(iii) क्रमविनिमय गुणधर्म–हम जानते है कि $2 + 4 = 4 + 2 = 6$ अर्थात् पूर्ण संख्याओं के योग में क्रम बदलने से परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है अतः क्रमविनिमेय गुणधर्म का पालन होता है।

व्यापक रूप में, दो पूर्णांकों a तथा b के लिए हम कह सकते हैं कि

$$a + b = b + a$$

(iv) साहचर्य गुणधर्म–पूर्णांकों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अर्थात्

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

(v) योज्य तत्समक–किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ने से योगफल वही पूर्णांक प्राप्त होता है अतः '0' पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है।

पूर्णांकों का गुणन

(i) धनात्मक पूर्णांक का ऋणात्मक पूर्णांक से गुणन–

$$3 \times 4 = 4 + 4 + 4 = 12$$

$$3 \times (-4) = (-4) + (-4) + (-4) = -12$$

इस विधि का उपयोग करते हुए हमने पाया कि धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, परन्तु क्या होता है जब ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से गुणा करते हैं ?

$(-3) \times 4 = -12 = 3 \times (-4)$ इसी प्रकार हम $(-5) \times 3 = -15 = 3 \times (-5)$ भी प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन–दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते है तथा गुणनफल के पूर्व में (+) का चिह्न लगाते हैं।

उदाहरणत :–

$(-10) \times (-14) = 140$, $(-5) \times (-6) = 30$

व्यापक रूप में दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए

$$(-a) \times (-b) = a \times b$$

(iii) शून्य से गुणन–किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक a के लिए

$$\boxed{a \times 0 = 0 = 0 \times a}$$

अंकों के साथ खेलना (Play with Digits)

संख्याओं के साथ खेलने से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यंजक में गणनात्मक सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुये गणित की जानकारी में वृद्धि करना।

संख्याओं का विभाजकता नियम

2 से विभाजकता : यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है।

3 से विभाजकता : यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होती है।

4 से विभाजकता : यदि किसी संख्या के अन्तिम दो अंकों का युग्म, 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होती है।

5 से विभाजकता : यदि संख्या का इकाई अंक 0 अथवा 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होती है।

6 से विभाजकता : यदि संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतया विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतया विभाजित होती है।

7 से विभाजकता : संख्या का इकाई अंक लेकर उसका दोगुना करें। प्राप्त संख्या को मूल संख्या के शेष अंकों में से घटायें। यदि प्राप्त नयी संख्या शून्य (0) अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होगी।

8 से विभाजकता : संख्या के अन्तिम तीन अंकों का युग्म, यदि 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी।

9 से विभाजकता : यदि संख्या के सभी अंकों को योग, 9 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी।

11 से विभाजकता : यदि संख्या में सम स्थानों पर अंकों के योग तथा विषम स्थानों पर अंकों के योग का अन्तर, 11 से विभाज्य है, तो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी।

दशमलवीय स्थानीय मान (Decimal Place Value)

दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्याओं को एक–एक अंक करके पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद वाले अंक बायीं से दायीं ओर क्रमशः दसवाँ, सौवाँ, हजारवाँ, दस हजारवाँ आदि भाग होता है।

उदा. : 5821.236 में 3 के जातीय मान और स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करो।

हल :

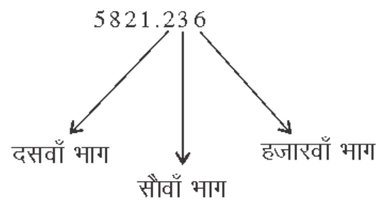

3 का जातीय मान = 3

3 का स्थानीय मान = 0.01

योगफल = 3 + 0.01

= 3.01

घात वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना (Finding the Unit Digit of a Powered Number)

I. यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 है तो किसी भी घात पर इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है।

उदा. : $(2010)^{105}$ में इकाई का अंक = 0

$(2131)^{22}$ में इकाई का अंक = 1

$(1225)^{42}$ में इकाई का अंक = 5

$(1296)^{962}$ में इकाई का अंक = 6

II. यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 4 या 9 है तब

(i) विषम घात होने पर—अभीष्ट संख्या का इकाई का अंक अपरिवर्तित होगा।

(ii) सम घात होने पर—अभीष्ट संख्या में इकाई का अंक क्रमशः 6 या 1 होगा।

उदा. : $(1914)^{216}$ में इकाई का अंक = 6

$(1914)^{213}$ में इकाई का अंक = 4

$(2019)^{216}$ में इकाई का अंक = 1

$(2019)^{2013}$ में इकाई का अंक = 9

III. यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 है तो घात को 4 से भाग करो। शेषफल 1, 2, 3 या 4 होगा। (शून्य न लें) फिर इकाई के अंक को शेषफल के बराबर बार गुणा करें। प्राप्त संख्या का इकाई का अंक ही मूल संख्या का इकाई का अंक होगा।

उदा. 1 : $(4243)^{511}$ में 511 ÷ 4 करने पर शेषफल 3 होगा।
तब 3 को 3 बार गुणा करेंगे। $3^3 = 27$। अतः अभीष्ट इकाई का अंक 7 है।

उदा. 2 : $(1996)^{5212}$ में 5212 ÷ 4 करने पर शेषफल 4 (शून्य नहीं लेंगे) तब 6 को 4 बार गुणा करेंगे। $6^4 = 1296$। अतः अभीष्ट इकाई का अंक 6 है।

गुणा के प्रश्नों में इकाई का अंक ज्ञात करना (Finding the Unit digit in Multiplication Questions)

कुछ संख्याओं को गुणा करते हुए यदि इकाई का अंक ज्ञात करना हो, तो केवल इकाई के अंकों को गुणा करते रहें तथा प्रत्येक प्राप्त संख्या के दहाई के अंक को हटा दें। अंत में प्राप्त अंक ही अभीष्ट इकाई का अंक होगा।

उदा. : 468 × 26 × 1268 × 34683 में इकाई का अंक ज्ञात करो।

हल : 468 × 26 × 1268 × 34683

↓ ↓ ↓ ↓

8 × 6 × 8 × 3 (8 × 6 में इकाई का अंक = 8)

8 × 8 × 3 (8 × 8 में इकाई का अंक = 4)

4 × 3 (4 × 3 में इकाई का अंक = 2)

2

अतः अभीष्ट संख्या में इकाई का अंक 2 होगा।

लघुगुणक (Logarithm)

किसी एक संख्या का लघुगुणक वह घातांक होता है। जितनी बार हमें आधार को खुद से गुना करना हो, ताकि हमारी अपेक्षित संख्या आ सके। घातांक को कई बार घात भी कहा जाता है।

जैसे—यदि $a^y = x$ है, तो 'y' संख्या a के आधार के लिए x का लघुगुणक है।

$$a^y = x$$

$$y \log a = x$$

या $$y = \log a^x$$

लघुगुणक सूत्र—

$$\log e\,(xy) = \log e^x + \log e^y$$

$$\log e\left(\frac{x}{y}\right) = \log e^x - \log e^y$$

$$\log a^x = \frac{\log e^x}{\log e^a}$$

$$\log e^{x^n} = n \log e^x$$

द्विआधारी संख्या पद्धति (Binary Number System)

द्विआधारी संख्या पद्धति कुछ प्रमुख प्रचलित संख्या पद्धतियाँ हैं।

द्विआधारी का अर्थ 2 आधार वाला है, अर्थात् केवल दो अंकों (0 तथा 1) को काम में लाने वाली पद्धति है। इसमें संख्या का मान निकालने के लिए आधार (रेडिक्स 2) लिया जाता है। द्विआधारी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलने के गणितीय विधि होती है।

उदा. : $(1100)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8 + 4$
$= (12)_{10}$

$(1101)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$
$= (13)_{10}$

इसी प्रकार दशमलव संख्याओं को द्विआधारी संख्याओं में बदलने के लिए गणितीय विधि होती है।

उदा. : $(11)_{10}$ =

2	11	1
2	5	1
2	2	0
2	1	1

अतः $(11)_{10} = (1011)_2$

समान्तर श्रेणी (Arithmetic Progression)

समान्तर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद (प्रथम पद को छोड़कर) का उसके पूर्ववर्ती पद से अन्तर सदैव समान रहता हो :

अर्थात् $d = T_{n+1} - T_n$ (समान)

जैसे : 5, 10, 15, 20, ...

यहाँ $d = 10 - 5 = 15 - 10 = 20 - 15 = 5$ (समान)

समान्तर श्रेणी का मानक रूप (Standard form of Arithmetic Progression)–

यदि किसी समान्तर श्रेणी का प्रथम पद a, सार्वअन्तर d तथा अन्तिम पद T_n हो, तो श्रेणी का मानक रूप होगा :

$a, (a + d), (a + 2d)$ .... $[a + (n - 1)\, d] = T_n$

समान्तर श्रेणी का nवाँ पद (व्यापक पद)–

$T_n = a + (n - 1)\, d$ को समान्तर श्रेणी का व्यापक (nवाँ पद) कहते हैं।

समान्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल (Sum of first n terms of an A. P.)–

$$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n - 1)\, d] \text{ या } S_n = \frac{n}{2}[a + T_n]$$

[जहाँ $T_n = a + (n - 1)\, d$]

को समान्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल कहते हैं।

दो राशियों के बीच समान्तर माध्य (Arithmetic mean of two numbers)– माना कि a तथा b दो राशियाँ हैं तथा उनके बीच का समान्तर माध्य A हो, तो :

$$\text{समान्तर माध्य } A = \frac{a + b}{2}$$

दो राशियों के बीच n समान्तर माध्य– माना कि दो राशियों a तथा b के बीच $A_1 A_2$ .... A_n समान्तर माध्य हैं, तब :

$$A_1 = a + \frac{b - a}{n + 1}$$

$$A_2 = a + \frac{2(b - a)}{n + 1}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$A_n = a + \frac{n(b - a)}{n + 1}$$

गुणोत्तर श्रेणी
(Geometric Progression)

जब किसी श्रेणी का प्रत्येक पद अपने पूर्व के पदों को एक नियत राशि का गुणा करने पर प्राप्त होता हो, तो वह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इस नियत राशि को सार्वअनुपात r कहते हैं।

जैसे : 21, 63, 189 ....

गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप (Standard form of Geometric Progression)– यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वअनुपात r हो, तो श्रेणी का मानक रूप होगा :

$$a, ar, ar^2 \text{ .... } ar^{n-1}$$

यहाँ सार्वअनुपात $r = \frac{ar}{a}$ होगा।

गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद (nवाँ पद)–

$$T_n = ar^{n-1}$$

गुणोत्तर माध्य (Geometric Mean)–यदि तीन राशियाँ a, b, c गुणोत्तर श्रेणी में हों, तो बीच की राशि b को गुणोत्तर माध्य कहते हैं। इनके बीच का सम्बन्ध निम्नानुसार होता है–

$$b^2 = ac \text{ या } b = \sqrt{ac}$$

यहाँ गुणोत्तर माध्य को G द्वारा दर्शाया जाता है।

अतः $G = b = \sqrt{ac}$

दो राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य– यदि दो राशियों a तथा b के बीच G_1, G_2 .... G_n कुल n गुणोत्तर माध्य हों, तो :

$$G_1 = ar \qquad \text{जहाँ } r = \left(\frac{b}{a}\right)^{\frac{1}{n+1}}$$

$$G_2 = ar^2$$

$$G_3 = ar^3$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$G_n = ar^n$$

गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल–

(i) $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ जहाँ $r > 1$

(ii) $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$ जहाँ $r < 1$

गुणोत्तर श्रेणी के nवें पद के रूप में गुणोत्तर श्रेणी का योगफल–

$$S_n = \frac{T_n \cdot r - a}{r - 1}$$

हरात्मक श्रेणी
(Harmonic Progression)

ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम उसी क्रम में लेने पर समान्तर श्रेणी प्राप्त होती हो, हरात्मक श्रेणी कहलाती है।

हरात्मक श्रेणी का मानक रूप (Standard form of Harmonic Progression)–

$$\frac{1}{a}, \frac{1}{a + d}, \frac{1}{a + 2d} \text{ .... } + \frac{1}{a + (n - 1)\, d}$$

हरात्मक श्रेणी का व्यापक पद (nवाँ पद)–

$$T_n = \frac{1}{a + (n - 1)\ d}$$

हरात्मक माध्य (Harmonic Mean)–दो राशियों a तथा b के बीच हरात्मक माध्य H हो, तो :

$$H = \frac{2ab}{a + b}$$

तीन राशियों के हरात्मक श्रेणी में होने का प्रतिबन्ध–a, b, c तीन राशियों का हरात्मक श्रेणी में होने का प्रतिबन्ध

$$\frac{a}{c} = \frac{a - b}{b - c}$$

दो राशियों के बीच n हरात्मक माध्य–माना कि a तथा b दो राशियों के बीच H_1, H_2 .... H_n, n हरात्मक माध्य हों, तो :

$$H_1 = \frac{a}{1 + ad}$$

$$H_2 = \frac{a}{1 + 2ad} \qquad \left[\text{जहाँ } d = \frac{a - b}{(n + 1)\, ab}\right]$$

$$H_3 = \frac{a}{1 + 3ad}$$

$$\vdots \qquad \vdots$$

$$H_n = \frac{a}{1 + nad}$$

समान्तर माध्य (A), गुणोत्तर माध्य (G) तथा हरात्मक माध्य (H) के बीच सम्बन्ध–

$$G^2 = AH$$

नोट (Note) : हरात्मक श्रेणी के प्रश्न हल करने के लिए इनके पदों का क्रमिक रूप से व्युत्क्रम लेकर इसके संगत समान्तर श्रेणी बनाते हैं। तत्पश्चात् समान्तर श्रेणी के सूत्रों का प्रयोग कर उसे हल करते हैं। अन्त में हल का व्युत्क्रम कर देते हैं।

महत्वपूर्ण सूत्र (Important Formulae)

- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$
- $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$
- $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$
- $(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$
- $a^3 + b^3 = (a + b)^3 - 3ab\,(a + b)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab\,(a - b)$
- $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- यदि $a + b + c = 0$ हो, तब $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$
- $(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(b + c)(c + a)$
- किन्हीं दो समुच्चय A तथा B के लिए सूत्र निम्नवत् है–

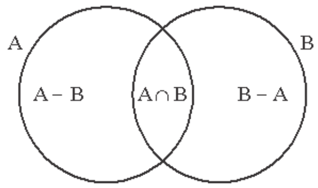

(i) $n(A - B) + n(A \cap B) = n(A)$

(ii) $n(B - A) + n(A \cap B) = n(B)$

(iii) $n(A \cup B) = n(A - B) + n(A \cap B) + n(B - A)$

(iv) $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

- $\Sigma n = 1 + 2 + 3 + ... + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\Sigma n^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + n^2 = \frac{1}{6} n\,(n + 1)\,(2n + 1)$
- $\Sigma n^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + ... + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$

महत्त्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न

1. कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए, गुणनफल $m\,(m + 2)\,(m + 4)$ हमेशा विभाजित होगा–

(A) 3 से (B) 5 से

(C) 7 से (D) 2 से

2. यदि दो धनात्मक संख्याओं का समान्तर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 तथा 3 है, तो संख्याएँ ज्ञात करो–

(A) 9, 1 (B) 4, 16

(C) 4, 8 (D) 2, 4

3. $(49)^{15} - 1$ किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है?

(i) 50 (ii) 48

(iii) 29 (iv) 8

(A) (ii) और (iv)

(B) (iii) और (iv)

(C) (i) और (iii)

(D) (i) और (ii)

4. यदि 13^{50} को 14 से भाग दिया जाए, तो शेषफल है–

(A) 13 (B) 12

(C) 1 (D) – 1

5. यदि $a, a + 2, a + 4$ अविभाज्य संख्याएँ हों, तो a के कितने मान हैं ?

(A) एक (B) दो

(C) तीन (D) तीन से अधिक

6. यदि $(29)^{75}$ को 28 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल होगा–

(A) 0 (B) 1

(C) 29 (D) 7

7. दो प्राकृतिक संख्याओं का अन्तर सदैव होता है–

(A) एक पूर्णांक

(B) एक प्राकृतिक संख्या

(C) एक सम्पूर्ण संख्या

(D) एक धनात्मक संख्या

8. $\frac{519 \times 519 - 81 \times 81}{519 \times 519 + 2 \times 519 \times 81 + 81 \times 81}$ बराबर है–

(A) $\frac{73}{200}$ (B) $\frac{73}{100}$

(C) $\frac{100}{78}$ (D) $\frac{200}{73}$

9. $\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right) ...\left(1 - \frac{1}{n-1}\right)\left(1 - \frac{1}{n}\right)$ का मान होगा–

(A) $\frac{n}{n+1}$ (B) $\frac{1}{5n}$

(C) $\frac{1}{3n}$ (D) $\frac{1}{n}$

10. $2 + 22 + 222 + 2222 + ...$ का n पदों तक योग है–

(A) $\frac{2}{9}\left\{\frac{10}{9}(10^n - 1) - n\right\}$

(B) $\frac{9}{2}\left\{\frac{10}{9}(10^n - 1) + n\right\}$

(C) $\frac{9}{2}\left\{\frac{10}{9}(10^n - 1) - n^2\right\}$

(D) $\frac{9}{2}\left\{\frac{10}{9}(10^n - 1) + n^2\right\}$

11. 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो, होगा–

(A) 1665 (B) 1674

(C) 1683 (D) 1692

12. यदि $\log_{10} a + \log_{10} b = \log_{10}(a + b)$, तो a, b के मान निम्न तरह से सम्बन्धित हैं–

(A) $a = b = 1$

(B) $a = b = 3$

(C) $b = \frac{a}{1 + a}$

(D) $a = \frac{b}{b - 1}$

13. एक कक्षा में 75% अंग्रेजी में, 60% गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत है—

(A) 55% (B) 65%
(C) 67.5% (D) 68.2%

14. $\dfrac{8.9\times8.9\times8.9-3.7\times3.7\times3.7}{8.9\times8.9+8.9\times3.7+3.7\times3.7}$ बराबर है—

(A) 1 (B) 5.2
(C) 12.6 (D) 8.9 × 3.7

15. यदि $x = 22^3 + 144^3 - 166^3$, तो x अवश्य विभाज्य है—

(A) 7 और 12 दोनों से
(B) 11 और 13 दोनों से
(C) 11 और 23 दोनों से
(D) 12 और 83 दोनों से

16. यदि $a * b = (a \times b) + b$ है, तो 5 * 7 बराबर है—

(A) 35 (B) 42
(C) 12 (D) 59

17. $\left(1-\frac{1}{5}\right)\left(1-\frac{1}{6}\right)\left(1-\frac{1}{7}\right)$ ....$\left(1-\frac{1}{100}\right)$ का मान है—

(A) $\frac{1}{25}$ (B) $\frac{1}{50}$
(C) 0 (D) $\frac{1}{100}$

18. यदि $0 < x < 1$ हो, तो यह सत्य है कि—

(A) $x^{100} > x^{101}$ (B) $x^{100} > 1$
(C) $x^{100} < x^{101}$ (D) $x^{101} > 1$

19. 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है। तद्नुसार उन संख्याओं का योग कितना है ?

(A) 30 (B) 33
(C) 36 (D) 45

20. भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तद्नुसार यदि शेषफल 46 हो, तो भाज्य कितना होगा ?

(A) 4236 (B) 4306
(C) 4336 (D) 5336

21. चार अभाज्य संख्याएँ आरोही क्रम में हैं। उनमें प्रथम तीन का गुणनफल 455 है और अन्तिम तीन का गुणनफल 1729 है। तद्नुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है।

(A) 7 (B) 13
(C) 19 (D) 23

22. दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। तद्नुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल होगा :

(A) $\frac{13}{36}$ (B) $\frac{36}{13}$
(C) $\frac{6}{5}$ (D) $\frac{5}{6}$

23. ऐसी तीन क्रमिक संख्याएँ ज्ञात कीजिए, जिनमें पहली का दोगुना, दूसरी का तीन गुना और तीसरी का चार गुना, जोड़ने पर 191 हो जाता है

(A) 19, 20, 21
(B) 21, 22, 23
(C) 20, 21, 22
(D) 22, 23, 24

24. एक कार्यालय में 108 मेजें और 132 कुर्सियाँ हैं। उनमें यदि $\frac{1}{6}$ मेजें और $\frac{1}{4}$ कुर्सियाँ टूट जायें, तो उस कार्यालय में प्रत्येक को मेज और एक कुर्सी की आवश्यकतानुसार, कितने लोग कार्य कर सकते हैं ?

(A) 86 (B) 90
(C) 92 (D) 99

25. संख्या 37 को दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग के 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग 227 हो।

(A) 15, 22 (B) 20, 17
(C) 25, 12 (D) 30, 7

26. एक फौज में 12000 सिपाही हैं जिनमें से कुछ भारतीय तथा शेष यूरोपीय हैं। यूरोपीय सिपाही की औसत ऊँचाई 1.80 मी., भारतीय सिपाही की 1.75 मी. तथा सारी फौज की लम्बाई $1\frac{47}{60}$ मी. है, तो भारतीय सिपाही कितने हैं ?

(A) 6000 (B) 8000
(C) 1000 (D) 4000

27. दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा :

(A) $\frac{8}{15}$ (B) $\frac{15}{8}$
(C) 23 (D) 7

28. कितने $\frac{1}{6}$ मिलकर $41\frac{2}{3}$ के बराबर होते हैं ?

(A) 125 (B) 150
(C) 250 (D) 350

29. एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 5 : 2 है। यदि उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल 1000 हो, तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु (वर्षों में) होगी :

(A) 50 (B) 60
(C) 80 (D) 100

30. 80 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है :

(A) 83 (B) 89
(C) 7387 (D) 598347

31. यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग S हो, तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक S से किस रूप से सम्बन्धित होगा ?

(A) $\frac{S-10}{5}$ (B) $\frac{S+4}{4}$
(C) $\frac{S+5}{4}$ (D) $\frac{S+10}{5}$

32. यदि p तथा q दो आपेक्षित अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हों और $p + q = 10$, $p < q$ हो, तो p के संभवतः कितने मान हो सकते हैं ?

(A) 2 (B) 3
(C) 4 (D) 1

33. $(122)^{173}$ के गुणनफल में एकक अंक क्या है ?

(A) 2 (B) 4
(C) 6 (D) 8

34. वह सबसे छोटी संख्या, जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता हो, होगी—

(A) 50 (B) 6
(C) 60 (D) 5

35. $(124)^{372} + (124)^{373}$ के योग में एकक अंक कौन-सा है ?

(A) 5 (B) 4
(C) 2 (D) 0

36. यदि $\frac{a}{b}$ तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 1 हो और $a \neq 0$, $b \neq 0$ हो, तो $a^3 + b^3$ का मान क्या होगा ?

(A) 2 (B) –1
(C) 0 (D) 1

37. $16 \times 12 - 672 \div 21 = ? - 211$

(A) 381 (B) 347
(C) 372 (D) 371

38. $916 \times ? \times 3 = 214344$

(A) 78 (B) 68
(C) 84 (D) 66

39. $999\frac{995}{999} \times 999$ का मान है :

(A) 990809 (B) 998996
(C) 999824 (D) 998999

40. यदि $a \times b = a + b + \frac{a}{b}$ हो, तो 9×3 का मान है :

(A) 15 (B) 9
(C) 51 (D) 3

41. $18\frac{3}{4}$ में कितने $\frac{1}{2}$ हैं ?

(A) 522 (B) 252
(C) 225 (D) 253

42. – 2 में से – 2 घटाया जाए, तो शेषफल का मान क्या होगा ?

(A) 1 (B) 4
(C) 2 (D) 0

व्याख्यात्मक हल

1. (A) $m = 1$ रखने पर,

$m(m+2)(m+4) = 1 \times 3 \times 5 = 15$, 3 से विभाज्य है।

$m = 2$ रखने पर,

$m(m+2)(m+4) = 2 \times 4 \times 6 = 48$, 3 से विभाज्य है।

$m = 3$ रखने पर,

$m(m+2)(m+4) = 3 \times 5 \times 7 = 105$, 3 से विभाज्य है।

अतः $m(m+2)(m+4)$, 3 से विभाज्य है।

2. (A) A. M = 5
G. M = 3
माना, दो संख्याएँ a तथा b हैं

तब $\frac{a+b}{2} = 5$

$a + b = 10$ ...(i)

तथा $\sqrt{ab} = 3$

$ab = 9$ ...(ii)

$\because (a-b) = \sqrt{(a+b)^2 - 4ab}$

$(a-b) = \sqrt{(10)^2 - 4 \times 9}$

$(a-b) = 8$ ...(iii)

समी (i) तथा (iii) को हल करने पर,

$a = 9, \quad b = 1$

3. (A) $[(49)^{15} - 1]$, $(49 - 1 = 48)$ से पूर्णतः विभाजित होगा।

48 के गुणनखण्ड 1, 2, 4, 6, 8,12, 24 तथा 48 हैं।

अतः $[(49)^{15} - 1]$, 48 तथा 8 दोनों से विभाज्य है।

4. (C) प्रश्न से, $\frac{a^n}{(a+1)}$ = शेषफल 1 देता है, जब n सम है।

= शेषफल a देता है, जब n विषम है।

तब $\frac{13^{50}}{14} = \frac{13^{50}}{(13+1)}$

यहाँ, $n = 50$ (सम)

∴ शेषफल = 1

5. (A) प्रश्न से, a, $a + 2$ तथा $a + 4$ अभाज्य संख्याएँ हैं।

यदि $a = 2$ (अभाज्य संख्या)

जहाँ, 2, 4, 6 सभी अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं।

यदि $a = 3$ (अभाज्य संख्या)

जहाँ, 3, 5, 7 सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।

यदि $a = 5$

जहाँ 5, 7, 9 सभी अभाज्य संख्याएँ नही हैं,

यदि $a = 7$

तब 7, 9, 11 सभी अभाज्य संख्याएँ नहीं हैं।

6. (B) $29 = 28 \times 1 + 1 \Rightarrow$ शेषफल = 1

$29^2 = 841 = 29 \times 30 + 1$

$\Rightarrow$ शेषफल = 1

$29^3 = 24389 = 28 \times 871 + 1$

$\Rightarrow$ शेषफल = 1

उपर्युक्त उदाहरणों से देखने पर 29 के किसी भी घात में 28 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है।

अतः $(29)^{75}$ में 28 से भाग देने पर शेषफल 1 आयेगा।

7. (C) दो प्राकृतिक संख्याओं का अन्तर सदैव एक पूर्णांक होता है।

8. (B) $\frac{519 \times 519 - 81 \times 81}{519 \times 519 + 2 \times 519 \times 81 + 81^2}$

$\frac{(519)^2 - (81)^2}{(519)^2 + (81)^2 + 2 \times 519 \times 81}$

$\frac{(519 - 81)(519 + 81)}{(519 + 81)^2}$

$[\because a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab]$

$= \frac{519 - 81}{519 + 81}$

$= \frac{438}{600}$

$= \frac{73}{100}$

9. (D) $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)...\left(1-\frac{1}{n-1}\right)$

$\left(1-\frac{1}{n}\right)$

$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times ... \times \frac{n-2}{n-1} \times \frac{n-1}{n}$

$= \frac{1}{n}$

10. (A) $2 + 22 + 222 + ...$ n पद

$2(1 + 11 + 111 + ...$ n पद)

$= \frac{2}{9}$ $(9 + 99 + 999 + ...n$ पद)

$= \frac{2}{9}$ $[(10 - 1) + (100 - 1) + (1000 - 1) + ...$ n पद]

$= \frac{2}{9}$ $[(10^1 + 10^2 + 10^3 ... + n$ पद) $- (1 + 1 + 1 + ... n$ पद)]

$= \frac{2}{9}\left[\frac{10(10n-1)}{10-1} - n\right]$

$\left[\begin{array}{l}\because \text{गुणोत्तर श्रेणी के} \\ n \text{ पदों का योगफल} \\ S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}\end{array}\right]$

$= \frac{2}{9}\left[\frac{10}{9}(10n-1) - n\right]$

11. (C) 100 और 200 के बीच 9 से विभाज्य संख्याएँ

= 108, 117, 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180, 189, 198

अभीष्ट योग

= 108 + 117 + 126 + 135 + 144 + 153 + 162 + 171 + 180 + 189 + 196

यह एक समान्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद 108 तथा सार्वान्तर 9 है।

अतः योग

$= \frac{11}{2}[2 \times 108 + (11-1) \times 9]$

$\left[\because S_n = \frac{n}{2}(2a+(n-1)d)\right]$

$= \frac{11}{2} \times (216+90)$

$= \frac{11}{2} \times 306$

$= 11 \times 153$

$= 1683$

12. (D) दिया है

$\log_{10}a + \log_{10}b = \log_{10}(a+b)$

$\log_{10}.ab = \log_{10}(a+b)$

$ab = a+b$

$a = \frac{b}{b-1}$

13. (A) अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण प्रतिशत P(E)

$= 100 - 75 = 25\%$

गणित में अनुत्तीर्ण प्रतिशत P(M)

$= 100 - 60 = 40\%$

दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण $P(M \cap E)$

$= 20\%$

किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण $P(M \cup E)$

$= P(M) + P(E) - P(M \cap E)$

$= 40 + 25 - 20$

$= 45\%$

अतः उत्तीर्ण प्रतिशत $= 100 - 45$

$= 55\%$

14. (B) $\frac{8.9 \times 8.9 \times 8.9 - 3.7 \times 3.7 \times 3.7}{8.9 \times 8.9 + 8.9 \times 3.7 + 3.7 \times 3.7}$

$= \frac{(8.9)^3 - (3.7)^3}{(8.9)^2 + 8.9 \times 3.7 + (3.7)^2}$

$= \frac{(8.9-3.7)\left[(8.9)^2 + 8.9 \times 3.7 + (3.7)^2\right]}{(8.9)^2 + 8.9 \times 3.7 + (3.7)^2}$

$[\because a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+b^2+ab)]$

$= 5.2$

15. (D) $x = 22^3 + 144^3 - 166^3$

$x = 22^3 + 144^3 - (144+22)^3$

$x = 22^3 + 144^3 - [(144)^3 + (22)^3 + 3 \times 144 \times 22\,(144+22)]$

$[\because (a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab\,(a+b)]$

$x = (22)^3 + (144)^3 - (144)^3 - (22)^3] - 3 \times 144 \times 22 \times 166$

$x = -66 \times 144 \times 166$

अतः x अवश्य ही 12 तथा 83 दोनों से विभाज्य है।

16. (B) $\because \quad a * b = (a \times b) + b$

$\therefore \quad 5 * 7 = (5 \times 7) + 7$

$= 35 + 7 = 42$

17. (A) व्यंजक $= \left(1-\frac{1}{5}\right)\left(1-\frac{1}{6}\right)\left(1-\frac{1}{7}\right) \ldots \left(1-\frac{1}{100}\right)$

$= \frac{4}{5} \times \frac{5}{6} \times \frac{6}{7} \ldots \frac{99}{100}$

$= \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$

18. (A) दिया है, $0 < x < 1$

माना $x = \frac{1}{3}$, अब विकल्प (A) से,

$\left(\frac{1}{3}\right)^{100} > \left(\frac{1}{3}\right)^{101}$

$\frac{1}{3^{100}} > \frac{1}{3^{101}}$

$\frac{3^{101}}{3^{100}} > 1 \Rightarrow 3 > 1$

अतः विकल्प (A) में दिया गया सम्बन्ध सत्य है।

19. (B) माना कि तीन क्रमागत धनात्मक संख्याएँ क्रमशः $(x-1)$, (x) तथा $(x+1)$ हैं, तो प्रश्नानुसार,

$(x-1)^2 + (x)^2 + (x+1)^2 = 365$

$\Rightarrow x^2 + 1 - 2x + x^2 + x^2 + 1 + 2x = 365$

$\Rightarrow 3x^2 + 2 = 365$

$\Rightarrow 3x^2 = 365 - 2 = 363$

$\Rightarrow x^2 = \frac{363}{3} = 121 = (11)^2$

$\therefore x = 11$

$\therefore x - 1 = 11 - 1$

$= 10$

$x = 11$

तथा $x + 1 = 11 + 1 = 12$

$\therefore$ अभीष्ट योगफल $= 10 + 11 + 12 = 33$

20. (D) प्रश्नानुसार,

भाजक = भागफल × 10

भाजक = शेषफल × 5

भाजक $= 46 \times 5 = 230$

भागफल $= \frac{\text{भाजक}}{10} = \frac{230}{10} = 23$

भाज्य = भाजक × भागफल + शेषफल

$= 230 \times 23 + 46$

$= 5290 + 46 = 5336$

21. (C) माना कि चार अभाज्य संख्याएँ आरोही क्रम में क्रमशः a, b, c तथा d हैं, तो प्रश्नानुसार,

$a \times b \times c = 455$

तथा $b \times c \times d = 1729$

$\therefore \frac{a \times b \times c}{b \times c \times d} = \frac{455}{1729}$

$\Rightarrow \frac{a}{d} = \frac{5}{19}$

अतः सबसे छोटी संख्या = 5 तथा सबसे बड़ी संख्या = 19

22. (A) माना कि संख्याएँ x तथा y हैं, तो प्रश्नानुसार,

$x + y = 5 \quad \ldots(i)$

तथा $x \times y = 6$

$(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy$

$= (5)^2 - 4 \times 6$

$= 25 - 24$

$= 1$

$x - y = 1 \quad \ldots(ii)$

समीकरण (i) और (ii) से,

$x + y = 5$

$x - y = 1$

$2x = 6$

$\therefore x = \frac{6}{2} = 3$

समीकरण (i) से, $x + y = 5$

$\Rightarrow 3 + y = 5$

$\therefore y = 5 - 3 = 2$

पुनः प्रश्नानुसार,

$\left(\frac{1}{x}\right)^2 + \left(\frac{1}{y}\right)^2 \Rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2$

$= \frac{1}{9} + \frac{1}{4} = \frac{4+9}{36} = \frac{13}{36}$

23. (C) संख्याएँ $= x, x+1$ एवं $x+2$

$\therefore 2x + 3x + 3 + 4x + 8 = 191$

$\Rightarrow 9x = 191 - 11 = 180$

$\Rightarrow x = 20$

$\therefore$ संख्याएँ = 20, 21 एवं 22

24. (B) सुरक्षित मेज $= \frac{5}{6} \times 108 = 90$

सुरक्षित कुर्सियाँ $= \frac{3}{4} \times 132 = 99$

सुरक्षित जोड़े $= 90$

25. (D) यदि पहला भाग $= x$ हो

तो दूसरा भाग $= 37 - x$

$\therefore \quad x \times 5 + (37 - x) \times 11 = 227$

$\Rightarrow \quad 5x + 407 - 11x = 227$

$\Rightarrow \quad 6x = 407 - 227 = 180$

$\Rightarrow \quad x = 30$

$\therefore$ दूसरा भाग $= 7$

26. (D) माना कि भारतीय सिपाहियों की संख्या x है।

$\therefore$ यूरोपीय सिपाहियों की संख्या $= 12000 - x$

$\therefore \quad (12000 - x) \times 1.8 + x \times 1.75$

$$= 12000 \times \left(1\frac{47}{60}\right)$$

$\Rightarrow \quad 21600 - 1.8x + 1.75x = 21400$

$\Rightarrow \quad -0.05x = -200$

$\therefore \quad x = \frac{200}{0.05} = 4000$

27. (A) माना कि दो संख्याएँ x तथा y हैं

तो प्रश्नानुसार,

$x + y = 8$

तथा $\quad x \times y = 15$

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{y + x}{xy}$$

$$= \frac{8}{15}$$

28. (C) $41\frac{2}{3} \div \frac{1}{6} = \frac{125}{3} \div \frac{1}{6} = \frac{125}{3} \times \frac{6}{1}$

$= 250$

29. (B) माना कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः $5x$ वर्ष तथा $2x$ वर्ष है,

तो प्रश्नानुसार,

$5x \times 2x = 1000$

$\Rightarrow \quad 10x^2 = 1000$

$\Rightarrow \quad x^2 = 100$

$\therefore \quad x = 10$

10 वर्ष बाद पिता की आयु $= 5x + 10$

$= 5 \times 10 + 10$

$= 50 + 10 = 60$ वर्ष

30. (C) 80 एवं 90 के मध्य अभाज्य संख्याएँ $= 83$ एवं 89

$\therefore$ अभीष्ट गुणनफल $= 83 \times 89 = 7387$

31. (D) माना कि पाँच क्रमिक संख्याएँ क्रमशः (a), $(a + 1)$, $(a + 2)$, $(a + 3)$ तथा $(a + 4)$ हैं।

तो $S = (a) + (a + 1) + (a + 2) + (a + 3) + (a + 4)$

$= 5a + 10$

$\Rightarrow \quad 5a = S - 10 \qquad \therefore \quad a = \frac{S - 10}{5}$

$\therefore$ सबसे बड़ा पूर्णांक $= a + 4$

$$= \frac{S - 10}{5} + 4$$

$$= \frac{S - 10 + 20}{5}$$

$$= \frac{S + 10}{5}$$

32. (A) $\quad p + q = 10$

संभव जोड़े $= (1, 9); (3, 7)$

33. (A) $(122)^{173}$ के गुणनफल में एकक अंक

$= (2)^{173}$ में एकक अंक

$= (2)^{172 + 1}$ में एकक अंक

[$\because$ प्रत्येक 4 घात के बाद इकाई का अंक दोहराया जाता है।]

$= (2)^1$ में एकक अंक $= 2$

34. (B) $\because$ 10005, 345 से पूर्णतः विभाजित होती है।

अतः अभीष्ट सबसे छोटी संख्या

$= 10005 - 999 = 6$

35. (D) $(124)^{372} + (124)^{373}$

$= (124)^{372}\ [1 + 124]$

$= \left[(124)^4\right]^{93} \times 125$

$= (124)^{372} \times 125$

$\therefore$ अभीष्ट एकक अंक

$= (4)^4 \times 125$ का एकक अंक

$= 6 \times 5 = 30$

अतः अभीष्ट अंक $= 0$

36. (C) प्रश्नानुसार,

$\Rightarrow \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 1$

$\Rightarrow \quad \frac{a^2 + b^2}{ab} = 1$

$\Rightarrow \quad a^2 + b^2 = ab$

$\Rightarrow \quad a^2 + b^2 - ab = 0$

$\therefore \quad a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 + b^2 - ab)$

$= (a + b) \times 0 = 0$

37. (D) $16 \times 12 - 672 \div 21 = ? - 211$

$? = 16 \times 12 - 672 \div 21 + 211$

$= 192 - 32 + 211 = 371$

38. (A) $\quad ? = \frac{214344}{916 \times 3}$

$= \frac{71448}{916} = 78$

39. (B) $\quad 999\frac{995}{999} \times 999$

$= \frac{999 \times 999 + 995}{999} \times 999$

$= 998001 + 995$

$= 998996$

40. (A) $\quad a \times b = a + b + \frac{a}{b}$

$9 \times 3 = 9 + 3 + \frac{9}{3}$

$= 12 + 3 = 15$

41. (C) $18\frac{3}{4}$ में कितने $\frac{1}{12}$

$= \frac{75}{4} \div \frac{1}{12}$

$= \frac{75}{4} \times 12 = 225$

42. (D) $\quad -2 - (-2) = -2 + 2$

$= 0$

❑❑

अध्याय 1

लुप्त पद ज्ञात करना

इन प्रश्नों में एक आकृति या आकृतियों का एक समूह, मैट्रिक्स, वर्ग, आयत आदि में एक निश्चित संख्या होती है जिनमें परस्पर एक सम्बन्ध होता है। यह सम्बन्ध अंकों व संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्ग व घनों का योग आदि हो सकता है। परीक्षार्थी को इनके सम्बन्ध को ज्ञात कर अगली आकृति में प्रश्न-चिह्न के स्थान पर सही मान लिखना होता है।

इसे निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है :

उदा. 1.

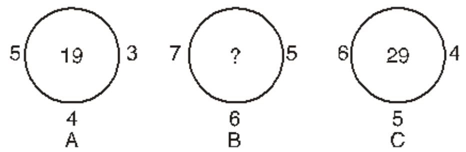

(A) 25 (B) 37
(C) 41 (D) 47

हल (C) : जिस प्रकार आकृति A में,

$5 \times 3 + 4 = 19$

तथा आकृति C में

$6 \times 4 + 5 = 29$

उसी प्रकार आकृति B में

$7 \times 5 + 6 = 35 + 6 = 41$

उदा. 2.

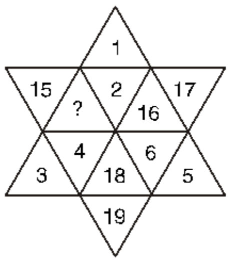

(A) 13 (B) 14
(C) 20 (D) 21

हल (B) : चित्र में दो अनुक्रम हैं।
1, 2, 3, 4, 5, 6
तथा 14, 15, 16, 17, 18, 19
अतः दूसरे अनुक्रम की बाईं ओर की संख्या 14 लुप्त है।

उदा. 3.

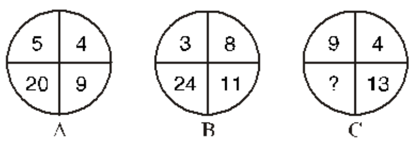

(A) 117 (B) 36
(C) 32 (D) 26

हल (B) : चित्र A में, $5 \times 4 = 20,\ 5 + 4 = 9$
चित्र B में, $3 \times 8 = 24, 3 + 8 = 11$
अतः चित्र C में, $9 \times 4 = 36, 9 + 4 = 13$

उदा. 4.

2	4	0
1	2	4
3	1	3
36	?	91

(A) 25 (B) 48
(C) 59 (D) 73

हल (D) : पहली कतार में $2^3 + 1^3 + 3^3 = 36$

दूसरी कतार में $4^3 + 2^3 + 1^3 = \boxed{73}$

तीसरी कतार में $0^3 + 4^3 + 3^3 = 91$

उदा. 5.

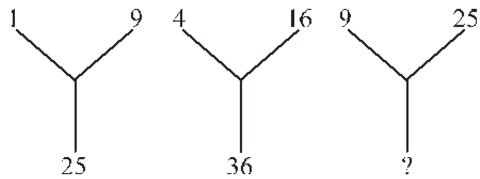

(A) 47 (B) 49
(C) 50 (D) 57

हल (B) : पहली आकृति दूसरी आकृति तीसरी आकृति

पहली आकृति	दूसरी आकृति	तीसरी आकृति
$1^2 = 1$	$2^2 = 4$	$3^2 = 9$
$3^2 = 9$	$4^2 = 16$	$5^2 = 25$
$5^2 = 25$	$6^2 = 36$	$7^2 = \boxed{49}$

उदा. 6. $6 \times 8 \times 5 \Rightarrow 568$
$2 \times 4 \times 3 \Rightarrow 324$
$9 \times 7 \times 2 \Rightarrow ?$

(A) 297 (B) 279
(C) 927 (D) 972

हल (A) : $6 \times 8 \times 5 \Rightarrow 568 \rightarrow$

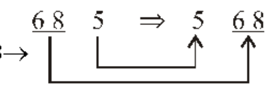

$2 \times 4 \times 3 \Rightarrow 324 \rightarrow$

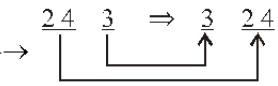

इसी प्रकार,

$9 \times 7 \times 2 \Rightarrow ? \rightarrow$

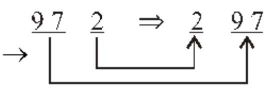

अतः $\boxed{? \Rightarrow 297}$

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण प्रश्न

निर्देश (प्रश्न संख्या 1 से 25 तक)

दिये गये प्रश्नों में लुप्त पद ज्ञात कीजिए।

1.

(A) 38 (B) 39
(C) 40 (D) 44

2.

(A) 45 (B) 50
(C) 60 (D) 63

3.

1	7	9
2	14	?
3	105	117

(A) 26 (B) 20
(C) 16 (D) 12

4. 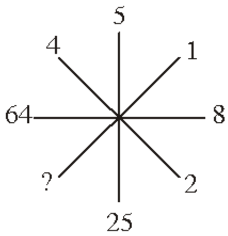

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

5.

1	3	7
2	4	4
4	5	9
3	2	3
50	70	?

(A) 23 (B) 115
(C) 118 (D) 220

6.

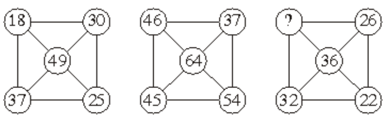

(A) 19 (B) 16
(C) 28 (D) 26

7.

4	9	1
6	8	4
34	113	?

(A) 9 (B) 4
(C) 28 (D) 16

8.

18	2	16
15	7	8
18	6	?

(A) 20 (B) 14
(C) 4 (D) 12

9.

754	(111)	421
730	(?)	427

(A) 121 (B) 222
(C) 101 (D) 333

10. 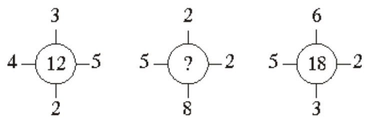

(A) 12 (B) 14
(C) 18 (D) 16

11. 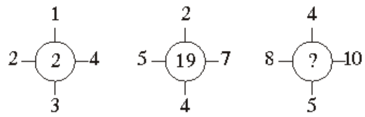

(A) 60 (B) 20
(C) 40 (D) 45

12.

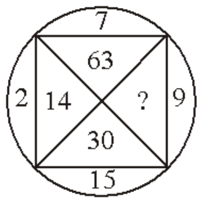

(A) 33 (B) 145
(C) 135 (D) 18

13.

(A) 16 (B) 8
(C) 32 (D) 20

14.

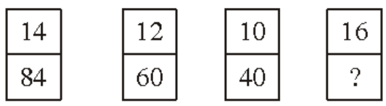

(A) 32 (B) 48
(C) 112 (D) 138

15.

(A) 29 (B) 10
(C) 46 (D) 38

16.

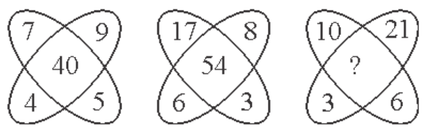

(A) 60 (B) 62
(C) 64 (D) 66

17. 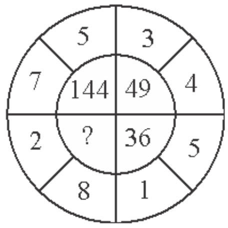

(A) 82 (B) 124
(C) 68 (D) 100

18.

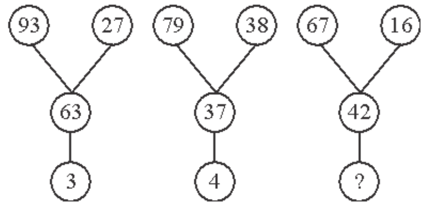

(A) 5 (B) 6
(C) 8 (D) 9

19.

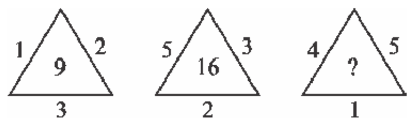

(A) 7 (B) 8
(C) 9 (D) 12

20.

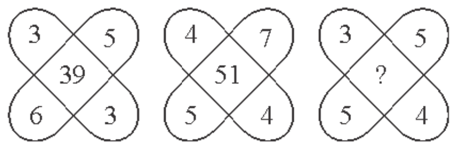

(A) 35 (B) 37
(C) 45 (D) 47

21.

(A) 23 (B) 16
(C) 5 (D) 13

22.

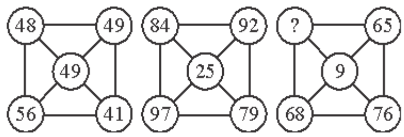

(A) 78 (B) 79
(C) 71 (D) 81

23.

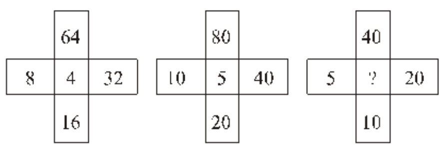

(A) 0 (B) 2.5
(C) 10 (D) 20

24.

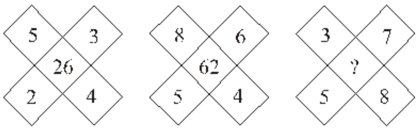

(A) 55 (B) 59
(C) 62 (D) 71

25.

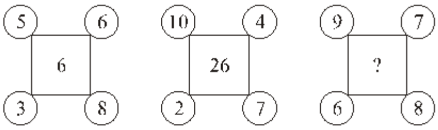

(A) 13 (B) 15
(C) 16 (D) 36

व्याख्यात्मक हल

1. (A) $\because$ $9 + 2^2 = 13$

$13 + 3^2 = 22$

$22 + 4^2 = \boxed{38}$

$\therefore$ लुप्त संख्या = 38

2. (D) $1^3 - 1 = 0$

$2^3 - 1 = 7$

$3^3 - 1 = 26$

$4^3 - 1 = \boxed{63}$

$\therefore$ लुप्त संख्या 63 होगी

3. (D) $3 = 1 \times 2 + 1$

$105 = 7 \times 14 + 7$

$117 = 9 \times \boxed{12} + 9$

4. (A) $8^2 = 64,\ 2^2 = 4,\ 5^2 = 25$

$1^2 = \boxed{1}$

5. (B) $1 + 2 + 3 + 4 = 10 \Rightarrow 10 \times 5 = 50$

$3 + 4 + 5 + 2 = 14 \Rightarrow 14 \times 5 = 70$

$\therefore$ $7 + 4 + 9 + 3 = 23 \Rightarrow 23 \times 5 = 115$

$\therefore$ $? = 115$

6. (B) पहली आकृति में,

$25 - 18 = 7$

$37 - 30 = 7$

$7 \times 7 = 49$

दूसरी आकृति में,

$54 - 46 = 8$

$45 - 37 = 8$

$8 \times 8 = 64$

तीसरी आकृति में,

$32 - 26 = 6$

$22 - ? = 6$

$? = 22 - 6 = \boxed{16}$

7. (A) $(4)^2 + \frac{(6)^2}{2} = 16 + 18 = 34$

$(9)^2 + \frac{(8)^2}{2} = 81 + 32 = 113$

$(1)^2 + \frac{(4)^2}{2} = 1 + 8 = \boxed{9}$

8. (D) $18 - 2 = 16$

$15 - 7 = 8$

$18 - 6 = \boxed{12}$

9. (C) $\frac{754 - 421}{3} = \frac{333}{3} = 111$

$\frac{730 - 427}{3} = \frac{333}{3} = \boxed{101}$

10. (D) $\frac{2 \times 4 \times 3 \times 5}{10} = 12$

$\frac{3 \times 5 \times 6 \times 2}{10} = 18$

इसी प्रकार,

$\frac{8 \times 5 \times 2 \times 2}{10} = \boxed{16}$

11. (C) $(4 \times 2) - (3 \times 1) \times 2 = 8 - 6 = 2$

$(7 \times 5) - (4 \times 2) \times 2 = 35 - 16 = 19$

इसी प्रकार,

$(10 \times 8) - (5 \times 4) \times 2$

$= 80 - 40 = \boxed{40}$

12. (C) $2 \times 7 = 14$

$15 \times 2 = 30$

$7 \times 9 = 63$

$9 \times 15 = \boxed{135}$

13. (B) $1 \times 4 = 4$

$2 \times 4 = 8$

$2 \times 4 = \boxed{8}$

14. (B) $14 \times 6 = 84$

$\downarrow -1$

$12 \times 5 = 60$

$\downarrow -1$

$10 \times 4 = 40$

$\downarrow -1$

$16 \times 3 = \boxed{48}$

15. (D) जिस प्रकार,

$22 + 16 = 38$

$2 \times 16 - 9 = 32 - 9 = 23$

उसी प्रकार,

$32 + 24 = 56$

$2 \times 32 - 26 = 64 - 26 = 38$

16. (D) जिस प्रकार,

$9 \times 4 = 36 + 4 = 40$

$7 \times 5 = 35 + 5 = 40$

तथा

$17 \times 3 = 51 + 3 = 54$

$8 \times 6 = 48 + 6 = 54$

उसी प्रकार,

$10 \times 6 = 60 + 6 = 66$

$21 \times 3 = 63 + 3 = 66$

17. (D) जिस प्रकार,

$5 + 7 = 12 \Rightarrow 12^2 = 144$

$3 + 4 = 7 \Rightarrow 7^2 = 49$

$5 + 1 = 6 \Rightarrow 6^2 = 36$

$2 + 8 = 10 \Rightarrow 10^2 = 100$

18. (D) $93 - (27 + 63) \Rightarrow 93 - 90 \Rightarrow 3$

$79 - (38 + 37) \Rightarrow 79 - 75 \Rightarrow 4$

$67 - (16 + 42) \Rightarrow 67 - 58 \Rightarrow \boxed{9}$

19. (C) $(1 + 2) \times 3 = 9$

$(5 + 3) \times 2 = 16$

$(4 + 5) \times 1 = \boxed{9}$

20. (B) $39 = (6 \times 5) + (3 \times 3)$

$51 = (5 \times 7) + (4 \times 4)$

$37 = (5 \times 5) + (4 \times 3)$

21. (D) $8 \times 7 - (12 + 10) = 34$

$9 \times 7 - (32 + 23) = 8$

$\therefore$ $10 \times 9 - (34 + 43) = \boxed{13}$

22. (B) $(56 - 49) \times (48 - 41) = 49$

$(97 - 92) \times (84 - 79) = 25$

$(68 - 65) \times (? - 76) = 9$

$\therefore$ $= 76 + 3 = \boxed{79}$

23. (B) $4 \times \underline{2} = 8,\quad 4 \times \underline{4} = 16,$

$4 \times \underline{8} = 32,\quad 4 \times \underline{16} = 64$

$5 \times \underline{2} = 10,\quad 5 \times \underline{4} = 20,$

$5 \times \underline{8} = 40,\quad 5 \times \underline{16} = 80$

इसी प्रकार,

$\boxed{2.5} \times \underline{2} = 5,\quad 2.5 \times \underline{4} = 10,$

$2.5 \times \underline{8} = 20,\quad 2.5 \times \underline{16} = 40$

अतः $\boxed{? = 2.5}$

24. (B) $(5 \times 4) + (3 \times 2) \Rightarrow 26$

$(8 \times 4) + (6 \times 5) \Rightarrow 62$

इसी प्रकार,

$(3 \times 8) + (5 \times 7) \Rightarrow 59$

अतः $\boxed{? = 59}$

25. (B) $5 \times 6 - 3 \times 8 \Rightarrow 6$

$10 \times 4 - 2 \times 7 \Rightarrow 26$

इसी प्रकार,

$9 \times 7 - 6 \times 8 \Rightarrow 15$

अतः $\boxed{? = 15}$

अध्याय 1 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं भारतीय संविधान

1. भारत का संवैधानिक विकास (Constitutional Development of India)

भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना (1600 ई.) से मानी जा सकती है। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत में एक मुख्य राजनीतिक ताकत बन गई। 1764 के बक्सर के युद्ध तथा 1765 की इलाहाबाद की संधि से तो कम्पनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सर्वेसर्वा हो गई, और इसके बाद ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यापारिक मामलों के साथ–साथ राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा बनाये गये प्रमुख अधिनियमों का विवरण निम्नलिखित है–

I. 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट (1773 Regulating Act)

- कलकत्ता प्रेसीडेन्सी के प्रमुख को गवर्नर के स्थान पर गवर्नर–जनरल कहा जाने लगा। बंगाल प्रेसीडेन्सी का पहला गवर्नर–जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था।
- इस एक्ट के अनुसार, **1774** में कलकत्ता में **चार सदस्यीय उच्चतम न्यायालय** गठित किया गया।

II. 1784 का पिट्स इण्डिया एक्ट (1784 Pitts India Act)

- अधिनियम द्वारा **6** सदस्यों के एक नियन्त्रक मण्डल (बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल) की स्थापना की गई, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी।

III. 1793 का चार्टर एक्ट (1793 Charter Act)

- इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को **20** वर्ष हेतु बढ़ा दिया गया।

IV. 1813 का चार्टर एक्ट (1813 Charter Act)

- इस एक्ट के अन्तर्गत कम्पनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन **चीन से व्यापार** और **चाय के व्यापार** का एकाधिकार बना रहा।
- इस एक्ट के तहत एक लाख रुपये प्रतिवर्ष विद्वान भारतीयों के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार तथा पुनरुत्थान हेतु रखा गया।

V. 1833 का चार्टर एक्ट (1833 Charter Act)

- इस एक्ट से **कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर** दिया गया।
- **बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल** बना दिया गया।
- लॉर्ड विलियम बैंटिक भारत के पहले गवर्नर–जनरल बने।

VI. 1853 का चार्टर एक्ट (1853 Charter Act)

- इसमें प्रथम बार भारतीय केन्द्रीय विधान परिषद् में स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्रारम्भ किया गया।
- इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरे जाने की व्यवस्था की गई।

VII. भारतीय शासन अधिनियम, 1858 (Govt. of India Act 1858)

- इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कम्पनी के हाथों से निकालकर **'ब्रिटिश क्राउन'** के हाथों में सौंप दिया गया।
- भारत के गवर्नर–जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली, जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था। **लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने।**

1861 का भारत परिषद् अधिनियम

1857 की महान क्रान्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में तीन नए अधिनियम पारित किये। 1861 का भारत परिषद् अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण अधिनियम था।

इस अधिनियम की विशेषताएँ इस प्रकार थीं :

1. इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद् में गैर–सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में, लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों–बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद् में मनोनीत किया।
2. इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः देकर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 द्वारा शुरू हुई केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुँच गयी थी। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रान्तों को सम्पूर्ण आन्तरिक स्वायत्तता हासिल हो गई।
3. बंगाल, उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ।
4. इसने वायसराय को परिषद् में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियाँ प्रदान कीं। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारम्भ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी।
5. इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया था। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र छः माह होती थी।

VIII. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1909 (मार्ले–मिण्टो रिफॉर्म) (Indian Council Act, 1909)

- मार्ले भारत सचिव तथा मिण्टो वायसराय थे।
- इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक् निर्वाचक मण्डल की सुविधा दी गई।

IX. भारतीय परिषद् अधिनियम, 1919 (माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार) (Indian Council Act, 1919)

- मान्टेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड वायसराय थे।
- इस अधिनियम के तहत केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई।
- **प्रांतीय द्वैधशासन की शुरुआत** इस एक्ट द्वारा की गई।

इस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तथा पहली बार भारतीय महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया।

X. भारत शासन अधिनियम, 1935 (Govt. of India Act, 1935)

- प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई। इसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है।
- द्वैध शासन की व्यवस्था अब केन्द्र में लागू की गई है।
- इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष **1935** में **बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया** और उड़ीसा एवं सिंध दो नए प्रांत बनाए गए।

XI. भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947)

- इस अधिनियम में दो डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए **15** अगस्त, **1947** की तारीख निर्धारित की गई।

2. संविधान सभा एवं भारतीय संविधान (Constituent Assembly & Indian Constitution)

- भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम. एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आन्दोलन के प्रखर नेता थे।
- 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की माँग की।

  1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जायेगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा।
- नेहरू की इस माँग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन् 1940 के 'अगस्त प्रस्ताव' के नाम से जाना जाता है।
- सन् 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए।
- इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था।
- क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की माँग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बाँट दिया जाए, जिनकी अपनी–अपनी संविधान सभाएँ हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की माँग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी, जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक सन्तुष्ट कर दिया।

I. संविधान सभा (Constituent Assembly)

- संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया।
- प्रांतों से प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण प्रति दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से किया गया।
- संविधान–निर्माण–निकाय की सदस्य संख्या **389** निर्धारित की गई। इसमें से **292 प्रतिनिधि** ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन **11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि,** चीफ कमीश्नरी के चार प्रांतों से **(**दिल्ली, अजमेर–मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान**)** तथा **93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों** से थे।
- भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं।
- जुलाई, **1946** में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित **(292+4) = 296** स्थानों के लिए चुनाव हुए, जिनमें **208** कांग्रेस तथा **73** सीट मुस्लिम लीग ने जीतीं।
- संविधान सभा का विधिवत **उद्घाटन 9 दिसंबर, 1946,** को हुआ। **9** दिसंबर, **1946** को **सच्चिदानंद सिन्हा** को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह संविधान सभा के अन्तरिम सभापति थे।
- **11 दिसंबर, 1946** को **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।
- **एच. सी. मुखर्जी** को उपाध्यक्ष तथा **बी.एन. राव** को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
- **जवाहरलाल नेहरू ने 13** दिसंबर, **1946** को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे संविधान सभा ने **22** जनवरी, **1947** को स्वीकार कर लिया। यही भारतीय संविधान की उद्देशिका बना।

  भारत का संविधान का प्रारूप कुल 2 साल 11 माह और 18 दिन में लिखित रूप में तैयार हुआ।
- भारतीय संविधान सभा की अन्तिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को हुई।
- भारतीय संविधान विश्व का सबसे बृहद् संविधान है।
- भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था।

संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ (Committees of the Constituent Assembly)

समिति	अध्यक्ष
नियम समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संचालन समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
प्रारूप समिति	डॉ. भीमराव अंबेडकर
संघ संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार बल्लभ भाई पटेल
रियासत समिति (देशी रियासतों से वार्ता के लिए)	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
झंडा समिति	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

- **29** अगस्त, **1947** को संविधान के निर्माण हेतु **7** सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।
- महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- संविधान सभा के सांविधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने अक्टूबर, **1947** में संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसमें **243** अनुच्छेद एवं **13** अनुसूचियाँ थीं।
- प्रारूप संविधान **4** नवंबर से **9** नवंबर, **1948** को पुनः स्थापित हुआ (**प्रथम वाचन**)।
- संविधान के प्रारूप के उपबन्धों पर खण्डवार विचार **15** नवंबर, **1948** से **17** अक्टूबर, **1949** के मध्य हुआ। (दूसरा वाचन)
- **तीसरा वाचन 14** नवंबर, **1949** और **26** नवंबर, **1949** के बीच हुआ।
- **26** नवंबर, **1949** को संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान, अन्तिम रूप से स्वीकार किया गया जिस पर **284** सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। इस समय संविधान में **22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थीं।**
- संविधान के निर्माण में कुल **2 वर्ष, 11 माह** एवं **18 दिन** का समय लगा था। इस दौरान कुल **12 अधिवेशन** हुए थे।
- संविधान के कुछ भाग जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि से सम्बन्धित कुल **16** अनुच्छेदों **(**अनुच्छेद – **5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393,** तथा **394)** को **26** नवंबर, **1949** को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद **26** जनवरी, **1950** को लागू हुए।
- **42**वें संविधान संशोधन अधिनियम, **1976** के द्वारा इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' एवं अखण्डता' शब्द जोड़े गए।
- प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानन्द भारती *बनाम* केरल राज्य वाद, **1973** ई. में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद प्रस्तावना को संशोधित कर सकती है।

भारतीय संविधान के भाग (Parts in Indian Constitution)

भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं जिनका वर्णन इस संविधान के 22 भागों में किया गया है–

भाग 1	संघ और उसका राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 1-4)
भाग 2	नागरिकता (अनुच्छेद 5-11)
भाग 3	मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)
भाग 4	राज्य के नीति–निदेशक तत्व (अनुच्छेद 36-51)
भाग 4 (क)	मूल कर्त्तव्य (अनुच्छेद 51- क)
भाग 5	संघ (अनुच्छेद 52 - 151)
भाग 6	राज्य (अनुच्छेद 152-237)
भाग 7	पहली अनुसूची के भारत के राज्य [अनुच्छेद 238 संविधान (7वाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित)]
भाग 8	संघ राज्यक्षेत्र (अनुच्छेद 239-242)
भाग 9	पंचायत (अनुच्छेद 243 क से 243 ण)
भाग 9 क	नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243 त से 243 य छ)
भाग 10	अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद 244 एवं 244-क)
भाग 11	संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध (अनुच्छेद 245–263)
भाग 12	वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद (अनुच्छेद 264–300 क)
भाग 13	भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद 301–307)
भाग 14	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद 308–323)
भाग 15	निर्वाचन (अनुच्छेद 324-329 क)
भाग 16	कुछ वर्गों के सम्बन्ध में विशेष उपबंध (अनुच्छेद 330–342)
भाग 17	राजभाषा (अनुच्छेद 343–351)
भाग 18	आपात उपबंध (अनुच्छेद 352–360)
भाग 19	प्रकीर्ण (राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख, संसद आदि का संरक्षण) (अनुच्छेद 361–367)
भाग 20	संविधान का संशोधन (अनुच्छेद 368)
भाग 21	अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध (अनुच्छेद 369–392)
भाग 22	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन (अनुच्छेद 393–395)

संविधान की अनुसूचियाँ
(Schedules in the Constitution)

संविधान के मूल पाठ में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान की इन अनुसूचियों का विवरण इस प्रकार हैं–	
प्रथम अनुसूची–	इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। **नोट :** जब किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है।
द्वितीय अनुसूची–	इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उप–सभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानपरिषद् के सभापति और उप–सभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है।
तृतीय अनुसूची–	इसमें विभिन्न पदधारियों (राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, मन्त्री, संसद सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि) द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।

चतुर्थ अनुसूची—	इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
पाँचवीं अनुसूची—	इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियन्त्रण के बारे में उल्लेख है।
छठी अनुसूची—	इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
सातवीं अनुसूची—	इसमें संघ सूची (100 विषय), राज्य सूची (61 विषय) और समवर्ती सूची (52 विषय)के विषयों का उल्लेख किया गया है।
आठवीं अनुसूची—	इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है : 1. असमिया 2. बांग्ला 3. बोडो 4. गुजराती 5. हिन्दी 6. कन्नड़ 7. कश्मीरी 8. कोंकणी 9. मलयालम 10. मणिपुरी 11. मराठी 12. नेपाली 13. उड़िया 14. पंजाबी 15. संस्कृत 16. सिन्धी 17. तमिल 18. तेलुगू 19. उर्दू 20. डोगरी 21. मैथिली 22. संथाली
नवीं अनुसूची—	इसमें राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया।
दसवीं अनुसूची—	इसमें दल–बदल से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख है। 52वाँ संविधान संशोधन 1985 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया।
ग्यारहवीं अनुसूची—	इस अनुसूची के आधार पर 'पंचायती राजव्यवस्था' को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा।
बारहवीं अनुसूची—	इन अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा।

3. भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत
(Major Sources of Indian Constitution)

- संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उन संविधानों के जो तत्व भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थे, उनको भारतीय संविधान के लिए ग्रहण किया गया।

विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों से लिये गये आदर्श

देश	आदर्श
ब्रिटेन	संसदीय शासन प्रणाली, संसद तथा विधान मण्डल की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, एकल न्यायिक प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, संसदीय विशेषाधिकार। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, लोक सभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व।
अमेरिका	मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन व शक्तियाँ, उप–राष्ट्रपति का पद, विधि के समक्ष समान संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन, उद्देशिका का विचार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उच्चतम एवं उच्च न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात काल, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकजनहित याचिका, संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान।
आयरलैण्ड	राज्य के नीति–निदेशक तत्व, राज्य सभा में कुछ (12) सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति का निर्वाचन।
जर्मनी	आपात उपबन्ध।
कनाडा	संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल का पद, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास, राज्यों में राज्यपाल की केन्द्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायनिर्णय, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचाराणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना।
पूर्व सोवियत संघ	मौलिक कर्त्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श।
फ्रांस	गणतन्त्रात्मक, शासन प्रणाली स्वतन्त्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धान्त
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केन्द्र–राज्य सम्बन्ध, संसदीय विशेषाधिकार, शक्तियों का विभाजन।
जापान	अनुच्छेद–21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन।

संविधान की विशेषताएँ : एक दृष्टि में

- विशालतम एवं विस्तृत संविधान
- लिखित संविधान
- प्रभुत्ता सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
- संसदीय शासन प्रणाली
- मूल अधिकार
- मूल कर्त्तव्य
- नीति निर्देशक तत्त्व
- स्वतंत्र न्यायापालिका

- केन्द्राभिमुख संविधान
- एकल नागरिकता
- वयस्क मताधिकार
- संविधान की सर्वोच्चता
- वयस्क मताधिकार
- आपातकालीन उपबन्ध
- ग्राम पंचायतों की स्थापना

4. संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना (Preamble of Constitution)

सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था।

- भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए एवं संविधान सभा द्वारा अपनाए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी, 1947 को स्वीकृत किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका बना।
- उद्देशिका में संशोधन मूलभूत ढाँचे के अलावा किया जा सकता है।
- मूल उद्देशिका में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्त्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया था।
- उद्देशिका में **समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखण्डता** आदि शब्द संविधान के 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़े गये। अभी तक उद्देशिका में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है।
- समाजवादी शब्द जिसको उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। जिसमें बताया गया कि भारत का समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है।
- संविधान की प्रस्तावना सामान्य तथा विशेष किसी भी परिस्थिति में न्यायिक रूप से परिवर्तनीय नहीं है।
- पंथ निरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पंथ–निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है, जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है।
- 1976 ई. में यथा संशोधित उद्देशिका निम्न प्रकार हैं—

  "**हम, भारत के लोग,** भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को **सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,** विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतन्त्रता,** प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए तथा उन **सब में व्यक्ति की गरिमा** और **राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित** करने वाली **बन्धुता बढ़ाने के लिए** दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज दिनांक **26 नवम्बर, 1949 ई.** (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, **संवत् दो हजार छः विक्रमी**) को **एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**"
- भारतीय संविधान में यह घोषणा प्रस्तावना में की गयी है कि 'भारत के लोग' संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राजव्यवस्था लोकतन्त्रात्मक है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम मदन गोपाल वाद (1954) में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।
- इन री बेरुबारी (1960) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किन्तु यह संविधान का अंग नहीं है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है।
- 1973 में, केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का अंग है तथा मूल ढाँचा बदले बिना प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है।
- उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात् इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता।
- न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ *बनाम* पंजाब राज्य के प्रकरण में **उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा** कहा है। यद्यपि डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा **संवैधानिक उपचारों का अधिकार** ' (अनुच्छेद 32) है।
- के. एम. मुंशी ने उद्देशिका को **राजनीतिक जन्मपत्री (Political Horoscope)** की संज्ञा प्रदान की है।
- 'हम भारत के लोग' का तात्पर्य भारत की जनता है, वही शक्तियों का केन्द्र बिन्दु है। यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द 'हम संयुक्त राष्ट्र के लोग' के समरूप है।

5. संघ एवं राज्य क्षेत्र (Union and its Territory)

I. भाग I (अनुच्छेद 1-4)

(i) अनुच्छेद–1 में यह निर्धारित किया गया है कि भारत, अर्थात् इण्डिया राज्यों का संघ होगा।

प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय राज्य क्षेत्र में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश हैं।

(ii) अनुच्छेद–2 संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है।

(iii) अनुच्छेद–3 संसद भारतीय सीमा के अन्तर्गत वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों से परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद–3 के अन्तगर्त नये राज्यों की स्थापना वर्तमान राज्यों के भागों को मिलाकर की जा सकती है, जबकि अनुच्छेद–2 के अन्तर्गत राज्यों की स्थापना नये राज्य क्षेत्र को अर्जिज करके की जा सकती है। इन परिवर्तनों को करने के लिये राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति लेकर इससे सम्बन्धित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाता है।

(iv) **अनुच्छेद–4** यह घोषणा करता है कि अनुच्छेद 2 या 3 में किए गए संशोधन संवैधानिक संशोधन नहीं माने जायेंगे।

- भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य अण्डमान निकोबार है।

II. राज्यों का गठन (Establishment of The States)

- भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को 1948 में गठित धर आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। हालाँकि 1953 में आन्ध्र प्रदेश का गठन भाषायी आधार पर किया गया। यह भाषायी आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य है।
- 22 दिसंबर, 1953 को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग गठित किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 संसद द्वारा पारित किया गया।

1960 से 2014 के दौरान राज्यों के दर्जे एवं नाम में परिवर्तन

वर्ष	नए राज्य की संख्या एवं नाम व उनके क्रम		पुनर्गठित/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
1960	15वाँ	गुजरात	मुम्बई
1963	16वाँ	नगालैंड	असम
1966	17वाँ	हरियाणा	पंजाब
1969	18वाँ	मेघालय	असम
1971	19वाँ	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश (संघ राज्य क्षेत्र)
1972	20वाँ	मणिपुर	मणिपुर (संघ राज्य प्रदेश)
1975	22वाँ	सिक्किम	सिक्कम (सहयोगी राज्य)
1987	23वाँ	मिजोरम	मिजोरम (संघ राज्य क्षेत्र)
1987	24वाँ	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश (संघ राज्य क्षेत्र)
1987	25वाँ	गोवा	गोवा (संघ राज्य क्षेत्र)
2000	26वाँ	छत्तीसगढ़	मध्य प्रदेश
2000	27वाँ	उत्तराखण्ड	उत्तर प्रदेश
2000	28वाँ	झारखंड	बिहार
2014	29वाँ	तेलंगाना	आन्ध्र प्रदेश

वर्ष 2019 में, भारत सरकार ने अनुच्छेद–370 को समाप्त कर जम्मू–कश्मीर राज्य का निशेष दर्जा समाप्त कर दिया है। अब जम्मू–कश्मीर का विभाजन करके जम्मू–कश्मीर व लद्दाख दो केन्द्र शासित प्रदेश बनाए गये हैं।

6. नागरिकता (Citizenship)

I. नागरिकता का अर्थ (Meaning of Citizenship)

- भारतीय संविधान के भाग–2 (अनुच्छेद 5-11) में नागरिकता का वर्णन है।
- लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है।

  भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है।

II. नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955)

अनुच्छेद 11 के अनुसार, नागरिकता सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया। इस अधिनियम के अधीन भारतीय नागरिकता निम्न प्रकार से अर्जित की जा सकती है–

(i) जन्म के द्वारा नागरिकता

(ii) देशीकरण द्वारा नागरिकता

(iii) वंश परम्परा द्वारा नागरिकता

(iv) पंजीकरण द्वारा नागरिकता

(v) अर्जित भू-भाग के विलियन द्वारा नागरिकता।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के अन्तर्गत 21 दिन के भीतर जन्म एवं मृत्यु की घटना को पंजीकृत कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है।

III. नागरिकता की समाप्ति (End of Citizenship)

अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता तीन प्रकार से समाप्त हो सकती है–

(i) परित्याग (स्वयं त्यागना)

(ii) पर्यवसान (अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेना)

(iii) वंचित करना

7. मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

- भारतीय संविधान के भाग–**3** (अनु. **12-35**) में मौलिक अधिकार का वर्णन है।
- मौलिक अधिकार लोगों को राज्य के विरुद्ध प्रदत्त प्रत्याभूति (गारंटी) है। अतः इनकी प्रकृति प्रायः नकारात्मक है।
- मौलिक अधिकार, **संयुक्त राज्य अमेरिका** के संविधान के अधिकार–पत्र **(Bill of Rights)** से लिया गया है।
- प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूलतः सात मौलिक अधिकार थे, जो वर्तमान में छः हैं।
- 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सम्पत्ति के अधिकार (अनु. 19(f) तथा 31) को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया।
- वर्तमान समय में सम्पत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है।
- मौलिक अधिकार 'वाद–योग्य' है।
- मौलिक अधिकार केवल आपातकालीन स्थिति में ही निलंबित किया जा सकता है।
- नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
- **मूल अधिकारों का वर्गीकरण (Classification of Fundamental Rights)**–मौलिक अधिकार के अन्तर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित है–

I. समता का अधिकार (Right to Equality)

(i) विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)

(ii) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15)

(iii) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)

(iv) अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद 17)

(v) उपाधियों का अंत (अनुच्छेद 18)

II. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)

(i) अनुच्छेद 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है—

(ii) अपराधों के लिए दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनुच्छेद 20)

(iii) प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)

(iv) शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21 क)

86वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष आयु से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** उपलब्ध कराएगा।

(v) कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22)

III. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation)

(i) मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद 23)

(ii) कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (अनुच्छेद 24)

IV. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion)

(i) अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)

(ii) धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26)

(iii) किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27)

(iv) कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)

V. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (Cultural and Educational Rights)

(i) अल्पसंख्यक– वर्गों के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29)

(ii) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30)

VI. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) :

- **अनुच्छेद 32 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर** ने इसे **'संविधान का हृदय तथा आत्मा'** की संज्ञा दी है।

  अनुच्छेछ 32 के अनतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के सम्बन्ध में निदेश या आदेश या रिट जारी कर सकता है। संविधान में पाँच प्रकार की रिट का उल्लेख है—

  (i) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

  (ii) परमादेश (Mandamus)

  (iii) प्रतिषेध (Prohibition)

  (iv) उत्प्रेरण (Certirari)

  (v) अधिकार–पृच्छा (Quo-Warranto)

- अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के अन्तर्गत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक के लिए हैं। शेष सभी अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है।

VII. अनुच्छेद 33 (Article 33)

संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बलों, अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है।

VIII. अनुच्छेद 34 (Article 34)

जब भारत में कहीं मार्शल लॉ (सेना विधि) लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है।

IX. अनुच्छेद 35 (Article 35)

संसद को कुछ मूल अधिकारों (अनुच्छेद 16, 32, 33, 34) को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है, जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकर थे, किन्तु 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 से सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक आधार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब यह अधिकार संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300 क के तहत केवल कानूनी अधिकार के रूप में ही भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।

8. राज्य के नीति-निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy)

- भारतीय संविधान के भाग-4 (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन है।
- राज्य के नीति–निदेशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के प्रमुख तत्व हैं। भारत में नीति–निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति–निदेशक तत्व का प्रमुख लक्ष्य जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।
- इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
- नीति–निदेशक तत्व, वस्तुतः राज्य के कर्तव्य हैं और प्रकृति से राज्य के प्रति सकारात्मक हैं।
- नीति निदेशक तत्व निम्नवत् हैं—
- राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। (अनुच्छेद-38)

  अन्य शब्दों में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रणित करें, भरसक, प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।
- सभी पुरुष एवं स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। (अनुच्छेद-39)
- समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। (अनुच्छेद-39 A)
- राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में संगठित करेगा। (अनुच्छेद-40)
- काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार। (अनुच्छेद-41)
- काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध। (अनुच्छेद-42)
- राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर आदि बढ़ाने का प्रयास। (अनुच्छेद-43)
- उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। [42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया।] (अनुच्छेद-43 A)
- एक समान सिविल संहिता। (अनुच्छेद-44)

- 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। (अनुच्छेद-45)
- जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा। (अनुच्छेद-46)
- पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने, लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का प्रयास, मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध। (अनुच्छेद-47)
- कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करने और दुधारू पशुओं के वध पर रोक। (अनुच्छेद-48)
- देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा (42वें संशोधन 1976 से जोड़ा गया)। (अनुच्छेद-48 A)
- राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। (अनुच्छेद-49)
- न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। (अनुच्छेद-50)
- अंतर्राष्ट्रीय शाँति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। (अनुच्छेद-51)

9. मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)

- भारतीय संविधान के **भाग-4 क (अनुच्छेद 51 क)** में मौलिक कर्त्तव्य का वर्णन है।
- मौलिक कर्त्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था। इन्हें **सरदार स्वर्ण सिंह समिति** (1976) की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्त्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में इनकी **संख्या 11** है।
- **अनुच्छेद 51 क –**भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह–
  - (i) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;
  - (ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें;
  - (iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें एवं उसे अक्षुण्ण रखें;
  - (iv) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें;
  - (v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;
  - (vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करे;
  - (vii) प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करें तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखें;
  - (viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;
  - (ix) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें;
  - (x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू लें;
  - (xi) 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। **(86वाँ संविधान, 2002)**

10. संघ की कार्यपालिका (Union Executive)

संविधान के भाग V के अनुच्छेद 52 से 78 तक, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं।

I. राष्ट्रपति (President)

अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति, भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पदक्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। **राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है।**

- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर पाँच वर्षों तक होता है। **(अनुच्छेद 56(1))**
- एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। **(अनुच्छेद 57)**
- कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उप–राष्ट्रपति को दे सकता है। **(अनुच्छेद 56(1) क)**
- राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय **उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** या उसकी अनुपस्थिति में **ज्येष्ठतम न्यायाधीश** के समक्ष शपथ लेता है। **(अनुच्छेद 60)**
- संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। **(अनुच्छेद 61)**
- भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम–से–कम 7 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है।
- **राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार** 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना अनिवार्य है।
- राष्ट्रपति न तो केन्द्रीय विधायिका का सदस्य होता है और न ही राज्य विधायिका का।

अनुच्छेद 75 (1)``` में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा तत्पश्चात् प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

भारत के राष्ट्रपति (President of India)

राष्ट्रपति का नाम	कार्यावधि
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	26 जनवरी, 1950-13 मई, 1962
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई, 1962-13 मई, 1967
डॉ. जाकिर हुसैन	13 मई, 1967-03 मई, 1969
वी. वी गिरि (कार्यवाहक)	3 मई, 1969 - 20 जुलाई, 1969
न्यायमूर्ति मो. हिदायतुल्ला (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969 - 24 अगस्त, 1969
वी. वी गिरि	24 अगस्त, 1969 - 24 अगस्त, 1974
फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त, 1974 - 11 फरवरी, 1977
बी. डी. जत्ती (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977 - 25 जुलाई, 1977
नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई, 1977 - 25 जुलाई, 1982
ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई, 1982 - 25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरमन	25 जुलाई, 1987 - 25 जुलाई, 1992
डॉ. शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई, 1992 - 25 जुलाई, 1997
के. आर. नारायणन	25 जुलाई, 1997 - 25 जुलाई, 2002
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई, 2002 - 25 जुलाई, 2007
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	25 जुलाई, 2007 - 25 जुलाई, 2012
प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई, 2012 - 25 जुलाई, 2017
रामनाथ कोविन्द	25 जुलाई, 2017 से पदस्थ

- भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद–76) राष्ट्रपति के प्रसाद–पर्यन्त अपने पद पर बना रह सकता है।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जाँच **उच्चतम न्यायालय** द्वारा की जाती है।
- राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, संबोधित करता है, सत्रावसान एवं विघटन कराता है (अनुच्छेद 85)। वह संसद का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है (अनुच्छेद 108)।
- वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्य सभा के लिए (अनुच्छेद 80) एवं एंग्लो–इंडियन समुदाय से दो व्यक्तियों का लोकसभा के लिए (अनुच्छेद 331) मनोनीत करता है। 104वें संविधान संशोधन से एंग्लो भारतीय सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है।
- धन विधेयक (अनुच्छेद 110) राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- वह केन्द्र एवं राज्य के बीच राजस्व के बँटवारे के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है **(अनुच्छेद 280)**।
- वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर सलाह ले सकता है, परन्तु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है **(अनुच्छेद 143)**।
- **अनुच्छेद 72** के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार कर सकता है या दण्ड में क्षमादान, प्राणदण्ड का स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है–
- अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है।
- संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की हैं–
  - राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
  - राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
  - वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
- **अनुच्छेद 123** के अनुसार जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है।
- संसद के पुन सत्रारम्भ पर यह अध्यादेश **6 सप्ताह** के अन्दर दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाना चाहिए अन्यथा यह अध्यादेश समाप्त समझा जाएगा।

- राष्ट्रपति का वेतन ₹ **5 लाख प्रति माह** और पेंशन ₹ **9** लाख वार्षिक है।
- भारत का प्रधानमंत्री एवं संघ के अन्य मंत्री, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक–महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उप-राज्यपाल एवं प्रशासक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ

वीटो–लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है **रोकना।** भारतीय संविधान द्वारा **राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गयी है,** किन्तु संवैधानिक परम्परा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित तीन प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। (अनुच्छेद 111)

1. **आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto)–**जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी **अनुमति नहीं देता है** तब विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे **आत्यांतिक वीटो** या **पूर्ण वीटो** कहा जाता है। सामान्यतया इस वीटो शक्ति का प्रयोग **गैर-सरकारी विधेयकों के** सम्बन्ध में किया जाता है।
   - राष्ट्रपति की आत्यांतिक वीटो शक्ति मंत्रिमण्डल के इच्छाधीन होती है।
   - सर्वप्रथम इस शक्ति का प्रयोग पीई पीए एसयू विनियोग विधेयक के मामले में, भारत के राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 1954 में किया गया था।
2. **निलम्बनकारी वीटो (Suspension Veto)**–अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को (धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के सिवाय) संसद को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लौटाये जाने का प्रभाव सिर्फ अनुमति का निलम्बन होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित कर दिये जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अतः इसे निलम्बनकारी वीटो कहा जाता है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1991 में राष्ट्रपति वेंकटरमन ने संसद सदस्यों के 'वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक' के सम्बन्ध में किया था। तत्पश्चात् 1997 में डॉ. के. आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश एवं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथा 2006 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 'सांसद (अयोग्यता निवारण) संशोधन विधेयक' के सम्बन्ध में इस शक्ति का प्रयोग किया था।
3. **पॉकेट वीटो (Poket Veto)**–संविधान के तहत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय–सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है। अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है या पुनर्विचार के लिए संसद को वापस नहीं करता है तब वह जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में 'भारतीय डाक (संशोधन) विधेयक' के सम्बन्ध में किया था। ध्यातव्य है कि यह राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति का प्रथम मामला था।

II. उप-राष्ट्रपति (Vice President)

- अनुच्छेद–63 के अनुसार भारत के संविधान में एक उप-राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है।
- अनुच्छेद–64 के तहत उप-राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।
- संविधान में उप-राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है।
- राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उप-राष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालता है, किन्तु 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न हो जाना चाहिए।
- अनुच्छेद–66(3) में उप-राष्ट्रपति पद के लए उम्मीदवार ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, यह आवश्यक है।
- अनुच्छेद–**69** के तहत उप-राष्ट्रपति को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति पद की शपथ दिलाता है।
- उप-राष्ट्रपति का वेतन ₹ **4 लाख** है। यह वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है।
- अनुच्छेद 67 के अनुसार उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन पाँच वर्ष के लिए किया जाता है।
- उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है।
- उप-राष्ट्रपति को हटाये जाने का प्रस्ताव राज्य सभा में लाए जाने पर उसकी लिखित सूचना 14 दिन पहले उप–राष्ट्रपति को भेजी जाती है।
- उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य (निर्वाचित व मनोनीत) भाग लेते हैं।
- निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है।
- उप-राष्ट्रपति चुनावों से उत्पन्न विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है।

भारत के उप-राष्ट्रपति (Vice President of India)

नाम	कार्यकाल
सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952–1962
जाकिर हुसैन	1962–1967
वी. वी. गिरि	1967–1969
गोपाल स्वरूप पाठक	1969–1974
बी. डी. जत्ती	1974–1979
न्यायमूर्ति मो. हिदायतुल्ला	1979–1984
आर. वेंकटरमण	1984–1987
शंकर दयाल शर्मा	1987–1992

नाम	कार्यकाल
के. आर. नारायण	1992–1997
कृष्ण कांत	1997–2002
भैरों सिंह शेखावत	2002–2007
डॉ. हामिद अंसारी	2007–2017
वेंकैया नायडू	2017

III. प्रधानमन्त्री एवं उसकी मन्त्रिपरिषद् (Prime Minister & His Cabinet)

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् का संक्षिप्त वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में दिया गया है।

- राष्ट्रपति को उसके कार्यों एवं कर्त्तव्यों के सम्पादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है।
- **प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है** और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान दिया गया है कि मंत्रिपरिषद् को शामिल सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।
- मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करते हैं।
- मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होंगे।
- भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय का प्रमुख सचिव इसका सवोच्च अधिकारी होता है।

IV. मन्त्रियों की श्रेणियाँ (Classes of Ministers)

(i) कैबिनेट मंत्री

(ii) राज्यमंत्री

(iii) उपमंत्री

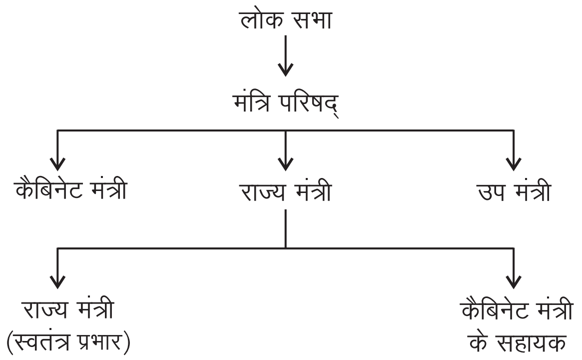

भारत के प्रधानमंत्री (Prime Ministers of India)

नाम	कार्यकाल	टिप्पणी
जवाहरलाल नेहरू	15 अगस्त, 1947–27 मई, 1964 प्रथम प्रधानमंत्री	सबसे लंबा कार्यकाल, कार्यकाल में मरने वाले
गुलजारी लाल नंदा	27 मई, 1964–9 जून, 1964	प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री	9 जून, 1964–11 जनवरी, 1966	विदेश (ताशकंद) में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
गुलजारी लाल नंदा	11 जनवरी, 1966–24 जनवरी, 1966	कार्यवाहक प्रधानमंत्री
इन्दिरा गाँधी	24 जनवरी, 1966–24 मार्च 1977	प्रथम महिला प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई	24 मार्च, 1977–28 जुलाई, 1979	सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री
चौधरी चरण सिंह	28 जुलाई, 1979–14 जनवरी, 1980 प्रधानमंत्री	कभी लोक सभा का सामना न करने वाले
इन्दिरा गाँधी	14 जनवरी, 1980–31 अक्टूबर, 1984	प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई
राजीव गाँधी	31 अक्टूबर, 1984–1 दिसम्बर, 1989	सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री
वी. पी. सिंह	2 दिसम्बर, 1989–10 नवंबर, 1990	अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ने वाले प्रथम प्रधानमंत्री
चन्द्रशेखर	10 नवबंर, 1990–21 जून, 1991	अपने प्रधानमंत्री काल में लोक सभा के सदस्य थे।
पी. वी. नरसिम्हा राव	21 जून, 1991–16 मई, 1996	दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं, बाद में नांदयाल लोक सभा सीट से जीते।
अटल बिहारी वाजपेयी	16 मई, 1996–1 जून, 1996	न्यूनतम अवधि के प्रधानमंत्री (13 दिन)

नाम	कार्यकाल	टिप्पणी
एच. डी. देवगौड़ा	1 जून, 1996–21 अप्रैल, 1997	पद ग्रहण करते समय कर्नाटक विधान सभा के सदस्य थे।
आई. के. गुजराल	21 अप्रैल, 1997–18 मार्च, 1998	राज्य सभा से प्रधानमंत्री बने।
अटल बिहारी वाजपेयी	19 मार्च, 1998–13 अक्टूबर, 1999	————————
अटल बिहारी वाजपेयी	13 अक्टूबर, 1999–21 मई, 2004	————————
डॉ. मनमोहन सिंह	22 मई, 2004–21 मई, 2009	राज्य सभा से प्रधानमंत्री बने, प्रथम अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री बने
डॉ. मनमोहन सिंह	22 मई, 2009–26 मई, 2014	————————
नरेन्द्र मोदी	26 मई, 2014 से अभी तक	————————

संविधान में उप–प्रधानमंत्री नामक कोई पद नहीं है, फिर भी राजनीतिक रूप से आठ **(8)** व्यक्तियों को उप–प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वर्ष **1947** में सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम उप–प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वर्ष **1979** में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने दो उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किये थे। जगजीवन राम (कनिष्ठ) एवं चौ. चरण सिंह (वरिष्ठ)। अन्तिम उप-प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी **(2002)** थे। सन् 2002 के पश्चात् अभी तक किसी भी व्यक्ति को उप-प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया है।

V. भारत का नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General)

- भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा संविधान के भाग–5 के अनुच्छेद 148 से 151 में की गई है, जिसके अनुसार भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जो देश के राज्यों और केन्द्र दोनों स्तरों की वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करेगा।
- महालेखा परीक्षक की पदावधि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने या पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष तक होगी।
- वह किसी भी समय स्वयं राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र या लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है।
- भारत के महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक कहा जाता है।
- CAG जनता के धन के प्रहरी के रूप में कार्य करता है।

VI. भारत का महान्यायवादी (The Attorney General of India) (अनुच्छेद 76)

- राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो।
- वह भारत सरकार को विधि सम्बन्धी विषयों पर सलाह देता है।
- उसे सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
- वह राष्ट्रपति के प्रसाद–पर्यंत पद धारण करता है।
- उसे संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है (अनुच्छेद 88)।

11. संसद (Parliament)

I. संसद का गठन (Composition of the Parliament)

अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की **संसद के तीन अंग** हैं—**राष्ट्रपति, लोकसभा** एवं **राज्यसभा**।

- भारतीय संविधान के प्रवर्तन के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट्स (राज्यसभा) का गठन सर्वप्रथम 3 अप्रैल, 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को किया गया था।
- राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह एक स्थायी संस्था है, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। राज्य सभा की अधिकतम संख्या **250** निर्धारित है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं **(अनुच्छेद 80)** जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं।
- वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं,
- अनुच्छेद **80 (3)** के अनुसार, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय चुनाव मत प्रणाली के आधार पर होता है।
- इसके सदस्य **6** वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा एक–तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। **(अनुच्छेद 83 (1))**।
- **राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है।**

राज्यसभा में स्थानों का आवंटन (चौथी अनुसूची)
(Allocation of Seats in Rajya Sabha)

राज्य	सीटों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	11
बिहार	16
गोवा	1
हरियाणा	5
मध्य प्रदेश	11

राज्य	सीटों की संख्या
तमिलनाडु	18
कर्नाटक	12
पंजाब	7
उत्तर प्रदेश	31
पश्चिम बंगाल	16
नगालैण्ड	1
मणिपुर	1
मेघालय	1
मिजोरम	1
तेलंगाना	7
पुदुचेरी	1
असम	7
झारखण्ड	6
गुजरात	11
केरल	9
छत्तीसगढ़	5
महाराष्ट्र	19
ओडिशा	10
राजस्थान	10
उत्तराखण्ड	3
जम्मू-कश्मीर	4
हिमाचल प्रदेश	3
त्रिपुरा	1

राज्य	सीटों की संख्या
सिक्किम	1
अरुणाचल प्रदेश	1
दिल्ली	3

- सभापति अपना त्यागपत्र उप-सभापति को तथा उप-सभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है।
- भारतीय संसद के निम्न सदन को लोक सभा कहा जाता है। यह भारतीय संसद का प्रथम सदन है।
- अनुच्छेद–368 के अन्तर्गत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है।
- लोकसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या **1971** की जनगणना के आधार पर निश्चित की गई है, जो **2026** तक यथावत् बनी रहेगी।
- 1976 में लोकसभा का कार्यकाल दो बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
- लोकसभा का अधिवेशन गणित करने हेतु गणपूर्ति (कोरम) कुल सदस्यों का दसवाँ भाग होता है।
- **लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है।** इनमें **530** सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 आंग्ल–भारतीय सदस्य (अनुच्छेद 331) होते हैं, लेकिन **वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 540** है।
- **लोकसभा सदस्य हेतु 25 वर्ष की आयु पूर्ण करना आवश्यक है।**

संसद की विभिन्न समितियाँ (Various Committees of the Parliament)

समिति	कुल सदस्य संख्या	लोकसभा से	राज्यसभा से	कार्य
लोक लेखा समिति	22	15	7	विभिन्न मन्त्रालयों के व्यय और नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर विचार–विमर्श।
प्राक्कलन समिति	30	30	—	सरकार को वित्तीय समिति नीतियों के सम्बन्ध में सुझाव देती है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है।
सार्वजनिक उपक्रम समिति	15	10	5	सीएजी के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखा व प्रतिवेदनों की समीक्षा और संवीक्षा करती है।
विशेषाधिकार समिति	15	10	5	संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से सम्बन्धित प्रेषित मामलों का परीक्षण करती है।
प्रवर समिति (दोनों सदनों के लिए अलग–अलग)	30-30	30	30	विधेयकों की समीक्षा करना
संयुक्त प्रवर समिति	45	30	15	विधेयकों की समीक्षा करना
कानून समिति	15	—	—	नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा

लोकसभा में स्थानों का आवंटन (सत्रहवीं लोकसभा के अनुसार)
(Allocation of Seats in Lok Sabha)

राज्य	स्थान	राज्य	स्थान
आन्ध्र प्रदेश	25	राजस्थान	25
अरुणाचल प्रदेश	2	सिक्किम	1
उत्तराखण्ड	5	तमिलनाडु	39
बिहार	40	कर्नाटक	28
गोवा	2	केरल	20
गुजरात	26	त्रिपुरा	2
छत्तीसगढ़	11	उत्तर प्रदेश	80
झारखंड	14	पश्चिम बंगाल	42
हरियाणा	10	**योग**	**524**
हिमाचल प्रदेश	4	**संघ राज्य क्षेत्र**	
मध्य प्रदेश	29	दिल्ली	7
महाराष्ट्र	48	अण्डमान और निकोबार	1
मणिपुर	2	चंडीगढ़	1
मेघालय	2	दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव	2
मिजोरम	1		
नगालैंड	1	लक्षद्वीप	1
ओडिशा	21	पुदुचेरी	1
पंजाब	13	जम्मू कश्मीर	5
असम	14	लद्दाख	1
तेलंगाना	17	**योग**	**19**
		कुल योग = 543	

- लोकसभा अपने पहले सत्र के प्रारम्भ होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होती है। **42वें संविधान अधिनियम 1976 द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर छः वर्ष कर दिया गया था,** लेकिन 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे फिर से पाँच वर्ष कर दिया गया है।
- प्रोटेम स्पीकर नव–निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को नियुक्त किया जाता है।
- अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनेगी।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को अपना त्याग–पत्र देता है।
- अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं और इस संदर्भ में उसका निर्णय अन्तिम होता है।
- यदि कोई सांसद सदन के बिना अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसे सदन से निलम्बित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संख्या के **दसवें भाग** की उपस्थिति अनिवार्य है। गणपूर्ति न होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक स्थापित कर दी जाएगी।

अनुच्छेद 100 उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करना।

संसद के सत्र (Sessions of Parliament)

(a) बजट सत्र (Budget Session) : फरवरी से मई तक यह वर्ष का पहला सत्र होता है, इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। यह सबसे लंबा सत्र होता है।

(b) मानसून सत्र (Monsoon Session) : जुलाई से सितम्बर तक।

(c) शीतकालीन सत्र (Winter Session) : नवम्बर से दिसम्बर तक यह सबसे छोटा सत्र होता है।

12. न्यायपालिका (Judiciary)

न्यायालय की एकल व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है।

I. उच्चतम् न्यायालय (Supreme Court)

संविधान के **भाग V** में **अनुच्छेद 124 से 147** तक उच्चतम् न्यायालय के उपबंधों का उल्लेख है। भारत का सर्वोच्च या उच्चतम् न्यायालय दिल्ली में है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है।

अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार प्रारम्भ में उच्चतम् न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं सात अन्य न्यायाधीश थे, **वर्तमान में 27 न्यायाधीश हैं (भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित) तथा सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम 34 (मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीश पीठासीन हो सकते हैं।**

- उच्चतम् न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- अनुच्छेद 124 (3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है या कम–से–कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है।
- पद ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक न्यायाधीश को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है।
- उच्चतम् न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है।
- न्यायाधीश कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार, उच्चतम् न्यायालय का न्यायाधीश संसद द्वारा कदाचार साबित होने पर हटाया जा सकता है।

उच्चतम् न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, जो कि भारत की संचित निधि (Consoliated Fund of India) पर भारित होता है। **वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन ₹ 2.80 लाख प्रतिमाह एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन ₹ 2.50 लाख प्रतिमाह है।**

II. उच्च न्यायालय (High Court)

संविधान के **अनुच्छेद 214** के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 231 के अनुसार, संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों या दो राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकती है। वर्तमान में देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। केन्द्रशासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय का गठन (Composition of the High Court)

- संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। उनकी संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। **गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम अर्थात् 3 है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे अधिक 59 है।**
- बोम्बे, मद्रास और कलकत्ता में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई।
- **अनुच्छेद 217 (2)** के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उम्मीदवार ने भारत में कम–से–कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो या कम–से–कम 10 वर्ष तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो।
- **अनुच्छेद 217 (1)** के अनुसार उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं।
- **अनुच्छेद 219** के अनुसार, पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है।

13. राज्य की कार्यपालिका (State Executive)

I. राज्यपाल (Governor)

- संविधान के अनुसार, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- **सामान्यत:** प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है, परन्तु एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बना रहता है (अनुच्छेद 156 (1))। अनुच्छेद 156 (2) के अनुसार राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के पास भेजकर पदमुक्त हो सकता है।
- राज्यपाल पद के लिए उम्मीदवार **35** वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो यह आवश्यक है।
- वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता।
- संविधान के **अनुच्छेद 159** के अन्तर्गत राज्यपाल **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** या **वरिष्ठतम् न्यायाधीश** के समक्ष पद ग्रहण करता है।
- वह राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों तथा अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन वह राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा नहीं सकता।
- राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श लेता है।
- राज्यपाल **आंग्ल भारतीय समुदाय के 1 सदस्य को विधान सभा में** मनोनीत कर सकता है। 104वें संशोधन 2020 से यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
- द्विसदनीय विधानमण्डल में राज्यपाल विधान परिषद् में कुछ सदस्यों के नाम निर्दिष्ट करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान का अनुभव है **[अनुच्छेद 171(5)]**।
- उसे राज्य विधान सभा के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधान सभा को भंग करने का अधिकार है **(अनुच्छेद 174)**।
- अनुच्छेद 174 के अन्तर्गत वह राज्य विधान सभा का विघटन कर सकता है।
- **अनुच्छेद 213 के अनुसार :** जब विधानमंडल या उसके दोनों सदन सत्र में नहीं हैं, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
- सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दण्ड के संदर्भ में उक्त शक्ति तथा मृत्यु दण्ड की स्थिति में क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है।
- अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि राज्यपाल को यह लगे कि राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।
- अनुच्छेद **161** के अनुसार, के तहत राज्यपाल को किसी अपराधी की क्षमा को कम करने टालने और निलंबन करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद **162** का सम्बन्ध राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से है।
- अनुच्छेद **164** के अनुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सम्मुख पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं।

II. मुख्यमंत्री (Chief Minister)

मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद् का प्रधान होता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो राज्य विधान सभा में बहुमत दल का नेता हो।

- राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त किया जाता है।
- **योग्यताएँ (Eligibilities)**—वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल अथवा दिवालिया न हो एवं संसद द्वारा समय–समय पर निर्धारित योग्यताओं को पूरी करता हो।

III. महाधिवक्ता (Advocate General)

- **अनुच्छेद 165** के अनुसार, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
- **अनुच्छेद 177** के अनुसार, महाधिवक्ता राज्य विधानमण्डल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं है।

14. राज्य का विधान मंडल (Legislature of the State)

संविधान के भाग VI में अनुच्छेद 168 से 212 तक विधानमण्डल के संगठन, गठन, कार्य, कार्यकाल, शक्तियों आदि का वर्णन है। किसी राज्य के विधानमण्डल में एक सदन या दो सदन हो सकते हैं। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमण्डल है–उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना।

- संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद् के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है।
- विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता परन्तु उनके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
- उच्च सदन विधान परिषद् एवं निम्न सदन विधान सभा कहलाता है।

  विधान परिषद् एक स्थायी निकाय है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता, परन्तु इसके एक–तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष के बाद सेवानिवृत हो जाते हैं। विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल **6** वर्ष का होता है। विधान परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है।
- अनुच्छेद 171 के अनुसार, विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती।

  विधान परिषद् के कुल सदस्यों में से–

  (i) 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे–नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं।

  (ii) 1/12 सदस्य राज्य के स्नातक मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिनको कम से कम 3 वर्ष पहले डिग्री मिल चुकी हो ।

  (iii) 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे अध्यापक करते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम के नहीं होने चाहिए।

  (iv) 1/3 भाग विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

  (v) शेष (1/6) राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, जिन्हें विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन अथवा सामाजिक सेवा का व्यावहारिक अनुभव हो।

  - विधान परिषद् का सदस्य बनने हेतु कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त करना आवश्यक है।
  - सभापति, उपसभापति को सम्बोधित कर एवं उपसभापति, सभापति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है।

- राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन विधान सभा कहलाता है।
- विधान सभा सदस्य के लिए आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
- राज्यपाल द्वारा एवं राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान इसे पाँच वर्ष से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है।
- विधानसभा की कार्यवाही के लिए कुल सदस्य संख्या का कम–से–कम 10 प्रतिशत सदस्यों का होना अनिवार्य है।
- विधानसभा की बैठक एक वर्ष में कम–से–कम दो बार अवश्य होनी चाहिए एवं इन बैठकों के मध्य का अन्तराल छः माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
- विधान सभा के सदस्यों की **अधिकतम संख्या 500** और **न्यूनतम 60** हो सकती है। **(अपवाद : गोवा : 40, मिजोरम : 40, पुदुचेरी : 30, सिक्किम : 32)**
- **राज्य विधान सभा की अवधि 5 वर्ष होती है,** परन्तु राज्यपाल इसे मध्य में भी विघटित कर सकता है।
- यदि कोई सदस्य सदन के अधिवेशन से 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है **(अनुच्छेद 190(4))**।
- विधान सभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। (अनुच्छेद 178) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को सम्बोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है **(अनुच्छेद 179)**।
- सदन के कुल सदस्य संख्या के दसवें भाग या कम से कम दस सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त है **(अनुच्छेद 189)**।
- धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है (अनुच्छेद 198) धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है।

राज्य विधानमण्डल में सदस्यों की संख्या (Members in State Legislature)

राज्य	विधान सभा	विधान परिषद्
अरुणाचल प्रदेश	60	–
असम	126	–
आन्ध्र प्रदेश	175	58
तेलंगाना	119	40
उत्तर प्रदेश	404	100
उत्तराखण्ड	70	–
ओडिशा	147	–
केरल	140	–
कर्नाटक	224	75
गोवा	40	–
गुजरात	182	–
छत्तीसगढ़	90	–

राज्य	विधान सभा	विधान परिषद्
झारखण्ड	81	–
तमिलनाडु	234	–
नगालैण्ड	60	–
पंजाब	117	–
पश्चिम बंगाल	294	–
बिहार	243	75
मध्य प्रदेश	230	–
मिजोरम	40	–
महाराष्ट्र	288	78
मेघालय	60	–
मणिपुर	60	–
राजस्थान	200	–
सिक्किम	32	–
हरियाणा	90	–
हिमाचल प्रदेश	68	–
त्रिपुरा	60	–
केन्द्रशासित प्रदेश		
दिल्ली	70	–
पुदुचेरी	30	–
जम्मू एवं कश्मीर	114	–

15. पंचायती राज एवं नगर पालिकाएँ (Panchayati Raj and Municipalities)

- स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लार्ड रिपन को माना जाता है।
- संविधान के **अनुच्छेद 40** में यह निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों के संगठन का प्रावधान करेगा।
- लोकतंत्र की शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी।
- बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री **जवाहरलाल नेहरू** ने **2 अक्टूबर, 1959** को **राजस्थान के नागौर** में किया था।
- 73वें संविधान संशोधन, 1992 का सम्बन्ध पंचायतों से है।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया। इसके अन्तर्गत अनुच्छेद 243 त से 243 यछ एवं अनुसूची 12 को जोड़ा गया है।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 243 (1) के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष पर 'वित्त आयोग' का गठन करता है।
- नगरीय शासन से सम्बन्धित संस्थाएँ तीन प्रकार की हैं :
  (i) नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।
  (ii) नगर परिषद् छोटे नगर क्षेत्र के लिए।
  (iii) नगर निगम बड़े नगर क्षेत्र के लिए।
- 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर पालिका क्षेत्र में दो या दो से अधिक वार्डों के लिए वार्ड समितियों की स्थापना आवश्यक है।

16. संघ और राज्यों के मध्य सम्बन्ध (Relation Between the Union and the States)

- संविधान के अनुच्छेद-1 के अनुसार **भारत अर्थात इण्डिया 'राज्यों का एक संघ'** (Union of States) होगा 'संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन' संघीय शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है।
- संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधान संविधान के भाग-11 अनुच्छेद 245-255 में दिया गया है। अनुच्छेद 245 तथा 246 केन्द्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं।
- केन्द्र–राज्य सम्बन्धों पर सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जिसने अपनी 1000 पृष्ण वाली रिपोर्ट 1987 ई. में भारत सरकार को सौंपी।
- संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। जिनमें प्रमुख हैं–रक्षा विदेशी मामले, युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय संधि, अणु शक्ति, सीमा–शुल्क, जनगणना, डाक एवं प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल–वायु तथा जल परिवहन, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, विनियम आदि।
- राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, जिनकी संख्या 66 थी। जिनमें प्रमुख हैं–लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू–राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय, विक्रय एवं सिंचाई बेटिंग और जुआ।
- समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, जिनकी संख्या पहले 47 थी। जिनमें प्रमुख हैं–राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार–पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, पशु क्रूरता।
- इन विषयों पर राज्यों एवं संघ दोनों को विधायन का अधिकार है किन्तु यदि राज्य विधि व संघीय विधि में टकराव होता है तो संघीय विधि प्रभावी होगी, यदि राज्य विधि को राष्ट्रपति की अनुमति मिली हो तो राज्य में राज्य विधि ही प्रवर्तित रहेगी।
- केन्द्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय साधनों के बँटवारे से सम्बद्ध विषयों पर वित्त आयोग परामर्श देता है।
- संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, परंतु इसके लिए यह प्रस्ताव राज्य सभा के कम–से–कम उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 के द्वारा समर्थित हो। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने हेतु उपबंध अनुच्छेद 249 में उल्लिखित है, जिसमें राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा संसद राज्य सूची के विषयों पर एक वर्ष तक के लिए कानून बना सकती है।

- **केन्द्र–राज्य सम्बन्धों पर गठित आयोग/समितियाँ**
  (i) सीतलवाड़ समिति
  (ii) राजमन्नार समिति
  (iii) सरकारिया आयोग

अनुच्छेद 263–इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद् का गठन कर सकता है।

- अन्तर्राज्यीय परिषद् का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
- **अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की व्यवस्था करता है।** इसका गठन हर पाँच साल बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

17. योजना आयोग
(Planning Commission)

- योजना आयोग एक संविधानेत्तर संस्था था। संघ ने बिना विधान 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना की। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक समेकित पंचवर्षीय योजना बनाना और इस निर्मित संघ की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना था। योजना आयोग का अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री होता था, हालाँकि, 15 अगस्त, 2014 को भारत के 68वें स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर अपने अभिभाषण के दौरान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने इस आयोग को खत्म करने की घोषणा की थी। 1 जनवरी, 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है।

18. राष्ट्रीय विकास परिषद्
(National Development Council)

- 6 अगस्त, 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद् का गठन हुआ।
- राष्ट्रीय विकास परिषद् का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री एवं योजना आयोग के सचिव इसके सचिव होते हैं।
- राष्ट्रीय विकास परिषद् भी एक संविधानेत्तर निकाय है।

19. नीति आयोग
(NITI Aayog)

- योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाये जाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में कही थी।
- नीति आयोग नामक नई संस्था 1 जनवरी, 2015 से अस्तित्व में आयी। इस नई संस्था को राष्ट्रीय भारत–परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India : NITI) नाम दिया। इसे आमतौर पर 'नीति आयोग' नाम से जाना जाता है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के **थिंक टैंक** (बौद्धिक संस्थान) के रूप में कार्य करेगा।
- यह केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने वाले संस्थान की भूमिका निभायेगा।
- यह आयोग केन्द्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक व तकनीकी सलाह देगा।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों को नीति आयोग की अधिशासी परिषद् (Governing Council) में शामिल किया गया है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस आयोग में एक उपाध्यक्ष व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer : CEO) का प्रावधान किया गया है।

नीति आयोग : एक दृष्टि में (वर्तमान में)

- **अध्यक्ष**–नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)
- **उपाध्यक्ष**–राजीव कुमार (अर्थशास्त्री)
- **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** (CEO)–अमिताभ कांत
- **पूर्ण कालिक सदस्य**–प्रो. विवेक देवराय, वी. के. सारस्वत, रमेश चन्द्र

20. निर्वाचन आयोग
(Election Commission)

संविधान के **भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 A** के बीच निर्वाचन से सम्बन्धित उपबन्ध किया गया है।

निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है। निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति **राष्ट्रपति** द्वारा की जाती है।

- **61वें संविधान संशोधन, 1989 द्वारा निर्वाचन के लिए 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया)।**
- 1966 से केवल उच्च न्यायालय को निर्वाचन अर्जी की सुनवाई का अधिकार है। इसकी अपील उच्चतम् न्यायालय में होती है।

  निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों, जिन्हें समय–समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है, से मिलकर बनता है।

  निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें तथा उनकी कार्यविधि को निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है।

  मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** तक, इनमें से जो भी पहले हो, होता है।

  अनुच्छेद 324 (5) के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, परन्तु अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

  - **राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voters Day) 25 जनवरी** को मनाया जाता है।

  वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ पूरी करनी होंगी–

I. यदि वह लोकसभा व विधानसभा के आम चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में **वैध मतों** का **6%** प्राप्त करता है तथा इसके साथ किसी **राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट** प्राप्त करता है।

II. यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान पर जीतता है और उसके सदस्य तीन अलग राज्यों से चुने जाते हैं।

III. यदि कोई दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।

   (i) आम चुनाव–नियमित अन्तराल, अर्थात् हर 5 वर्ष में होने वाले लोकसभा व विधानसभा के चुनावों को आम चुनाव कहते हैं।

   (ii) मध्यावधि चुनाव–कार्यकाल के पहले ही लोकसभा, विधानसभा भंग हो जाने पर कराये जाने वाले चुनाव।

   (iii) उपचुनाव–किसी लोकसभा/विधानसभा सदस्य की मृत्यु या किसी कारणवश सीट खाली होने के कारण कराये जाने वाले चुनाव।

21. जन–सहभागिता
(Public Participation)

जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिये मतदान करती है। ये प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार का निर्माण कर शासन चलाते हैं। सरकार बनाकर ये जन प्रतिनिधि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित

करते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी से ही हमारा लोकतंत्र एक प्रतिनिध्यात्मक और सहभागी लोकतंत्र बनता है, लेकिन जन सहभागिता का आरम्भ और अंत केवल चुनाव में मतदान करने से नहीं होता। जन सहभागिता अन्य अनेक तरीकों जैसे सार्वजनिक बहस, समाचार पत्रों के सम्पादकीय, विरोध प्रदर्शन तथा सरकार के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी आदि द्वारा भी व्यक्त होती है। चुनाव प्रक्रिया में भी सहभागिता, राजनीतिक चर्चा, राजनीतिक दलों के लिये कार्य करना, चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने जैसे कई तरीकों से देखने से मिलती है।

लोगों का वह व्यवहार जिसके द्वारा वे प्रत्यक्ष रूप से अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं, जन सहभागिता कहलाती है।

जनमत न तो लोगों की आम सहमति है और न यह बहुसंख्यक की राय है। जनमत, सार्वजनिक विषयों या मुद्दों पर लोगों की सहमति और सुविचारित राय को कहा जाता है। जनमत विभिन्न लोगों की जटिल राय का संग्रह है और सभी विचारों के योगफल के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

(i) जनमत विचारों का समूह या समुच्चय है।

(ii) ये विचार तर्क पर आधारित होते हैं।

(iii) ये विचार सम्पूर्ण समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करते हैं।

(iv) जनमत सरकारी निर्णयों, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली तथा प्रशासनिक संचालन को प्रभावित करता है।

जनमत : लोकतंत्र में इसका महत्व

लोकतंत्र में जनमत की भूमिका को किसी भी कीमत पर नजरंदाज नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक सरकार की सत्ता के स्रोत लोग होते हैं और यह शासकों की सहमति के द्वारा वैधता का दावा करती है। लोगों या जनता के समर्थन के बिना कोई सरकार कार्य नहीं कर सकती। जनमत निर्माण की प्रक्रिया सार्वजनिक विषयों पर जागरूकता को प्रोत्साहन और लोगों की राय आमंत्रित करती है।

(i) एक जागरूक और स्वतंत्र जनमत असीमित शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है।

(ii) यह एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करता है कि जिसमें सरकार का एक अंग, दूसरे अंग के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता।

(iii) यह जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है।

(iv) यह सरकार को जनहित में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

(v) यह लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रतिमानों को शक्ति प्रदान करता है।

(vi) जनमत, अधिकार और स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिये ठीक ही कहा जाता है कि निरंतर सतर्कता स्वतंत्रता की कीमत है। उदाहरण के लिये लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिये प्रत्येक के सतत् जागरूक व सावधान रहने की आवश्यकता है।

जनमत : इसका निर्माण करने वाली एजेंसियाँ/अभिकरण

वास्तव में, जनमत इन विचारों और राय के आधार पर निर्मित होता है—

I. **प्रिंट मीडिया/मुद्रण/प्रिंट माध्यम—**अखबार व पत्र–पत्रिका लम्बे समय से जनमत के निर्माण में योगदान देते रहे हैं। आप इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि प्रिंट मीडिया/मुद्रण माध्यम में प्रकाशित, लेख, खबरों की कहानियाँ सम्पादक के नाम पत्र तथा महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों पर प्रकाशित अन्य विषय या समाचार, व्यक्ति के विचारों व राय को समयानुसार आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

II. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया—**सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन व इंटरनेट भी जनमत के निर्माण में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इनके दृश्य व श्रव्य मॉडल देश के दूरस्थ हिस्सों में व्यक्त विचारों को भी सम्मिलत करते हैं।

III. **राजनीतिक दल—**राजनीतिक दल जनमत निर्माण के अभिकरणों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में चलाये जाने वाली जन जागृति, गतिविधियों के विषय में आप सुनते व देखते रहते हैं।

IV. **विधानपालिकायें—**हमारे देश में संसद और राज्य विधानमण्डल जनमत के निर्धारण में योगदान देने वाली प्रभावशाली संस्थाएँ हैं। जनमत निर्माण में उनका प्रभाव और योगदान, विधानमंडल की चर्चाओं के सीधा प्रसारण के बाद अत्यधिक बढ़ गया है। ये वे स्थान हैं जहाँ सार्वजनिक नीति और कल्याण सम्बन्धी नाजुक विषयों पर चर्चा एवं बहस होती है।

V. **शिक्षण संस्थाएँ—**विभिन्न शिक्षण संस्थाएँ भी जनमत निर्माण में सहायता करती हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं का हमारे मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव होता है।

22. राजभाषा
(Official Language)

14 सितम्बर, 1949 ई. को हिन्दी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक **14 सितम्बर** को **'हिन्दी दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।

संविधान के **भाग XVII** में **अनुच्छेद 343 से 351** तक राजभाषा के सम्बन्ध में उपबंधों का वर्णन है।

- **अनुच्छेद 343** के अनुसार संघ की **राजभाषा हिन्दी** और **लिपि देवनागरी** होगी।
- वर्ष 1965 में हिन्दी संघ की राजभाषा के प्रभाव में आयी।
- **अनुच्छेद 344** के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है,
- **राजभाषा समिति (Official Language Commission)**

इसमें लोकसभा के **20 एवं राजसभा के 10 सदस्य होते हैं,** जो राजभाषा आयोग की संस्तुतियों का परीक्षण कर राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं।

प्रथम राजभाषा आयोग का गठन **1955** में **बी. जी. खेर** की अध्यक्षता में किया गया था।

अनुच्छेद 348 के अनुसार, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम् न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अंग्रेजी भाषा में होगी।

2019 भारत में छः भाषाओं अर्थात् तमिल, तेलगु, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है।

भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा

क्रम संख्या	भाषा	घोषणा–वर्ष
1.	तमिल	2004
2.	संस्कृत	2005
3.	तेलुगू	2008
4.	कन्नड़	2008
5.	मलयालम	2013
6.	ओडिया	2014

आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएँ

असमिया	बंगला	गुजराती	हिन्दी
कन्नड़	कश्मीरी	कोंकणी	मलयालम
मणिपुरी	मराठी	नेपाली	ओडिया
पंजाबी	संस्कृत	सिंधी	तमिल
तेलुगू	उर्दू	डोगरी	बोडो
मैथिली	संथाली		

(i) 21वाँ संविधान संशोधन, 1967 : सिंधी भाषा को जोड़ा गया।

(ii) 71वाँ संशोधन, 1992 : कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया।

(iii) 92वाँ संशोधन, 2003 : डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया।

23. लोक सेवा आयोग (Public Service Commission)

संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है।

- भारत का राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है।
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहते हैं। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर दे सकते हैं।
- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रह सकते हैं। वे राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं।
- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, न कि राज्यपाल।
- भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 'भारत सरकार अधिनियम 1919'' के आधार पर 1926 में की गई थी। 1935 में इसका नाम बदल कर लोक सेवा आयोग किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख है। भारत में ''सिविल सर्विस'' परीक्षाओं की शुरूआत 1922 में हुई।

लोक सेवाओं का वर्गीकरण

भारत में तीन प्रकार की लोक सेवाएँ होती हैं–अखिल भारतीय सेवाएँ, केन्द्रीय सेवाएँ और राज्य सेवाएँ।

ब्रिटिश ढाँचे के आधार पर 1951 को भारत में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम लाया गया। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) तथा भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की शुरुआत की गई। 1963 में इस अधिनियम में तीन और सेवाएँ जोड़ी गईं। भारतीय वन सेवा (IFS), भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) और भारतीय स्वास्थ्य सेवा (IMHS)।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राज्य सभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 315 –** संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन।
- **अनुच्छेद 316 –** UPSC के साथ–साथ SPSC के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल।
- **अनुच्छेद 317 –** UPSC या SPSC दोनों के सदस्य को हटाना और निलंबित करना।
- **अनुच्छेद 318 –** आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों हेतु नियम बनाने की शक्ति।
- **अनुच्छेद 319 –** आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध।
- **अनुच्छेद 320 –** लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन।
- **अनुच्छेद 322 –** लोक सेवा आयोगों के व्यय।
- **अनुच्छेद 323 –** लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट।

संघ और राज्य सेवा आयोग के कार्य

- **परीक्षा आयोजित कराना –** संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का कर्तव्य है कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों हेतु परीक्षाओं का आयोजन करवाएँ।
- **SPSC को सहायता –** यूपीएससी का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा हेतु संयुक्त भर्ती योजना तैयार करने और संचालन करने में मदद करे, जिसके लिये विशेष योग्यता रखने वाले उम्मीद्वारों की आवश्यकता होती है।
- PSC के साथ परामर्शरू UPSC और SPSC निम्नलिखित मामलों पर विचार विमर्श करती है–
- सिविल सेवाओं और सिविल पदों हेतु भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामलों पर।
- उम्मीद्वारों की उपयुक्तता के आधार पर सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानांतरण में।
- भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने से संबंधित सभी अनुशासनात्मक मामलों पर।
- लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए किसी भी मामले पर सलाह दे।

24. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes-NCSC & ST)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes-NCSC)

NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जातियाँ (SC) के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग के सन्दर्भ में प्रावधान किया गया है।

यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी मामलों की जाँच और निगरानी कर सकता है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों के मामले में पूछताछ कर सकता है तथा उनकी सामाजिक–आर्थिक विकास योजना प्रक्रिया में भाग लेने के साथ सलाह देना का अधिकार रखता है।

आयोग के लिए प्रारम्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इस विशेष अधिकारी को आयुक्त (Commissioner) के रूप में नामित किया गया।

65वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा एक सदस्यीय प्रणाली को बहु–सदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।

संविधान के 65वें संशोधन अधिनियम, 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया।

89वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु गठित पूर्ववर्ती राष्ट्रीय आयोग को वर्ष, 2004 में दो अलग–अलग आयोगों में बदल दिया गया। इसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes-NCSC) और अनुच्छेद 338-A के तहत राष्ट्रीय अनूसूचित जनजाति आयोग (National Commission for Scheduled Tribes-NCST) का गठन किया गया।

वर्ष 2018 तक आयोग को अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार था। वर्ष 2018 में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अन्य संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 15 (4) अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है।
- अनुच्छेद 16 (4 A) यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं में अनुसूचित जाति का पर्यापत प्रतिनिधित्व नहीं है, तो पदोन्नति के मामले में यह किसी भी वर्ग या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है।
- अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 335 यह प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक क्षमता के साथ ध्यान में रखा जायेगा।
- संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 क्रमशः लोकसथा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनूसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं।
- पंचायतों से सम्बन्धित संविधान के भाग IX और नगर पालिकाओं से सम्बन्धित भाग IXA में SC तथा ST के सदस्यों हेतु आरक्षण की परिकल्पना की गई है जो कि SC और ST को प्राप्त है।

25. राष्ट्रीय आपात (National Emergency)

संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक देश में आपातकाल के लिए उपबंधों का वर्णन है।

44वें संविधान संशोधन, 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द प्रतिस्थापित किया गया। भारत में 25 जून, 1975 को आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया था।

- राष्ट्रीय आपात की अवधि को एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है तथा उद्घोषणा के प्रवृत्त न रहने के पश्चात् 6 माह से अधिक नहीं रह सकती।

I. राष्ट्रपति शासन (President's Rule)

अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रीय शासन लागू किया जाता है। यदि संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में, आपातकाल की घोषणा हुई है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है, कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, तब भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

II. वित्तीय आपात (Financial Emergency)

अनुच्छेद 360 आपात एक बार भी लागू नहीं हुआ है।

अनुच्छेद 356 के तहत पंजाब में अपवादस्वरूप राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा **मई, 1987 में 5 वर्षों** के लिए की गई थी। उत्तर प्रदेश एवं केरल में सर्वाधिक बार (9 बार) राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है

अनुच्छेद 359 के अनुसार, अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा मूल प्रदत्त मूल अधिकारों को छोड़कर, राष्ट्रपति, संविधान के भाग-III में वर्णित सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है।

नोट : फखरुद्दीन अली अहमद वह राष्ट्रपति थे, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले, जो कि इंदिरा गाँधी द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया गया था।

26. जिला प्रशासन (District Administration)

जिला, प्रशासन की बुनियादी इकाई है। जिला मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में, विभागीय आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत राज्य सरकार का एक अधिकारी है। उनके पास विस्तृत शक्तियाँ और बहुविध जिम्मेदारियाँ हैं। कई तरह से, वह कानून और अधिकार के मुख्य संरक्षक हैं, जिस पर स्थानीय प्रशासन चलाया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के मुख्य कार्य को मोटे तौर पर विकास और जन कल्याण गतिविधियों, जिलाधिकारी के रूप में जिले के राजस्व अधिकारी/न्यायालय के समन्वय और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून और व्यवस्था कार्यों के समन्वय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

I. जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate)

जिला मजिस्ट्रेट जिले में कानून और व्यवस्था के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। वह आपराधिक प्रशासन का मुखिया है और जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की देख-रेख करते हैं और पुलिस के कार्यों को नियंत्रित करते हैं और निर्देश देते हैं। जिले में जेलों और लॉक–अप के प्रशासन पर उनके पर्यवेक्षी अधिकार हैं।

II. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ई)/एडीएम (वित्त और राजस्व)/एडीएम (न्यायिक) (Additional District Magistrat (E) /ADM (Finance and Revenue/ADM (Judicial)

जिला मजिस्ट्रेट की सहायता के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का पद बनाया गया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट में भी नियमों के तहत जिला मजिस्ट्रेट की ही शक्तियाँ निहित होती हैं।

III. उप–जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) (Sub District Magistrate) (SDM)

उप जिला मजिस्ट्रेट अपने उपखंड में एक लघु जिला मजिस्ट्रेट है। असल में, कोई राजस्व कानून के तहत, उसमें कलेक्टर की शक्तियों ही निहित होती हैं।

IV. तहसीलदार और नायब–तहसीलदार (Tehsildar and Nayab Tehsildar)

तहसील के प्रभारी अधिकारी को तहसीलदार कहा जाता है, हालाँकि, तहसीलदार और एक नायब–तहसीलदार के राजस्व और मजिस्ट्रेटिक कर्त्तव्यों में कोई अंतर नहीं है, राजस्व मामलों में, दोनों सहायक कलेक्टर, ग्रेड II की शक्तियों का उपयोग सर्कल राजस्व अधिकारियों के रूप में करते हैं। विधानसभा के चुनाव के लिए, तहसील में आने वाले निर्वाचन क्षेत्र/निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

V. कानूनगो (Kanungo)

एक कानूनगो के कर्त्तव्यों में पटवारियों के काम की निगरानी करना है। वह तहसीलदार/नायब–तहसीलदार और पटवारी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

VI. पटवारी (Patavari)

पटवारी गाँव के स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि है। उनके पास आमतौर पर एक या दो गाँव है। उनका स्थानीय ज्ञान इतना व्यापक है, कि गाँव और उसके रहने वाले सभी लोगों की जानकारी रखते हैं। उन्हें कलेक्टर के आँखों और कानों के रूप में देखा जाता है। पटवारी के कर्त्तव्यों में सर्वेक्षण, क्षेत्रीय निरीक्षण, फसलों की रिकॉर्डिंग, नक्शे का संशोधन या उत्परिवर्तन, विभाजन, राजस्व या किराए, ताकावी आदि से संबंधित रिपोर्ट शामिल हैं। कलेक्टर के आदेशों के तहत वह अधिकारों के रिकॉर्ड तैयार करता है। संकट में या जनगणना कार्यों में कृषक को राहत प्रदान करने में उन्हें सहायता करता है।

27. प्रमुख संविधान संशोधन (Important Constitutional Amendments)

- **पहला संशोधन** (1951 ई.)—इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित मौलिक अधिकारों को लागू किये जाने सम्बन्धी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबन्ध की व्यवस्था की गई। साथ ही, इस संशोधन द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अन्तर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है।
- **दूसरा संशोधन** (1952 ई.)—इसके अन्तर्गत 1951 ई. की जनगणना के आधार पर लोक सभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया।
- **तीसरा संशोधन** (1954 ई.)— इसके अन्तर्गत सातवीं अनुसूची को समवर्ती सूची की तैंतीसवीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है।
- **चौथा संशोधन** (1955 ई.)—इसके अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किये जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में परीक्षा नहीं कर सकता।
- **छठा संशोधन** ((1956 ई.)— इस संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची का संघ सूची में परिवर्तन कर अन्तर्राज्यीय बिक्री कर के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं पर केन्द्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया।
- **सातवाँ संशोधन** (1956 ई.)—इस संशोधन द्वारा भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले का तीन श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही, इनके अनुरूप केन्द्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया।
- **बारहवाँ** (1962)—पुर्तगाली आधिपत्य वाले केन्द्रशासित प्रदेश गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया।
- **तेरहवाँ** (1962)—नागालैण्ड को भारत का नया राज्य घोषित किया गया, कुछ विशेष उपबन्ध के साथ।
- **चौदहवाँ** (1962)—पुदुचेरी को भारत का अंग बनाया गया।
- **छब्बीसवाँ** (1971)—राजाओं की उपाधियाँ, प्रिवीपर्स तथा विशेषाधिकार समाप्त।
- **इकत्तीसवाँ** (1973)—लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई है।
- **छत्तीसवाँ** (1975)—सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया।
- **उन्तालीसवाँ** (1975)—राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती।
- **बयालीसवाँ** (1976)—प्रस्तावना में **पंथनिरपेक्ष**, **समाजवादी** और **अखण्डता** शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्त्तव्यों का समावेश।

  संविधान संशोधन (1976) द्वारा अनुच्छेद–43A जोड़ा गया था तथा इस अनुच्छेद के द्वारा श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी।
- **चवालीसवाँ** (1978)—सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मन्त्रिमण्डल की लिखित सलाह पर आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा।
- **अट्ठावनवाँ** (1987)—भारतीय संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान।
- **इकसठवाँ** (1989)—मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई।
- **उनहत्तरवाँ** (1991)—दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया तथा विधानसभा की स्थापना की गई।
- **सत्तरवाँ** (1992)—दिल्ली विधानसभा तथा पुदुचेरी विधान सभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया।
- **इकहत्तरवाँ** (1992)—आठवीं अनुसूची में कोंकणी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया।

- **तिहत्तरवाँ** (1993)—पंचायती राज।
- **चौहत्तरवाँ** (1992)—नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में बारहवीं सूची जोड़ी गई।
- **पिचासीवाँ** (2002)—सरकारी सेवाओं में अनुसूचित/जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था।
- **छियासीवाँ** (2002)—राज्य द्वारा 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान।
- **बयानवेवाँ** (2003)—संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा का समावेश।
- **तिरानवेवाँ** (2006)—निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण।
- **चौरानवेवाँ** (2006)—अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक मन्त्री का प्रावधान मध्य प्रदेश एवं ओडिशा के साथ–साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड में भी किया गया।
- **पंचानवेवाँ** (2010)—अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि लोकसभा/राज्य की विधानसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष (10 वर्ष के लिए)
- **छियानवेवाँ** (2011)—"उड़िया" भाषा को "ओडिया" में परिवर्तित किया गया।
- **सत्तानवेवाँ** (2012)—अनुच्छेद 19 (1) (C) में "सहकारी समितियाँ" शब्द जो जोड़ा गया।
- **अठानवेवाँ** (2012)—हैदराबाद–कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त करना, कर्नाटक के राज्यपाल को विकसित करने के लिए।
- **निन्यानवेवाँ** (2014)—सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (वर्तमान में कोलेजियम सिस्टम के स्थान पर) की स्थापना हेतु।
- **सौवाँ** (2015)—भारत–बाँग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण समझौते से सम्बन्धित।
- **एक सौ एकवाँ** (2016)—वस्तु एवं सेवा कर (GST)
- **एक सौ दोवाँ** (2018)—पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा
- **एक सौ तीनवाँ** (2019)—सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े को 10% **आरक्षण**
- **एक सौ चारवाँ** (2019)—इसमें एंग्लो–इंडियन समुदाय का नामांकन समाप्त कर दिया गया।

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न

1. "धर्मनिरपेक्ष" शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका (प्रस्ताव) का एक भाग है—
(A) 44वें संशोधन के बाद
(B) 73वें संशोधन के बाद
(C) कार्यान्वयन की तिथि से
(D) 42वें संशोधन के बाद

2. संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है—
(A) सर्वसत्ताधारी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य
(B) समाजवादी, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य
(C) लोकतान्त्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य
(D) सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य

3. लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए—
(A) 21 वर्ष (B) 25 वर्ष
(C) 30 वर्ष (D) 35 वर्ष

4. अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है ?
(A) एक बार
(B) दो बार
(C) तीन बार
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

5. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है ?
(A) हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश
(B) राज्य का राज्यपाल
(C) भारत का राष्ट्रपति
(D) भारत का मुख्य न्यायाधीश

6. मौलिक अधिकार किसके संविधान से ग्रहीत किए गए हैं?
(A) अमेरिका
(B) आयरलैण्ड
(C) ऑस्ट्रेलिया
(D) रूस

7. निम्नलिखित में से कौन–सा अधिनियम मांटेग्यू–चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था ?
(A) भारत सरकार अधिनियम, 1892
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1909
(C) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(D) भारत सरकार अधिनियम, 1935

8. इनमें से कौन–सी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है ?
(A) यह एक 'लिखित' संविधान है।
(B) यह 'अनुनेय' है (इसे संशोधित किया जा सकता है), लेकिन यह 'अनम्य' भी है (कुछ भाग के रूप में, यानी, इसकी 'मूल संरचना' में संशोधन नहीं किया जा सकता है)।
(C) यह 'एकल' है (क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है), लेकिन यह 'संघीय' भी है (क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है)।
(D) इसे राज्य के राज्यपाल (सांसदों और विधायकों के परामर्श) से संशोधित किया जा सकता है।

9. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन–सा अनुच्छेद 'विधिक समता' यानी कानून के सामने समानता से सम्बन्धित है ?
(A) 14 (B) 13
(C) 17 (D) 26

10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में किस पहलू से संबंधित हैं ?
(A) भारत की नागरिकता
(B) भारत में भाषाएँ
(C) भारतीय राज्यों की सीमाएँ
(D) बच्चों के लिए शिक्षा

11. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324-329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है ?
(A) चुनाव
(B) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा
(C) पंचायतें
(D) एक राज्यपाल की शक्तियाँ

12. भारतीय संविधान का निम्न में से कौन–सा अनुच्छेद मानव के क्रय–विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है ?

(A) 23वाँ (B) 26वाँ
(C) 24वाँ (D) 32वाँ

13. भारत के संविधान के .... के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
(A) अनुच्छेद 123 (B) अनुच्छेद 121
(C) अनुच्छेद 125 (D) अनुच्छेद 127

14. भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया ?
(A) 1992 का 73वाँ संशोधन अधिनियम
(B) 2002 का 86वाँ संशोधन अधिनियम
(C) 1993 का 74वाँ संशोधन अधिनियम
(D) 1989 का 61वाँ संशोधन अधिनियम

15. पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर, 1959 को________ जिले में पेश किया गया था।
(A) बीड (B) शादनगर
(C) नागौर (D) नांदेड़

16. राज्यपाल के सन्दर्भ में कौन–सा/से कथन सही है/हैं ?
1. वह राज्य विधान परिषद् के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है।
2. वह एंग्लो–इंडियन समुदाय के राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
(A) केवल 1 (B) केवल 2
(C) 1 तथा 2 दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

17. राज्य सभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद .... में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके।
(A) 128 (B) 198
(C) 223 (D) 249

18. निम्नलिखित में से कौन-सा संसद का कार्य नहीं है ?
(A) संसद विधायी (काननू बनाने) और वित्तीय कार्य करती है (धन बिल और बजटीय कार्य); इसके अलावा, यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है
(B) संसद कुछ चुनावी कार्य करती है, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है
(C) संसद में संविधान (यानी संशोधन शक्ति) में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है
(D) संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद् जिम्मेदार है

19. निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमन्त्री की नियुक्ति करता है ?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
(C) भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

20. निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया ?
(A) नेहरू
(B) गाँधी
(C) जे. पी. नारायण
(D) एम. एन. राय

21. संविधान–सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था ?
(A) 26 जनवरी, 1950
(B) 26 नवंबर, 1950
(C) 14 अगस्त, 1947
(D) 26 नवंबर, 1949

22. भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन–सा अनुच्छेद 'विधिक समता' यानी कानून के सामने समानता से सम्बन्धित है ?
(A) 14 (B) 13
(C) 17 (D) 26

23. भारतीय संविधान का कौन–सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित है ?
(A) अनुच्छेद 214 (B) अनुच्छेद 240
(C) अनुच्छेद 244 (D) अनुच्छेद 248

24. भारत में वोट देने की पात्र की न्यूनतम उम्र क्या है ?
(A) 24 वर्ष (B) 22 वर्ष
(C) 20 वर्ष (D) 18 वर्ष

25. भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है ?
(A) भूमि सुधार
(B) पंचायती राज प्रणाली
(C) मौलिक कर्त्तव्य
(D) राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

26. भारतीय संविधान के राज्यनीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है?
(A) आयरलैंड का संविधान
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान
(C) फ्रांस का संविधान
(D) कनाडा का संविधान

27. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है?
(A) 12 (B) 14
(C) 17 (D) 21

28. मौलिक कर्तव्यों से सम्बन्धित अनुच्छेद 51A को संविधान में .... द्वारा शामिल किया गया था।
(A) 42वाँ संशोधन अधिनियम
(B) 41वाँ संशोधन अधिनियम
(C) 44वाँ संशोधन अधिनियम
(D) 45वाँ संशोधन अधिनियम

29. भारत के राष्ट्रपति द्वारा 'चरित्र को बदले बिना, सजा की मात्रा को कम करना' (अनुच्छेद 72) को ______ कहा जाता है।
(A) मोहलत (B) दण्डविराम
(C) क्षमादान (D) विनिमय

30. भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग-पत्र किसको सौंपते हैं ?
(A) मुख्य न्यायाधीश
(B) उप राष्ट्रपति
(C) प्रधानमंत्री
(D) लोकसभा अध्यक्ष

उत्तरमाला

1. (D) **2.** (B) **3.** (B) **4.** (A) **5.** (B)
6. (A) **7.** (C) **8.** (D) **9.** (A) **10.** (A)
11. (A) **12.** (A) **13.** (A) **14.** (A) **15.** (C)
16. (D) **17.** (D) **18.** (D) **19.** (A) **20.** (D)
21. (D) **22.** (A) **23.** (C) **24.** (D) **25.** (B)
26. (A) **27.** (B) **28.** (A) **29.** (D) **30.** (B)

छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान

1. छत्तीसगढ़ : सामान्य जानकारी

- **प्राचीन नाम** : दक्षिण कौसल
- **स्थापना** : 1 नवम्बर, 2000 (26वाँ राज्य) (9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 1997-2002)
- **राजधानी** : रायपुर
- **प्रस्तावित राजधानी** : नया रायपुर (अटल नगर)
- **स्थिति** : 17° 46' से 24° 5' उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 80° 15' से 84° 20' पूर्वी देशान्तर के मध्य
- **उत्तर एवं दक्षिणतम बिन्दुओं के बीच की दूरी** : 360 किमी.
- **पूर्व से पश्चिमतम बिन्दुओं के बीच की दूरी** : 140 किमी
- **जलवायु** : उष्णकटिबन्धी
- **सीमान्त राज्य** : उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर–पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण–पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर–पूर्व में झारखंड, पूर्व में ओडिशा और दक्षिण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश।
- **क्षेत्रफल 2011** : 1,35,192 वर्ग किमी.
- **जनसंख्या** : 2,55,45,198 (अन्तिम)
- **जनसंख्या वृद्धि दर (दशकीय)** : 22.6
- **जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी.)** : 189
- **लिंगानुपात** : 991
- **0-6 आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत** : 14.03
- **साक्षरता** : 70.28%
- **पुरुष साक्षरता** : 80.3
- **महिला साक्षरता** : 60.2
- **जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान** : 16वाँ
- **क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान** : 9वाँ
- **प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर (घटते क्रम में)** : रायपुर, भिलाई–दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ तथा कोरबा
- **भाषा** : हिन्दी, छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी
- **राजस्व सम्भाग** : 5
- **जिला** : 32 (28 + 4 नए जिलों– मोहला मानपुर, सारंगढ़–बिलाईगढ़, शक्ति, मनेंद्रगढ़ के गठन की घोषणा 15 अगस्त, 2021 को की गई)
- **तहसील** : 172
- **जिला पंचायत** : 27
- **नगर निगम** : 14
- **नगर पालिका** : 44
- **नगर पंचायत** : 111
- **ग्राम पंचायत** : 11664
- **सामुदायिक विकासखण्ड** : 146
- **सांविधिक नगर** : 168
- **जनगणना नगर** : 14
- **गाँवों की संख्या** : 20, 199
- **राजकीय पशु** : वनभैंसा
- **राजकीय वृक्ष** : साल (सोरिया रोबस्ता)
- **राजकीय पक्षी** : पहाड़ी मैना
- **राज्यपाल** : अनुसुइया उइके
- **मुख्यमंत्री** : श्री भूपेश बघेल

राज्य की मुख्य जनसांख्यिकीय (अन्तिम) विशेषताएँ

- देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 4.11 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ राज्य का 10वाँ स्थान है।
- राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है जो देश की कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है। जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ देश का 16वाँ राज्य है।
- राज्य में जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है और देश में राज्य का 19वाँ जबकि सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में 25वाँ स्थान है।
- राज्य 991 स्त्री–पुरुष अनुपात के साथ देश में 5वें स्थान पर है। केवल राज्यों में चतुर्थ स्थान पर है। ग्रामीण क्षेत्र में यह अनुपात 1001 तथा शहरी क्षेत्र में 956 है।
- राज्य की कुल जनसंख्या में 0-6 आयु समूह का प्रतिशत 14.03 है।
- 0-6 आयु समूह का स्त्री–पुरुष अनुपात 964 है जो देश के इस आयु समूह के स्त्री–पुरुष अनुपात 914 से 50 अंक अधिक है।
- राज्य की कुल साक्षरता दर 70.3 प्रतिशत है। पुरुष तथा स्त्री साक्षरता दर क्रमशः 80.3 प्रतिशत तथा 60.2 प्रतिशत है।
- साक्षरता के दृष्टिकोण से राज्य का देश में 27वाँ स्थान है जबकि केवल राज्यों में 20वाँ स्थान है।
- छत्तीसगढ़ के रियासतों को भारत संघ में विलय कराने के लिए 1947 में "कौंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़" का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ में इस कौंसिल के अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल थे। रियासतों का भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया 1 जनवरी, 1948 को पूरी हुई। इस संविलियन हेतु मार्गदर्शन सरदार पटेल के द्वारा दिया गया तथा छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आया। नवम्बर, 1956 से लेकर अस्तित्व में आने तक यह मध्यप्रदेश का हिस्सा था। 1 नवम्बर, 1956 के पहले यह महाकौशल क्षेत्र में शामिल रहकर सी.पी. एण्ड बरार

का हिस्सा था। वर्ष 1941 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की जनगणना, बिहार के साथ तथा 1951 में सी.पी. एण्ड बरार में हुई थी।

- वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् और 1961 की जनगणना के समय तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के छः जिले क्रमशः सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर और बस्तर वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के भू–भाग को दर्शित करते थे। जनवरी 1973 में दुर्ग जिले का विभाजन कर एक नया जिला राजनांदगाँव का सृजन किया गया था। मई 1998 में सरगुजा जिले से कोरिया, बिलासपुर से कोरबा और जांजगीर–चाम्पा, रायगढ़ से जशपुर, रायपुर से धमतरी और महासमुंद तथा बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा नए जिले बनाये गये। जुलाई 1998 में राजनांदगाँव जिले से एक और नया जिला कवर्धा बना और इसमें बिलासपुर जिले का भी कुछ भाग सम्मिलित किया गया। जनगणना 2001 के समय राज्य में कुल जिलों की संख्या 16 थी।
- जनगणना 2001 के पश्चात् राज्य की प्रशासनिक इकाइयों में अनेक परिवर्तन किये गये। मार्च 2003 में राज्य शासन द्वारा तीन जिलों कवर्धा, दंतेवाड़ा और कांकेर के नामों का परिवर्तन कर क्रमशः कबीरधाम, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और उत्तर बस्तर कांकेर किया गया। अप्रैल 2007 में बस्तर जिले का विभाजन करके एक नया जिला नारायणपुर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले का विभाजन करके नया जिला बीजापुर का सृजन किया गया। ये दोनों जिले मई, 2007 को अस्तित्व में आये। इस प्रकार जनगणना 2011 के समय राज्य में कुल 18 जिले हो गये। वर्तमान में कुल जिलों की संख्या 27 है।
- अप्रैल 2008 में राज्य शासन द्वारा राजस्व सम्भागों को पुनर्गठित करते हुये चार राजस्व सम्भागों क्रमशः सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर एवं बस्तर का गठन किया गया। वर्ष 2014 में दुर्ग को पांचवां राजस्व संभाग बनाया गया। सरगुजा राजस्व सम्भाग के अंतर्गत 05 जिले कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर एवं बलरामपुर–रामानुजगंज, बिलासपुर राजस्व सम्भाग के अंतर्गत 05 जिले– रायगढ़, जांजगीर–चाम्पा, कोरबा एवं बिलासपुर, तथा मुंगेली बंद रायपुर राजस्व संभाग के अंतर्गत 05 जिले, महासमुंद, बलोदा बाजार, गरिया बांद, रायपुर तथा धमतरी तथा बस्तर राजस्व सम्भाग के अंतर्गत 07 जिले– उत्तर बस्तर कांकेर, बस्तर, नारायणपुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं सुकमा, कोंडागांव, बीजापुर शामिल किये गये। दुर्ग संभाग में कबीरधाम, बेमेतारा, दुर्ग, बालोद तथा राजनांदगांव नामक पाँच जिले हैं। राज्य स्तर पर तहसीलों का भी पुनर्गठन किया गया। जनगणना 2001 के समय तहसीलों की कुल संख्या 97 थी जो जनगणना 2011 के समय बढ़कर 149 हो गई। राज्य का कुल क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किमी है।

छत्तीसगढ़ में संभाग

क्रमांक	संभाग	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	जिलों की संख्या	महत्वपूर्ण तथ्य
1.	रायपुर	1862	रायपुर	05	सबसे पुराना संभाग
2.	बिलासपुर	1956	बिलासपुर	06	जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग
3.	बस्तर	1981	जगदलपुर	07	क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग
4.	सरगुजा	2008	अंबिकापुर	07	छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद बना पहला संभाग
5.	दुर्ग	2013	दुर्ग	05	क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग

- रायपुर मंडल में जिले–रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार–भाटापारा।
- बिलासपुर मंडल में जिले – बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, गौरेला–पेंड्रा–मरवाही।
- बस्तर संभाग में जिले – बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव।
- सरगुजा संभाग में जिले – सरगुजा, कोबा, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर।
- दुर्ग संभाग में जिले – दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, बालोदी।

छत्तीसगढ़ में जिला गठन का घटनाक्रम

क्रमांक	जिले का नाम	जिला मुख्यालय	स्थापना वर्ष	मातृ जिला
1. 2.	रायपुर बिलासपुर	रायपुर बिलासपुर	1861, 1861 } 02	ब्रिटिश प्रांत थे
3.	दुर्ग	दुर्ग	1906 01	रायपुर+बिलासपुर के कुछ भाग से
4. 5. 6.	सरगुजा रायगढ़ बस्तर	अम्बिकापुर रायगढ़ जगदलपुर	1948 1948 } 03 1948	रियासत थे
7.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1973 01	दुर्ग

क्रमांक	जिले का नाम	जिला मुख्यालय	स्थापना वर्ष	मातृ जिला
8.	कोरिया	बैकुण्ठपुर	1998	सरगुजा
9.	जशपुर	जशपुर नगर	1998	रायगढ़
10.	कोरबा	कोरबा	1998	बिलासपुर
11.	जांजगीर–चांपा	जांजगीर	1998	बिलासपुर
12.	कवर्धा	कवर्धा	1998 } 09	बिलासपुर+ राजनांदगांव
13.	महासमुंद	महासमुंद	1998	रायपुर
14.	धमतरी	धमतरी	1998	रायपुर
15.	उत्तरी बस्तर कांकेर	कांकेर	1998	बस्तर
16.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	1998	बस्तर
17.	नारायणपुर	नारायणपुर	2007 } 02	बस्तर
18.	बीजापुर	बीजापुर	2007	दंतेवाड़ा
19.	सूरजपुर	सूरजपुर	2012	सरगुजा
20.	बलरामपुर	बलरामपुर	2012	सरगुजा
21.	मुंगेली	मुंगेली	2012	बिलासपुर
22.	बेमेतरा	बेमेतरा	2012	दुर्ग
23.	बालोद	बालोद	2012 } 09	दुर्ग
24.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	2012	रायपुर
25.	गरियाबंद	गरियाबंद	2012	रायपुर
26.	कोण्डागांव	कोण्डागांव	2012	बस्तर
27.	सुकमा	सुकमा	2012	दंतेवाड़ा
28.	गरिला–पेंट्रा मारवाही	गरिला	2020 10	बिलासपुर

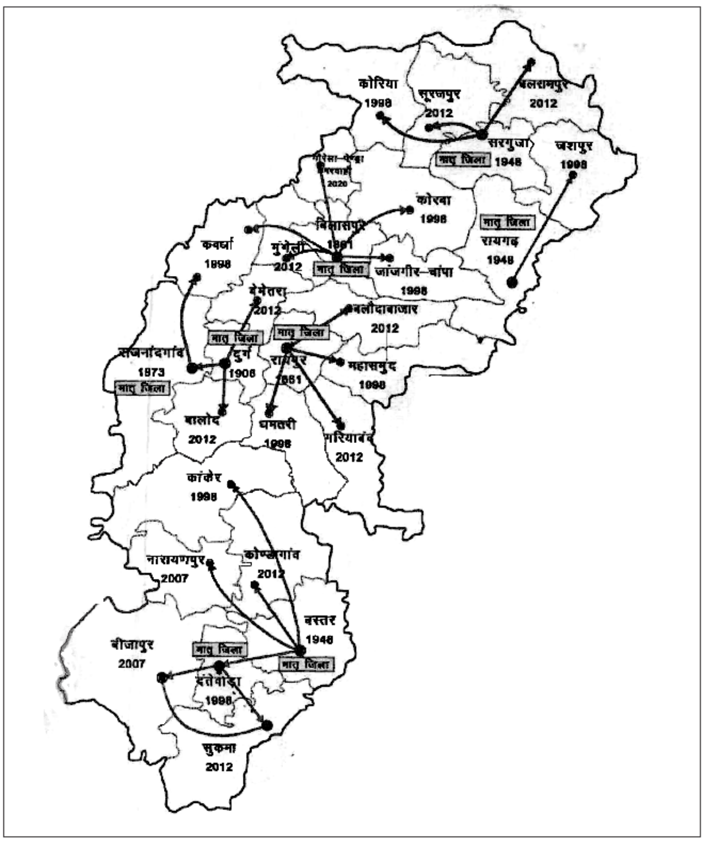

परिचय

देश के सबसे बड़े राज्य रह चुके मध्य प्रदेश को प्रशासन की दृष्टि से काफी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थीं। उसके पास बस्तर जैसे जिले थे जो क्षेत्रफल में केरल से भी बड़े थे। इस कारण **16 अन्य जिलों को मिलाकर नये छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया जो 1 नवम्बर, 2000 से अस्तित्व में आया।**

इतिहास

- 1 नवम्बर, 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ देश का **26वाँ राज्य बना।**
- इस क्षेत्र को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता था।
- तत्कालीन दक्षिण कोसल के अन्तर्गत रायपुर एवं बिलासपुर सम्भाग के अतिरिक्त उड़ीसा सम्भाग के सम्बलपुर, कालाहांडी, बेलंगीर जिलों के कई भाग आते थे।
- इतिहासवेत्ताओं के अनुसार बस्तर सहित उड़ीसा का कोरापुट क्षेत्र, कांतार, महाकांतार एवं दण्डकारण्य नाम से जाना जाता था।
- बस्तर के लिए कुछ जगहों पर '**चक्रकोट**' नाम भी आया है।
- एक किंवदंती के अनुसार जरासंघ के शासनकाल में चर्मकार समाज के 36 परिवार, किसी कारणवश दक्षिण की ओर जाकर बस गए और वहाँ '**छत्तीसघर**' नामक एक नये राज्य की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि यह छत्तीसघर ही आगे चलकर छत्तीसगढ़ हो गया।
- कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रदेश में स्थित 36 गढ़ों के कारण ही इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ नाम से जाना और पहचाना गया।
- छठी और बारहवीं सदी के बीच सरमपूरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरि और नागवंशी शासकों ने इस क्षेत्र पर शासन किया।
- कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ पर 980 से लेकर 1791 तक राज्य किया।
- 1854 में अंग्रेजों के आक्रमण के बाद ब्रिटिशकाल में आधुनिक रायपुर का महत्व बढ़ गया और राजधानी रतनगढ़ के बजाय रायपुर एक महत्त्वपूर्ण शहर के रूप में उभरा।
- छत्तीसगढ़ के अस्तित्व में आने के काफी पहले से ही रायपुर पूरे क्षेत्र और पड़ोसी राज्यों का एक महत्वपूर्ण और समृद्ध व्यापार केन्द्र रहा था। यही कारण है कि इस नगर को ही नवसृजित राज्य की राजधानी घोषित की किया गया।
- इतिहासकारों के अनुसार कल्चुरी काल में प्रशासन के प्रचलित सामान्य सिद्धान्त के अनुसार 12 गाँवों का एक बरहा होता था। सात बरहा का समूह गढ़ कहलाता था। ये गढ़ इस समय की प्रशासनिक इकाई हुआ करते थे।
- उस समय शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर और दक्षिण में रायपुर के कलचुरियों के अधीन 18-18 गढ़ थे। सम्भव है इसी कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ गया हो।
- ऐसा माना जाता है कि इस प्रदेश के लिए छत्तीसगढ़ नाम का **प्रचलन मुगल–मराठा काल में प्रारम्भ** हुआ।
- **छत्तीसगढ़ की पहली कल्पना पं. सुंदरलाल द्वारा सन् 1918 में की गई थी।**
- वर्ष 1956 में इस माँग ने अपना विशेष स्वरूप ग्रहण किया। राज्य पुनर्गठन आयोग के कार्यकाल में जब नये मध्यप्रदेश राज्य के गठन की बातचीत चल रही थी इस समय मध्य प्रदेश को दो बराबर भागों में बाँट छत्तीसगढ़ नाम से एक अलग राज्य बनाने की माँग की गई।
- वर्ष 1957 में छत्तीसगढ़ प्रांत के गठन के माँग के समर्थन में छत्तीसगढ़ महासभा का एक सम्मेलन रायपुर में आयोजित किया गया।
- 1966 में भिलाई इस्पात कारखाने के लगभग डेढ़ हजार मजदूरों की छँटनी के निर्णय के विरोध के लिए छत्तीसगढ़ मजदूर कल्याण सभा का गठन हुआ।
- इस मजदूर आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ी और गैर छत्तीसगढ़ी का मुद्दा भी चर्चा में आया और 1968 में इसी सन्दर्भ में छत्तीसगढ़ भारत संघ की स्थापना की गई।
- इसके बाद भी कमोबेश पृथक् छत्तीसगढ़ राज्य की माँग समय–समय पर की जाती रही और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता रहा।
- वर्ष 1993 के राज्य विधान चुनाव के समय जारी काँग्रेस घोषणापत्र में पृथक् छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की माँग का समर्थन किया गया।
- तत्कालीन विधानसभा (1993 विधानसभा चुनाव के बाद गठित) द्वारा पृथक् छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। लेकिन उसके आगे कोई प्रगति नहीं हो पाई।
- भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव में नये राज्यों के गठन विषयक संकल्पों में छत्तीसगढ़ को भी शामिल किया गया।
- छत्तीसगढ़ के गठन हेतु मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा द्वारा 31 जुलाई, 2000 को पारित कर दिया गया। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक का अनुमोदन 9 अगस्त, 2000 को किया गया और अंततः 1 नवम्बर, 2000 को पृथक् छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया।
- नवसृजित राज्य के प्रथम राज्यपाल होने का गौरव **दिनेश नंदन सहाय को** तथा प्रथम मुख्यमंत्री आदिवासी नेता तथा काँग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता **अजीत कुमार जोगी** को प्राप्त हुआ।

प्रशासन

- विधानमण्डल : एक सदनीय (UR-SI)
- विधानसभा सदस्य संख्या : 91 (90 + 1 नामांकित) (ST-29, SC-10)
- लोकसभा सीटें : 11 (ST-4, SC-01, UR-06)
- राज्यसभा सीटें : 05
- उच्च न्यायालय : बिलासपुर

पुलिस व्यवस्था

- केन्द्रीय जेल : 5
- जिला जेल : 12
- उप जेल : 14

प्रमुख शहरों एवं क्षेत्रों के उपनाम

स्थान		उपनाम
छत्तीसगढ़	–	धान का कटोरा
बस्तर	–	शाल वनों का द्वीप

जगदलपुर – चौराहों का शहर

अबूझमाड़ – पाषाण काल की अन्तिम (बस्तर) यादगार

प्रमुख जलप्रपात

- चित्रकोट – इन्द्रावती नदी पर
- तीरथगढ़ – मुनगाबहार नदी पर
- कांगेर धारा – कांगेर नदी पर
- मलाजकुण्डम – दूध नदी पर
- सातधारा – इन्द्रावती नदी पर
- मल्हेर इन्दुल – सल्गेर नदी पर
- रक्सगण्डा – रेंड नदी पर
- अमृतधारा – हमदो नदी पर
- कोठली – कन्हार नदी पर
- गुप्तेश्वर – कोलाब नदी पर
- चित्रकोट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जलमात्रा वाला प्रपात है।
- तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊँचा जलप्रपात है।

प्रमुख परियोजनाएँ

- हसदो – बांगो (मिनीमाता) परियोजना – हसदो नदी पर
- पैरी परियोजना – पैरी नदी पर
- कोडार परियोजना – कोडार नदी पर
- जोंक परियोजना – जोक नदी पर
- अरपा सिंचाई परियोजना – अरपा नदी पर

प्रदेश में नदियों के तट पर बसे नगर

नगर	नदी
1. बिलासपुर	अरपा
2. जगदलपुर	इन्द्रावती
3. दुर्ग	शिवनाथ
4. रायपुर	खारुन
5. चाम्पा	हसदो
6. कोरबा	हसदो
7. शिवरीनारायण	महानदी
8. राजिम	महानदी
9. सिरपुर	महानदी
10. रायगढ़	केलो
11. बारसूर	इन्द्रावती
12. कांकेर	दूधनदी
13. कोंडागाँव	नारंगी
14. कोंटा	शबरी
15. दंतेवाड़ा	डंकिनी–शंखिनी
16. बालोद	तंदुला

2. छत्तीसगढ़ : भौगोलिक परिदृश्य

- छत्तीसगढ़ नाम के पीछे दो किंवदन्तियाँ हैं। प्रथम किंवदन्ति ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है जिसके अनुसार 36 गढ़ों की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा जाने लगा।
- दूसरी किंवदन्ति के अनुसार चेदि वंश के शासनकाल में यह **चेदिसगढ़** कहलाया और उसका अपभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ हो गया।
- छत्तीसगढ़ 17°46' – 24°6' उत्तरी अक्षांशों तथा 80°15' – 84°51' पूर्वी देशान्तरों के मध्य अवस्थित है।
- कर्क रेखा (23.5° उत्तरी अक्षांश) राज्य के उत्तरी भाग में स्थित **कोरिया, सूरजपुर तथा बलरामपुर (तीन जिलों) से गुजरती है।**
- छत्तीसगढ़ की लम्बाई 700 किमी (उ.–द.) तथा चौड़ाई 435 किमी (पू.–प.) है।
- इसका क्षेत्रफल 1,35,190 वर्ग किमी (52198.70 वर्ग मील) है जो भारत का 4.11 प्रतिशत है।
- तत्कालीन म.प्र. में छ. ग. का भू–क्षेत्र 30.47% था। हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 13603 है। क्षेत्रफल में देश का 9वाँ बड़ा राज्य है।

राज्य की भौगोलिक सीमा

क्रमांक	दिशा	राज्य	स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या और नाम
1.	पूर्व	उड़ीसा	08 (जशपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा)
2.	उत्तर पश्चिम	मध्य प्रदेश	07 (बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला–पेंड्रा–मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव)
3.	पश्चिम	महाराष्ट्र	04 (राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर)
4.	दक्षिण पश्चिम	तेलंगाना	02 (बीजापुर, सुकमा)
5.	उत्तर पूर्व	झारखंड	02 (बलरामपुर, जशपुर)
6.	उत्तर	उत्तर प्रदेश	01 (बलरामपुर)
7.	दक्षिण	आंध्र प्रदेश	01 (सुकमा)

- छत्तीसगढ़ भारत के छह राज्यों के साथ सीमा बनाता है तथा इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर–पूर्व में झारखण्ड, दक्षिण–पूर्व में उड़ीसा, दक्षिण में तेलंगाना, द.प. में महाराष्ट्र तथा पश्चिम में म.प्र. अवस्थित है।
- उड़ीसा के साथ इसकी **सर्वाधिक लम्बी सीमा** है, जबकि **उत्तर प्रदेश** के साथ **न्यूनतम**।